

JOINT COMMITTEE REPORT

IN THE MATTER OF ORIGINAL APPLICATION NO. 235/2024 'RAVI KUMAR MEENA VS M/S DG BUNDELKHAND GRANITE LLP & ORS.' IN COMPLIANCE OF THE ORDER ISSUED BY HON'BLE NGT, CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL ON DATED 23/10/2024



Location: Land bearing survey number 551 / 5 / 1 and 552 / 3 admeasuring 7.6 hectares situated in Village Beejaur, District Niwari, Madhya Pradesh

DATE OF VISIT: 26/11/2024

JOINT COMMITTEE CONSISTING OF

- 1. Anurag Nigwal, SDM (Revenue), District Niwari, Madhya Pradesh.**
- 2. K.P. Soni, Regional Officer, MP PCB Regional Office, Sagar**

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONAL BENCH AT BHOPAL (M.P.)

Original Application No. 235/2024(CZ)

RAVI KUMAR MEENA

..... APPLICANT

V/S

M/S DG BUNDELKHAND GRANITE LLP & ORSRESPONDENT

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE NO.
1.	Factual Report of the Joint Committee Report in Compliance of Order Passed by Hon'ble Tribunal Dated 26.11.2024		1-9
2.	Nomination orders of representative of the committee from the District Collector Office, District Niwari and the MP PCB	A-1	10-11
3.	Panchnama of the Joint Committee site visit dated 26.11.2024	A-2	12-13
4.	Photographs of the site visit dated 26.11.2024	A-3	14-27
5.	Environment Clearance granted to project proponent by MP SEIAA for mining operations on survey number 551/5/1 and 552/3 admeasuring area 7.60 Hectares	A-4	28-36
6.	CTE and CTO granted to Project Proponent by State PCB	A-5	37-46
7.	Letter no. 794 dated 24.12.2024 of the Mining Department, Collector Office, District Niwari	A-6	48-63
8.	The permissions granted to project proponent for carrying out mining on survey number 551/5/1 and 552/3 admeasuring area 7.60 Hectares.	A-7	64-96
9.	Order dated 14.08.2023 passed by Director,	A-8	97-99

	Directorate, Mineral and Resource Department, Madhya Pradesh		
10.	Letter no. 5879 dated 28.04.2022 of the Directorate, Mineral and Resource Department, Madhya Pradesh [conditional permission for survey number 1469 (3.290 Hectares)]	A-9	100-123
11.	Letter no. 7371 dated 25.05.2022 of the Directorate, Mineral and Resource Department, Madhya Pradesh [conditional permission for survey number 1467 (6.710 Hectares)]	A-10	124-161

BHOPAL

03.01.2025

Submitted by MP PCB:-
through Counsel



Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email:
parul.bhadoria04@gmail.com

FACTUAL AND ACTION TAKEN REPORT

Background:

1. That the present application has been filed by Shri Ravi Kumar Meena regarding illegal mining by Respondent no. 1 namely M/s DG Bundelkhand Granite LLP (“**Project Proponent**”) without any requisite permission to consent to operate from the competent authority and started excavation of the mines in the area allotted to the respondent. It has been stated by the applicant that respondent no. 1 approached the Directorate of mining and fraudulently obtained two pieces of land admeasuring 3.29 hectares and 6.7 hectares, located at Village Beejaur, Niwari, Madhya Pradesh for the purpose of mining adjacent to the land of the applicant and in the process the respondent no. 1 declared that the land of the respondent is at least 500 meters away from the land of the applicant, however, so far as the actual state of affairs is concerned the land of the respondent no. 1 is adjacent to the land of the applicant.

2. That the Hon’ble NGT vide order dated 14.03.2024 had ordered for a joint committee report by directing as follows:

“7. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in

present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

i. One representative from the Collector, Niwari, M.P.

ii. One Representative from the Madhya Pradesh Pollution Control Board.

8. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.”

In compliance of the above order the following representatives were appointed to the joint committee in the present case:

(1) Shri Anurag Nigwal, SDM (Revenue), District Niwari, MP.

(2) Shri K.P. Soni Regional Officer, MP Pollution Control Board Sagar.

Orders of appointment of the above representatives are enclosed as

Annexure A -1.

3. That in compliance of the Hon'ble NGT order the Joint Committee visited the site at Land bearing survey number 551 / 5 / 1 and 552 / 3 admeasuring area 7.6 hectares situated in Village Beejaur, District Niwari, Madhya Pradesh. The panchnama and the photographs of the inspection are enclosed as **Annexure A-2** and **Annexure A-3** respectively.
4. Along with the members of the joint committee, Shri Ajay Mishra, Mining Officer, Collector Office, District Niwari and Shri S.K. Meena from M/s DG Bundelkhand Granite LLP (“**Project Proponent**”) were present during the inspection.

5. Observations- The facts as observed by the committee as follows:

5.1 There are three mines situated in the area and the details of the same are as follows:

Sr.	Survey Number	Area (in Hectares)	Village	Remark
1.	551 / 5 / 1 and 552 / 3	7.600	Baghat	Mining activities were operational
2.	1469	6.710	Beejaur	No mining activity observed
3.	1467	3.290	Beejaur	No mining activity observed

5.2 It is pertinent to mention that the all the three mines are adjacent to each other however the mine which was operational is situated in village Baghat and the other two mines where no mining activity has taken place are situated in a different village (Gram Beejaur). These mines are situated at Survey Number 1469 admeasuring 6.710 Hectares and Survey Number 1467 admeasuring 3.290 Hectares. For reference, the map of the site is enclosed at page number 49 of this report.

5.3 Since the issues raised in the Original Application are on the land bearing survey number 551 / 5 / 1 and 552 / 3 (Area 7.6 Hectares) the same are dealt with first.

5.4 The project proponent holds valid Environment Clearance from State Environment Impact Assessment Authority, Madhya Pradesh. The EC dated 28.12.2020 granted by the SEIAA is enclosed as **Annexure A-4**.

5.5 The project proponent holds valid Consent To Establish and Consent To Operate from Madhya Pradesh Pollution Control Board, Bhopal and the same are enclosed as **Annexure A-5**.

5.6 The project proponent was found complying with the terms and conditions of the consent and EC granted.

INFORMATION PROVIDED BY THE MINING DEPARTMENT

6.1 The information provided by the Mining Department, Collector Office, District Niwari to the original application is enclosed as **Annexure A-6**.

6.2 The mining department had stated that the project proponent holds valid permission from the District Collector Office, Niwari for mining of granite at survey number 551 / 5 / 1 and 552 / 3 (Area 7.6 Hectares). The copies of necessary permissions, reports, NOC, mining lease and other relevant documents are enclosed as **Annexure A-7**.

6.3 The final order of grant of permission was passed on 27.07.2018 by the Mining Division, District Collector Office, Tikamgarh under the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996. It is relevant to state that earlier Niwari was a Tehseel under District Tikamgarh however from 01.10.2018, Niwari was declared as a separate District (52nd District of Madhya Pradesh).

6.4 That it is necessary to mention that back in 2018 the respondent no. 1 had proposed to transfer his mining lease to the partnership firm of the original applicant as per rule 35 of the Madhya Pradesh Minor Mineral Rules, 1996. The relevant order was also passed by the Director, Directorate, Mineral and Resource Department, Madhya Pradesh is enclosed as **Annexure A-8**.

6.5 That with regards to the mining at Survey Number 1467 admeasuring 6.710 Hectares and Survey Number 1469 admeasuring 3.290 Hectares, the joint committee found that no mining activity had taken place at these survey numbers. The orders passed by the Mining Division, Collector Office, District Tikamgarh dated 26.09.2018 are enclosed with the letter of the Mining Division (**Annexure A-6**).

6.6 The project proponent also holds conditional permission for mining at these survey numbers from the Directorate, Mineral and Resource Department, Madhya Pradesh. The conditional permission for survey number 1469 (3.290 Hectares) was granted vide letter no. 5879 dated 28.04.2022 is filed herewith as **Annexure A-9**. This conditional permission was granted on the basis of the order dated 26.09.2018 was passed by the Mining Department, Collector Office, District Tikamgarh. This order was passed after grant of NOC from Gram Sabha, Beejuor (15.08.2018), from District Forest Officer, Tikamgarh (13.08.2018) and inspection report from Tehseeldar Office (24.07.2018) as well as the mining officer (17.07.2018). These permissions are collectively enclosed as **Annexure A-9**.

6.7 Similarly the conditional permission for survey number 1467 admeasuring 6.710 Hectares was granted by the Directorate, Mineral and Resource Department, Madhya Pradesh vide letter number 7370 dated 25.05.2022 and is filed herewith as **Annexure A-10**. For the mine situated at survey

number 1467 admeasuring 6.710 hectares the grant to Environmental Clearance is under process and thus in absence of EC no mining activity could take place. The project proponent has to take EC from SEIAA and CTE, CTO from MP PCB before initiating the mining activities in these survey numbers.

6.8 That only after grant of the above permissions the project proponent will execute the mining lease with the Mining Department. The exercise of demarcation by pillars and putting up of the sign board declaring the area as a mine shall be undertaken after execution of the mining lease.


6.9 The applicant had contended that the mine situated at survey number 551 / 5 / 1 and 552 / 3 (Area 7.6 Hectares) was leased to Ravi Kumar Meena (applicant) however no such documents like mining lease, orders from Collector office, Mining Department etc. have been provided in order to establish the ownership.


6.10 Hence the mining activities by the project proponent at survey number 551 / 5 / 1 and 552 / 3 (admeasuring Area 7.6 Hectares) is valid and with regards to mines bearing survey number 1467 (6.710 Hectares) and 1469 (3.290 Hectares) the process of grant of Environmental Clearances is pending and thus no mining activity has started on these mines. The same was observed on the visit by the joint committee (**Annexure A-2**).

7 Recommendations:

- 7.1 The Project proponent should ensure proper compliance of the terms and conditions of the consent and Environmental Clearance.
- 7.2 The project proponent should not initiate mining activity at the survey numbers 1467 and 1469 without obtaining the requisite permissions from the concerned authorities.
8. The Hon'ble Tribunal may take the present factual report on record.

A ———
(ANURAG NIGWAL)
SDM (REVENUE)
DISTRICT NIWARI


(K.P.SONI)
REGIONAL OFFICER,
MPPCB, SAGAR


(AJAY MISHRA)
MINING OFFICER
MINING DIVISION,
COLLECTOR OFFICE, NIWARI

ANNEXURE A-1



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेय कॉलोनी, भोपाल-462016



क्रमांक 3634 / विधि/NGT(CZ)/प्रनिबो/24
प्रति,

कलेक्टर,
कलेक्टर कार्यालय,
निवाडी (म.प्र.) ।



भोपाल, दिनांक 04 NOV 2024

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेंच के प्रकरण क्रमांक 235/2024 (Ravi Kumar Meena Vs M/s D.G.Bundelkhand Granite LLP & Ors.) में दिनांक 23.10.2024 को पारित आदेश के अनुपालन बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 235/2024 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.10.2024 का कृपया अवलोकन हो, आदेश के मुख्य अंश विम्बानुसार है :-

"The contention and grievance of the applicant as narrated in the petition are that the applicant is a partner of the firm named "S.K. Minerals" and has obtained a land admeasuring 7.6 hectares for the purpose of mining located at the Khasra Number 551/5/1 and 552/3 at Village Baaghat, District Niwari, Madhya Pradesh and accordingly had obtained the Consent to Establish, Consent to Operate and the Environmental Clearance for the purpose of mining, however did not start with mining activity of any kind on the aforesaid land in question.

The respondent no. 1 approached the Directorate of mining and fraudulently obtained two pieces of land admeasuring 3.29 hectares and 6.7 hectares, located at Village Beejaur, Niwari, Madhya Pradesh for the purpose of mining adjacent to the land of the applicant and in the process the respondent no. 1 declared that the land of the respondent is at least 500 meters away from the land of the applicant, however, so far as the actual state of affairs is concerned the land of the respondent no. 1 is adjacent to the land of the applicant. It is germane to mention over here that the respondent no. 1 has also not installed the pillars for demarcation of the mine and that the respondent no. 1 has started mining activities not just on the land obtained by the respondent no. 1 on lease but also on the adjoining and adjacent lands including the land of the applicant.

We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-

- One representative from Collector, Newari, M.P
- One representative from Madhya Pradesh Pollution Control Board.

The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within six weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.

The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in

माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेशानुसार छः सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं । प्रकरण की आगामी सुनवाई दिनांक 10.01.2025 को नियत है।

अतः आपके कार्यालय से एक प्रतिनिधि नामांकित किये जाने का अनुरोध है, ताकि निर्धारित समयावधि में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश का पालन सुनिश्चित हो सके। बोर्ड की ओर से क्षेत्रीय अधिकारी, सागर को समिति हेतु बोर्ड की ओर से सदस्य तथा इस प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जिनका मोबाईल नम्बर 9425135095 है।

संलग्न :- एनजीटी आदेश ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि

क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सागर को निर्देशित किया जाता है कि गठित समिति के नाम 10 अधिकारी से प्रकरण में समन्वय कर निर्धारित समयावधि में रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-निवाड़ी म0प्र0

क्रमांक 685/खनिज/2024
प्रति

निवाड़ी, दिनांक:- 19.11.2024

क्षेत्रीय अधिकारी,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
सागर

विषय:-

माननीय हरित अभिकरण सेन्द्रल बेंच भोपाल में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 235/2024 (रवि कुमार मीणा विरुद्ध में. डी.जी. बुन्देलखण्ड ग्रैनाईट व अन्य) में दिनांक 23.10.2024 को पारित आदेश के अनुपालन बाबत।

सन्दर्भ:-

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण बोर्ड धीनदयाल नगर हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी सागर का पत्र क्रमांक 1423/क्षे.का./प्रनिवो/2024 सागर, दिनांक 11/11/2024

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्रानुसार माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण सेन्द्रल जोन भोपाल द्वारा विषयांकित याचिका में दिनांक 23.10.2024 को पारित आदेश के पालन में निम्नानुसार गठित संयुक्त जाँच कमेटी द्वारा स्थल निरीक्षण कर जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाना है:-

- (i) One Representative from the Collector, Niwari (M.P.)
- (ii) One representative of Madhya Pradesh State Pollution Control Board (M.P.)

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण सेन्द्रल जोन भोपाल प्रकरण में पारित आदेश के पालन में कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में श्री अनुराग निगवाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग-निवाड़ी जिला-निवाड़ी को नियुक्त किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

४/

(लोकेश कुमार जांगिड)

कलेक्टर

जिला-निवाड़ी म0प्र0

निवाड़ी, दिनांक:- 19.11.2024

पृ0क्रमांक/685/खनिज/2024

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. श्री अनुराग निगवाल, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग निवाड़ी जिला-निवाड़ी की ओर पालनार्थ।


४/

कलेक्टर

जिला-निवाड़ी म0प्र0

हम पंचगावा तहसील कक्षा क्षेत्र है कि ग्राम बाधारा तहसील निवासी के शाही खासतः 551/5/1 एवं 552/3 के कुल एकड़ 7.600 हे० व ग्राम बीजोरे के खासतः 1467 तथा 6.710 हे० तथा ग्राम बीजोरे के खासतः 1469 तथा 3.290 हे० पर ग्रेनाइट ब्लॉक हेल्थ पैलर जी० पी० बुन्डेड बलबन्ड ब्लॉक पी० के साथ ही स्वीडिश ड्रव्जिंग पत्रा की जांच मान्य एनपीटी से-इंजिनियर प्रोफेसर के उच्चतर प्रकल्प क्रमांक 0A235/2024 के पीएल ड्राइंग दिनांक 23/10/2024 के पालन के कलेक्टर निवासी के उपनिधि के रूप में अतिरिक्त अधिकारी (हालत) त्रिवाणी, प्रमुख निपटण को के उपनिधि से पीएल अधिकारी को पर. प्रमुख निपटण को पीएल कार्यलय सागर एवं राजेश विभागत तथा ब्लॉक डायरे के शाही ग्राम। जांच के दौरान ग्राम बाधारा के खासतः 551/5/1 एवं 552/3 के बर्त में ब्लॉक ग्रेनाइट का बन्ध होना पाया गया वहीं जांच के दौरान बन्ध कार्य के पाया गया ग्राम बीजोरे के खासतः 1467 एवं खासतः 1469 के स्वीडिश ब्लॉकों के बन्ध के निपट नहीं पाये गये। जोका जांच के निष्पत्ता के लिए सि-ए एवं बन्ध का विवरण दर्शाने वाला बॉर्ड होना नहीं पाया गया

पंचगावा पक्ष पर बन्ध गया एवं बर्त पर पंचगावा पक्ष हस्ताक्षर कराये गये


25/11/24
(एम. के. शर्मा)


K.P. Soni
26/11/2024

D.C. (Mining)
25/11/2024

A
26/11/2024
(SDM Niwari)

श्री प्रवेश वंशकाट श्री पदपोल
नि० नाथार

प्रवेश

श्री रामानन्द्य जात श्री कृष्णराज
नि०


रामानन्द्य

श्री लजपोहन वंशकाट श्री रामकृष्ण
नि० नाथार

लजपोहन

ANNEXURE A-3




 **GPS Map Camera**

Beejour, Madhya Pradesh, India
Fq6g+6c5, Beejour, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.46053° Long 78.777513°
26/11/24 03:20 PM GMT +05:30



Google




 **GPS Map Camera**



Beejour, Madhya Pradesh, India
Fq6g+6c5, Beejour, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.460544° Long 78.777519°
26/11/24 03:20 PM GMT +05:30




 **GPS Map Camera**



Beejour, Madhya Pradesh, India
Fq6g+6c5, Beejour, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.461017° Long 78.777057°
26/11/24 03:24 PM GMT +05:30




 **GPS Map Camera**



Google

Beejour, Madhya Pradesh, India
Fq6g+6c5, Beejour, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.461075° Long 78.777046°
26/11/24 03:24 PM GMT +05:30




 **GPS Map Camera**



Beejour, Madhya Pradesh, India
Fq6g+6c5, Beejour, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.460498° Long 78.777726°
26/11/24 03:22 PM GMT +05:30




 **GPS Map Camera**



Beejour, Madhya Pradesh, India
Fq6g+6c5, Beejour, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.460943° Long 78.776782°
26/11/24 03:26 PM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**



Beejour, Madhya Pradesh, India
Fq6g+6c5, Beejour, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.460937° Long 78.776782°
26/11/24 03:26 PM GMT +05:30

Google




 **GPS Map Camera**

Beejour, Madhya Pradesh, India
Fq6g+6c5, Beejour, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.460943° Long 78.776783°
26/11/24 03:26 PM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**

Beejour, Madhya Pradesh, India
Fq6g+6c5, Beejour, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.460968° Long 78.776756°
26/11/24 03:25 PM GMT +05:30






GPS Map Camera

Beejour, Madhya Pradesh, India
Fq6g+6c5, Beejour, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.459925° Long 78.777231°
26/11/24 02:51 PM GMT +05:30

Google




 **GPS Map Camera**



Beejour, Madhya Pradesh, India
Fq6g+6c5, Beejour, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.460482° Long 78.777492°
26/11/24 03:20 PM GMT +05:30





 **GPS Map Camera**



Beejour, Madhya Pradesh, India
Fq6g+6c5, Beejour, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.460455° Long 78.777725°
26/11/24 03:21 PM GMT +05:30




 **GPS Map Camera**



Beejour, Madhya Pradesh, India
Fq6g+6c5, Beejour, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.460034° Long 78.77715°
26/11/24 02:52 PM GMT +05:30



 **GPS Map Camera**



Beejour, Madhya Pradesh, India
Fq6g+6c5, Beejour, Madhya Pradesh 472442, India
Lat 25.460538° Long 78.777522°
26/11/24 03:20 PM GMT +05:30



State Environment Impact Assessment Authority, M.P.
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

Environmental Planning & Coordination Organization

Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony
Bhopal - 462016

visit us <http://www.mpseiaa.nic.in>

Email : mpseiaa@gmail.com

Tel.: 0755 - 2466970, 2466859

Fax : 0755 - 2462136

No.: 5350 /SEIAA/

Date: 28/08/20

To,

M/s D.G.Mining Pvt. Ltd,
Shri Dileep Gupta, 158,
Zone-II, M.P.Nagar, Dist. Bhopal, MP

Sub: Case No. – 6303/2019 Prior Environment Clearance for Granite Mine (opencast semi mechanized method) in an area of 7.60 ha. for productino capacity of 1,267 cum per annum at Khasra No. 551/5/1, 552/3 Parts at Village - Baghat, Tehsil - Niwari, Dist. Tikamgarh (MP) by M/s D.G.Mining Pvt. Ltd, Shri Dileep Gupta, 158, Zone-II, M.P.Nagar, Dist. Bhopal, MP

- I. This has reference to your letter received in SEIAA office on 23.05.2019 and subsequent letters seeking Prior Environmental Clearance for the above project under the EIA Notification, 2006. The proposal has been appraised as per prescribed procedure in the light of provisions under the EIA Notification, 2006 on the basis of the mandatory documents enclosed with the application viz., Form – I, Appendix-1 Mining Plan & EMP and the additional clarifications furnished in response to the observations of the State Expert Appraisal Committee (SEAC) and State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) constituted by the competent Authority.
- II. It has been noted that the proposal is for Granite Mine in an area of 7.60 ha. The mining lease area is located at khasra no. 551/5/1, 552/3 Parts at Village - Baghat, Tehsil - Niwari, Dist. Tikamgarh (MP). There is no National Park/Sanctuary within 10 Km radius. There is no forest boundary within 250 m from mining lease area.
- III. The proposed project is for production capacity of 1,267 cum/ year. The mining will be carried out by Open cast semi mechanized method. The water requirement is 37 KLD. The water met from tankers will be used for domestic purpose, dust suppression and green belt development. PP has proposed that 12660 sapling of tree species shall be covered under plantation. The public hearing was conducted on 23.09.2020 at Gram Panchayat Bhawan Baghat, Tehsil - Niwari, Dist. Tikamgarh (MP) under Chairmanship of Collector, Niwari.
- IV. The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E), dated 14th September 2006.
- V. Based on the information submitted, as at Para (II) above and others the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) considered the case in its 647th meeting dtd. 07.12.2020 and decided to accept the recommendations of 466th SEAC meeting dtd 26.11.2020.

1 of 9

Case no 6303/2019

VI. Hence, Prior Environmental Clearance is granted for Granite Mine (opencast semi mechanized method) in an area of 7.60 ha. for production capacity of 1,267 cum per annum at Khasra No. 551/5/1, 552/3 Parts at Village - Baghat, Tehsil - Niwari, Dist. Tikamgarh (MP) for the lease period to M/s D.G.Mining Pvt. Ltd, Shri Dileep Gupta, 158, Zone-II, M.P.Nagar, Dist. Bhopal, MP., subject to the compliance of following specific conditions as recommended by SEIAA & SEAC and subsequent Standard Conditions.

(A) SPECIFIC CONDITIONS

1. Before commencing any mining activity fencing shall be carried out all around the lease area. Proper watch and ward arrangements should be made with installation of signage at 4 corners of lease area to avoid any untoward incident involving public and animals by the PP.
2. Lease agreement shall be carried out before execution of mining operation.
3. Plantation programme as mentioned in EIA/EMP and presented during presentation in SEIAA & SEAC shall be followed in content and spirit.
4. PP shall demarcate a barrier zone of 7.5 m as no mining zone in the periphery of mining lease area and develop a green belt. Three rows plantation shall be carried out in the greenbelt area in current year with proper watering arrangement.
5. PP will plant 3 years old 13190 saplings of suitable indigenous fast grow tree species like Neem, Peepal, Bargad, Mango, Bel, Sheesham, Mahua, Drum Stick, Jamun, Imli, Awala, Gulmohar, Satparni, Karanj, Kathal, Kachnar etc. in barrier zone/no mining zone/approach road during first five years.
6. The mining operation shall be restricted to above ground water table and in no case it should intersect the ground water table. In case of working below the ground water table approval of the Central Ground Water Board shall be obtained.
7. The over burden and waste will be stacked for five years and simultaneously backfilled in the mined out area where plantation will be raised on it.
8. No overburden will be dumped outside the mine lease area.
9. Regular air & water quality monitoring shall be carried out by PP before discharging it into the nearby agriculture fields from authorized laboratory in consultation with Regional Officer, MPPCB.
10. PP shall ensure generation of employment opportunities nearby Village on priority bases.
11. Payments of wages to the workers shall be done in consonance with the provisions in the labour laws.
12. Proper infrastructure with shelter, drinking water, toilet and first-aid facilities shall be provided for the laborers. A provision should be made to construct a pakka rest shelter along with toilet and drinking water facility.
13. PP should also carry out regular sprinkling in the mining lease area to arrest dust emission from mining activities affecting the nearby agriculture fields.
14. Mining shall be limited to the area as shown in surface plan and as per the approved mining scheme.
15. PP shall ensure the proper water supply arrangements for plantation especially in summer season.
16. PP shall ensure proper implementation of plantation, dust suppression, construction of approach road and maintenance of existing pakka road as part of Environmental Management Plan. Additional budget provision shall be made as part of EMP.
17. PP must ensure implementation of the following activities under CER as committed:
 - a) Installation of 2 hand pump at village Bhagat to facilitate drinking water facility

- b) Construction of maintenance of village road (600 m. with 7.5 mtr. width) at village Bhagat.

The modification to the above activities can be made with the permission of the district administration and need based activity for the development of nearby villages shall be implemented by PP in consultation with the District Collector and Gram Panchayat.

18. PP should ensure to submit half yearly compliance report and CSR activity report with photographs of plantation in MP-SEIAA. If PP is failed to upload or submit two consecutive half yearly compliance reports of EC conditions to concerned authority (SEIAA and Regional Office, MoEF&CC, Gol. Bhopal) than prior environmental clearance issued to PP will automatically be treated as cancelled/ revoked as per OM No. 930/SEIAA/2019 dated 30.05.2019 issued by MPSEIAA.

(B) PRE-MINING PHASE

19. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars.
20. Necessary consents for proposed activity shall be obtained from MPPCB and the air / water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
21. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
22. PP will also carry out fencing all around the lease area.
23. If any tree uprooting is proposed necessary permission from the competent authority should be obtained for the same.
24. For dust suppression, regular sprinkling of water should be undertaken.
25. Haul road and shall be compacted on regular interval and transport road will be made pucca (tar road) and shall be constructed prior to operation of mine.
26. PP will obtain other necessary clearances/NOC from respective authorities.
27. Slope stability study shall be carried out before commencing the mining activities.
28. Reject stone shall be sold only after approval of the State Government as per the prevailing rules & regulations.

(C) MINING OPERATIONAL PHASE

29. No blasting is proposed.
30. Retaining wall (H-1.00 meters, Width-1.5 meters and Length-1182 meters) shall be provided towards human settlement side on the northern side at distance of approx. 150 meters.
31. Controlled and muffle blasting shall be carried out considering habitation northern side of the lease.
32. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
33. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
34. No explosive will be stored at the mine site.
35. No intermediate stacking is permitted at the mine site.
36. No dump shall be stacked outside the lease area.
37. Overhead sprinklers shall be provided in mine.
38. Curtaining of site shall be done through thick plantation all around the boundaries of all part of lease. The proposed plantation scheme should be carried out along with the mining and PP would maintain the plants for five years including casualty replacement.

Initially, dense plantation shall be developed along the site boundary (in three rows) to provide additional protection in one year only.

39. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. As proposed in the landscape plan & EMP a minimum of 13190 no of trees shall be planted on barrier/non working zone, backfilled area, village and along the transportation route.
40. Transportation of material shall be done in covered vehicles.
41. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area.
42. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
43. Garland drain and bund along with settling tank will be maintained in the boundary side and around dump to prevent siltation of low lying areas and in rush of water into the mine. The size of the drain will be 224M X 1M X 1M, 271M X 1M X 1M, and 512M X 1M X 1M. The settling tank will be 01 in number of size 0.53haX4mD.
44. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
45. For dust suppression over head sprinkler shall be provided while on transport road for dust suppression tankers shall be provided.
46. The existing and proposed land use plan of the mine is as follows:

Items	Existing	Conceptual period
Total lease area	7.60 ha	
Ultimate depth of mining	-	26 m bgl (182 mRL)
Ultimate pit slope	-	45 degree
Area under dumps	Nil	Nil
Area under pits	0.1494ha	6.18 ha
Infrastructure & Road	Nil	0.20 ha
Mineral storage	Nil	Nil
Plantation	Nil	1.00 ha (2000No.)
Un-worked area	7.4506ha	0.22ha
Total area	7.60ha	7.60ha
Water body	Nil	0.85 ha
Backfilled area	Nil	4.6570ha
Plantation		
Un-worked area	Nil	1.00ha (2000No.)
Backfilled area	Nil	4.6570 ha (9314No.)
Bench area	Nil	0.673ha (1346No.)
Total area for plantation	Nil	6.33ha (12660No.)

47. Appropriate and submitted activities shall be taken up for social up-liftment of the Region. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat. Further any need base and appropriate activity may be taken up in coordination with local panchayat.
48. PP will take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
49. The commitments made in the public hearing are to be fulfilled by the PP.
50. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.

51. PPE's such as helmet, ear muffs etc should be provide to the workers during mining operations

(D) ENTIRE LIFE OF THE PROJECT

52. In the proposed EMP, Rs. 74.96 Lakh is proposed as capital and Rs. 15.82 Lakh /year is proposed as recurring expenses.
53. Under CSR, following activities with physical targets are proposed by PP on the basis of concerns raised during public hearing and same shall be implemented by PP:

1	Provision of 02 hand-pumps at village Bhagat to facilitate drinking water facility.
2	Construction and maintenance of village road from lease area to pucca road to be used for transportation of mineral. (660 mtrs with 7.5 mtrs width)
3	Conduction of half yearly medical camp for assessment health of villagers of Bhagat and nearby area inclusive of COVID related activities (provision of sanitizers, mask and other PPEs) for initial first year.
4	Development of plantation with 500 no at common place / School / Panchayat bhawan of village – Bhagat.
5	Provision of garland drains around periphery within the lease to prevent the silt containing flow at nearby agricultural land. The aspects has been covered under EMP.

54. The environment policy of the company should be framed as per MoEF&CC guidelines and same should be implemented through monitoring cell. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
55. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement.

(E) STANDARD CONDITIONS

1. Any change in the correspondence address be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
2. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment and approved by SEAC must be ensured.
3. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.
4. All parameters listed in Environmental Monitoring Plan approved by SEAC must be monitored at approved locations and frequencies.
5. Blast vibrations study shall be conducted and submitted to the Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal and MP PCB within six months. The study shall also provide measures for prevention of blasting associated impact on nearby houses and agricultural fields.
6. Controlled blasting techniques with sequential drilling shall be adopted. The blasting shall be carried out in the day time only.

5 of 9

7. Slope of the mining bench and ultimate pit limit shall be as per the mining scheme approved by Indian Bureau of Mines.
8. A final mine closure plan, along with details of Corpus Fund, shall be submitted to the Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal and MP PCB within 5 years in advance of final mine closure for approval.
9. No change in the calendar plan including excavation, quantum of mineral and waste shall be made.
10. Mining will be carried out as per the approved mining plan. In case of any violation of mining plan, the Environmental Clearance given by SEIAA will stand cancelled.
11. Adequate buffer zone shall be maintained between two consecutive mineral bearing deposits.
12. The transportation of the minerals extracted from the mining area shall be limited to day hours time only.
13. Maintenance of near by local roads through which transportation of minerals are undertaken shall be carried out by the company regularly at its own expenses. The roads shall be black topped.
14. Measures for prevention and control of soil erosion and management of silt shall be undertaken. Protection of dumps against erosion shall be carried out with geo textile matting or other suitable material, and thick plantations of native trees and shrubs shall be carried out at the dump slopes. Dumps shall be protected by retaining walls.
15. Trenches / garland drains shall be constructed at foot of dumps and coco filters installed at regular intervals to arrest silt from being carried to water bodies. Adequate number of check dams and gully plugs shall be constructed across seasonal/ perennial Nallahs, if any, flowing through the ML area and silts arrested. De- silting at regular intervals shall be carried out.
16. The project proponent will ensure necessary protection measures around the mine pit, waste dumps and garland drain.
17. Top soil / solid waste shall be stacked properly with proper slope and adequate safeguards and shall be utilized for backfilling (wherever applicable) for reclamation and rehabilitation of mined out area. Top soil shall be separately stacked for utilization later for reclamation and shall not be stacked along with over burden.
18. Over burden (OB) shall be stacked at earmarked dump site(s) only and shall not be kept active for long period. The maximum height of the dump shall not exceed 20 m, each stage shall preferably be of maximum 10 m and overall slope of the dump shall not exceed 35°. The OB dump shall be backfilled and shall be scientifically vegetated with suitable native species to prevent erosion & surface run off.
19. Monitoring and management of rehabilitated areas shall continue until the vegetation becomes self-sustaining. Compliance status shall be submitted to the Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal and MP PCB on six monthly basis.
20. Green belt development shall be carried out considering CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO / Agriculture Deptt. Herbs & shrubs shall also form a part of afforestation programme besides tree plantation. The company shall involve local people for plantation programme. Details of year wise afforestation programme including rehabilitation of mined out area shall be submitted to the Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal and MP PCB every year.
21. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. Vehicles used for transportation of minerals and others shall have valid permissions as prescribed under Central Motor Vehicle Rules, 1989 and its amendments. The vehicles transporting minerals shall be covered with a tarpaulin or other suitable enclosures so that no dust particles / fine matters escape during the course of transportation. No overloading of minerals for transportation shall be committed. The

trucks transporting minerals shall not pass through wild life sanctuary, if any in the study area.

22. Four ambient air quality-monitoring stations shall be established in the core zone as well as in the buffer zone for RSPM, SPM, SO₂, NO_x monitoring. Location of the stations should be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets and frequency of monitoring should be undertaken in consultation with the State Pollution Control Board. The monitored data for criteria pollutants shall be regularly up-loaded and displayed on the company's website.
23. Data on ambient air quality (RPM, SPM, SO₂, NO_x) should be regularly submitted to the Regional office, MoEF, GoI, Bhopal and the State Pollution Control Board / Central Pollution Control Board once in six months.
24. Ambient air quality at the boundary of the mine premises shall conform to the norms prescribed in MoEF notification no. GSR/826(E) dtd. 16.11.09.
25. Fugitive dust emissions from all the sources shall be controlled. Water spraying arrangement on haul roads, loading and unloading and at transfer points shall be provided and properly maintained. The dust emission shall be monitored regularly as per norms and records to be submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regularly.
26. Measures shall be taken for control of noise levels below 75 dBA in the work environment. Workers engaged in operations of HEMM, etc., shall be provided with ear plugs / muffs and health records of the workers shall be maintained.
27. Rain water harvesting shall be undertaken to recharge the ground water source. Status of implementation shall be submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB within six months and thereafter every year from the next consequent year.
28. Regular monitoring of ground and surface water sources for level and quality shall be carried out by establishing a network of existing wells and constructing new piezometers during the mining operation. The monitoring shall be carried out four times in a year i.e. pre-monsoon (April-May), monsoon (August), post-monsoon (November) and winter (January) and the data thus collected shall be regularly sent to Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal, MP PCB, Central Ground Water Authority and Regional Director, Central Ground Water Board.
29. The waste water from the mine if any, shall be treated to conform to the standards prescribed under GSR 422 (E) dated 19th May, 1993 and 31st December, 1993 or as amended from time to time. The oil and grease trap shall be installed for the effluents generated from the workshop, if any, before discharging into the natural stream. The discharged water from the tailing dam, if any shall be regularly monitored and report submitted to the Regional Office, Ministry of Environment & Forests, GoI, Bhopal, Central Pollution Control Board, and the State Pollution Control Board.
30. Hydro-geological study of the area shall be reviewed by the project proponent annually. In case adverse effect on ground water quality and quantity is observed mining shall be stopped and resumed only after mitigating steps to contain any adverse impact on ground water is implemented.
31. Occupational health check up for the workers including identification of work related health hazards, training on malaria eradication, HIV, and health effects on exposure to mineral dust etc. shall be carried out. Periodic monitoring for exposure to respirable mineral dust on the workers shall be conducted and records maintained including health records of the workers. Awareness programme for workers on impact of mining on their health and precautionary measures like use of personal equipments etc. shall be carried out periodically. Review of impact of various health measures shall be conducted followed by follow up action wherever required. It should be made available for inspection whenever asked. Necessary funds for this also should be earmarked.

32. Project Proponent shall ensure appropriate arrangement for shelter and drinking water for the mine workers.
33. Persons working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices and they shall also be imparted adequate training and information on safety and health aspects.
34. Commitment towards CSR have to be followed strictly.
35. Special measures shall be adopted to prevent the nearby settlements from the impacts of mining activities.
36. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.
37. The necessary funds as per mandate shall kept for environmental protective measures which should be kept in separate account and shall not be diverted for other purpose. Year wise expenditure shall be reported to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB.
38. The Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report, Environmental Management Plan, Public hearing and other relevant documents should be given to Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal and MP PCB.
39. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and Municipal Bodies, as applicable, in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
40. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at web site of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) website at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal.
41. The project proponent has to strictly follow directions/guideline issued by the MoEF, GoI, CPCB and other Govt. agencies from time to time.
42. Action plan with respect to suggestion/improvement and recommendations made and agreed during public hearing consultation shall be submitted to the Regional Office, MoEF, GoI, Bhopal, MP PCB and to the competent authority of the State Govt. within six months.
43. The Project Proponent has to submit half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions in hard and soft copy to the Regulatory Authority on 1st June and 1st December of each calendar year.
44. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.
45. These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and control of Pollution) Act 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006.

46. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
47. Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
48. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.
49. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department, Forest Conservation Act, 1980 and Wildlife (Protection) Act, 1972 etc. shall be obtained, as applicable by project proponents from the respective competent authorities.
50. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely, SPM, RSPM, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company in the public domain.
51. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.

(Tanvi Sundriyal)
Member Secretary

Endt No. 5351 / SEIAA/20 Dated: 28/10/20

Copy to:-

1. Principal Secretary, Department of Environment, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal.
2. Secretary, SEAC, Research and Development Wing Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony Bhopal-462016
3. Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Paryavaran Parisar, E-5, Arera Colony, Bhopal-462016
4. Collector, District Tikamgarh M. P.
5. Divisional Forest Officer, District Tikamgarh, M. P.
6. I.A. Division, Monitoring Cell, MoEF & CC, Gol, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi- 110 003.
7. Director (S), Regional office of the MoEF, Western Region, Kendriya Paryavaran Bhawan, Link Road No. 3 Ravi Shankar Nagar, Bhopal-462016.
8. Director, Geology & Mining, Madhya Pradesh, 29-A, Khanij Bhawan, Arera Hills, Bhopal - 462002
9. District Mining Officer, District Tikamgarh, M. P.
10. Guard file

(Dr Sanjeev Sachdev)
Officer-in-Charge



ANNEXURE A-5

RED-SMALL

CTE-Fresh

CONSENT NO: ***

PCB ID: 139564

Outward No:113010,07/07/2021

Consent No:CTE-53787

To,

**M/s. D.G.Mining Pvt.Ltd.(Village.Baghat),
KHASRA NO 551/5/1.552/3 Parts ,AREA 7.60 Hectares, Village-Baghat,Tehsil-Niwari,Distt-Niwari (M.P.),City : Baghat,Dist : Niwari, Tal : Niwari, SIDC : Not In SIDC, Latitude : 25.2730 Longitude : 78.4637**

Subject: Grant of Consent to Establish under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Your Consent to Establish Application Receipt No. 1080481 Dt. 09/04/2021 and last communication received on dated 30/06/2021

Without prejudice to the powers of this Board under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 and without reducing your responsibilities under the said Acts in any way, this is to inform you that this Board grants Consent to Establish for setting up of mining activity at KHASRA NO 551/5/1.552/3 Parts, Village-Baghat, Tehsil-Niwari, Distt-Niwari (M.P.)

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- a. Location:** KHASRA NO 551/5/1.552/3 Parts ,AREA 7.60 Hectares, Village-Baghat,Tehsil-Niwari,Distt-Niwari (M.P.)
- b. Minin Lease area:** 7.60 ha
- c. Product & Production Capacity:**

Activity / Product	Qty / year
MINING OF Granite	1267 Cubic Meter Per Year,

The consent (for operation) as required shall be granted to your industry after fulfillment of all the conditions mentioned above. For this purpose you shall have to make an application to this Board in the prescribed proforma at least two months before the expected date of commissioning of your industry. The applicant shall not operate the unit without obtaining consent for operation from the Board and shall not bring in to use any out let for the discharge of effluent and gaseous emission.

Enclosures:-

- * Conditions under Water Act
- * Conditions under Air Act
- * General conditions

CC to :-

1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Niwari Dist. Niwari (M.P.) for information.
2. M.P. State Mining Corporation, Arera Hills, Jail Road, Bhopal (M.P.) for necessary action please.
3. Regional officer, Regional office, MPPCB, Sagar (M.P.)



**(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # R4386S146T**

Signature Not Verified
Digitally Signed by : A. A
Mishra, Member Secretary
Date: 07/07/2021 11:02:01 PM

**ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary**



CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

1. The daily quantity of sewage at out fall of the unit shall not exceed 4.00 KL/day
2. The applicant shall provide garland drain and settling tank for the control of surface run off generated in the lease area during rains.
3. Sewage Treatment :- The applicant shall provide septic tank and soak pit and maintain the same properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD ₃ Days 27°C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.

4. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board
5. Compilation of Monitoring data- Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge.
6. Recording of Monitoring Activities & Results-
The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.
7. Disposal of Collected Solid waste-
Solids, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.
8. Prohibition of By pass system of treatment facilities-
The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent in prohibited except :
 - i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
 - ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.
9. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

Additional Water condition:-

- 1) Mine shall treat mine water to the extent that it should meet the quality of drinking water source quality standards. The treated mine water should be used for beneficiation purposes such as plantation, irrigation etc
- 2) The mine management shall provide toilets for laborers along with septic tank and soak pit..
- 3) Mine management shall provide rain water harvesting arrangements



CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. Ambient air quality at the boundary of the industry/unit premises shall be monitored and reported to the Board regularly on quarterly basis: The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:
 - a. Particulate Matter (less than 10 micron) - $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ($\text{PM}_{10} \mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - b. Particulate Matter (less than 2.5 micron) - $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ($\text{PM}_{2.5} \mu\text{g}/\text{m}^3$ 24 hrs. basis)
 - c. Sulphur Dioxide [SO_2] (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
 - d. Nitrogen Oxides [NO_x] (24 hrs. Basis) - $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
 - e. Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - $2000 \mu\text{g}/\text{m}^3$
2. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.
3. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.
4. Approach roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements.
5. Mine management shall take effective steps for extensive tree plantation of the local tree species within or around the industry/unit premises for general improvement of environmental conditions and as stated in additional condition

Additional Air condition:-

- 1) Mine management shall demarcate a barrier zone of 7.5 meters as no mining zone on the periphery of mining lease boundary.
- 2) Mine management shall construct and maintained pakka approach road from the mine site.
- 3) Fixed type of water sprinkle system shall be provided on haul road.
- 4) Mine management shall practice regular compaction loose material of haulage road to reduce the emission of fugitive emission
- 5) Transportation shall be done through covered vehicle.
- 6) Transportation should not be done through forest area.
- 7) The vehicle used for the transportation of minerals / material shall be PU certified and shall be properly maintained to reduce the noise



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arising in the unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.
2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:
 - a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
 - b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
 - d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
 - e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.
3. This consent/authorisation is transferable, in case of change of ownership/management and addresses of new Owner/partner/Directors/proprietor should immediately apply for the same.
4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.
5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.
6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.
7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation
8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.
9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following :
 - (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
 - (b) Obtaining this Consent by misrepresentation or failure to disclose fully all relevant facts.
 - (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.
10. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Additional condition:-

1. **Mine management shall provide a retaining wall of (Height 1.0 Meters , Width 1.50 meters and Length -1182 meters) should be provided on human settlement side on the northern side at the distance approx. 150 meters.**
2. Mine management shall perform the mining activity as per the approved mining plan.
3. Rain water harvesting shall be undertaken to recharge ground water source. In case any adverse effect on ground water quality and quantity is observed, mining shall be stopped and resumed only after applying mitigating steps to restore the same.
4. The Mine Management shall construct Garland drain all around the mine with stone pitching all around , and with settling tank. Sedimentation pits shall be constructed at the corners of the garland drains and de-silted at regular intervals. The garland drain shall be stone pitched / lined to prevent the soil erosion. Sump capacity shall also provide adequate retention period to allow proper settling of silt material.
5. The mine management shall regularly monitor the ground and surface water (if any) in and near the core zone for contamination and depletion due to mining activity and maintain the records.
6. The mine management shall take preventive measures to control fugitive emission from all the sources. Water spraying arrangement on haul roads, loading, unloading and at transfer points shall be provided and properly maintained.
7. Top soil/solid waste shall be stacked with proper slope and adequate safeguards; it shall be utilized for backfilling

40

Consent No:CTE-53787



Consent Order

M.P. Pollution Control Board
E-5, Arera Colony
Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP
Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742

(Wherever applicable) for reclamation and rehabilitation of mined out area. Top soil shall be separately stacked for biological reclamation and shall not be stacked along with over burden.

8. The mine management shall stack the over burden at earmarked dump site(s) only. Keeping maximum height of dump as 20 m and overall slope as 35° filled. The Over Burden dumps shall be backfilled and scientifically vegetated with suitable native species to prevent erosion and surface runoff.
9. Controlled blasting should be practiced with the use of delay detonators and only during daytime. The mitigative measures for control of ground vibrations and to arrest the fly rocks and boulders should be implemented.
10. Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.
11. The mine Management shall submit environmental statement for the previous year ending 31st March on or before 30th September every year to the Board.
12. Mine management shall provide fencing all around the lease area to prevent accident hazard due to open pits.
13. The mine management shall comply with the conditions of Environmental clearance pertaining to pollution control.
14. The mine management shall provide the safety equipments like Helmets, Boots, Gloves, Masks, and Earplug etc. to workers & ensure that workers will use them during mining activity.
15. The mine management shall take preventive measures to protect the trees and ensure minimum cutting of trees in the mining area.
16. The mine management shall ensure the compliance of conditions of environmental clearance.
17. The mine Management shall comply with all the relevant Acts/Rules, directions, guide lines issued by MoEF /CPCB /MPPCB from time to time as required and, if applicable.

For and on behalf of
M.P. Pollution Control Board



(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # R4386S146T

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary

41

Consent No:CTE-53787



M.P. Pollution Control Board

E-5, Arera Colony Paryavaran Parisar, Bhopal - 16 MP Tele : 0755-2466191, Fax-0755-2463742



Consent Order

RED-MEDIUM

CCA-Renewal

PCB ID: 139564

Order No:121380,27/09/2024

Consent No:AW-61103

The Occupier,

M/s. D.G.Mining Pvt.Ltd. (Village.Baghat),

Kh No. 551/5/1, 552/3 Parts , Village-Baghat, Tehsil-Niwari,
Distt-Niwari (M.P.) Latitude : 25.4610 Longitude : 78.7774

Subject: Grant of Renewal of Consent under section 25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974 under section 21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981

Ref: Renewal of Consent Application R. No. 1395425 Dt. 27/08/2024 and last communication received on Dt.06/09/2024

With reference to your above application for Renewal of Consent has been considered under the aforesaid Acts and existing rules therein. The M. P. Pollution Control Board has agreed to grant consent up to **31/08/2025**, subject to the fulfillment of the terms & conditions, enclosed with this letter and-

SUBJECT TO THE FOLLOWING CONDITIONS :-

- a. Location: Kh No. 551/5/1, 552/3 Parts , Village-Baghat, Tehsil-Niwari, Distt-Niwari (M.P.)
- b. Mining Lease area: 7.60 ha
- c. Product & Production Capacity:

Activity / Product	Qty / year
Mining of Granite	1,267 Cubic Meter Per Year,

- (1) For any change in above industry shall obtain fresh consent from the Board.
- (2) PP shall ensure that mining is done in sanctioned lease area as per valid mining plan approved by DGM Bhopal MP up to 31.03.2028 vide L No. 6085 Date:19.05.2023 & in compliance of the conditions laid in EC granted by SEIAA MP Vide L.No.5550 Dt.28.12.2020.
- (3) The project proponent shall follow the mitigation measures as provided in the MoEFCC GoI OM No. Z-11013/5712014-IA.II(M) dated 29th October 2014, titled ' Impact of mining activities on habitations - issues related to the mining projects wherein habitations and villages are the part of mine lease areas or habitations & villages are surrounded by the mine lease area.' PP shall also have to abide by the directives of Hon. Supreme Court/High Court/NGT and as incorporated in EC granted by the MoEF&CC /SEIAA regarding providing offset from the roads (kuchha or pucca) and development of plantations/green belt.
- (4) PP shall have to abide by the directives of Hon. Supreme Court/High Court/NGT and as incorporated in the EC granted by the MoEF&CC / SEIAA, pertaining to distance of mining activity from any residential/public buildings, inhabited sites, National/State Highways/district roads, Railway lines/area, ropeways, bridges, dams /reservoirs or any other water body. Mining to be done as per the site specific guidelines of the DGMS & Explosives department of the GOI . The regulations for danger zone (500 Metres) prescribed by Directorate General of Mines Safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimise the impact of mining generated dust,noise and vibrations on the environment.
- (5) Solid waste generated during mining process shall be stacked at earmarked site which shall be properly surrounded by garland drains & settling pits of adequate sizes so that no Soil/Silt/waste rock is discharged outside the mine lease area/ nearby water body blocking the natural flow of any nallah/river/pond. Top Soil / OB dump shall be biologically reclaimed.
- (6) Evacuation of mineral shall not be through any village or forest area. PP shall provide pucca (Concreted/Ashphalted) approach road from main road to the mine site & ensure thick plantation on both side of this road to prevent dust/noise pollution.
- (7) The dust generated during transportation of mineral & deposited on Approach/Haul roads shall be regularly removed by the road sweeping machines & suppressed by intermittent sprinkling of water on roads using pressurized water tankers of adequate capacity. PP shall practice regular compaction of loose material of haulage road & regular water sprinkling shall be done for control of generated fugitive emissions. Main haulage Road shall be provided with mist forming permanent water sprinklers on both sides to ensure control of dust during mineral transportation.

The Validity of the consent is up to **31/08/2025** and has to be renewed before expiry of consent validity. Online application through XGN with annual license fees in this regard shall be submitted to this office 6 months before expiry of the consent/Authorization. Board reserves the right to amend/cancel / revoke the above condition in part or whole as and when required.

Enclosures:-

* Conditions under Water Act* Conditions under Air Act* General conditions

CC to :-

1. District Mining Officer, (Mining Section), Collector office, Niwari Dist. Niwari (M.P.) for information.
2. Director, Geology & Mining Khanij Bhawan 29-A, Arera Hills, , Bhopal (M.P.) for necessary action please.
3. Regional officer, Regional office, MPPCB, Sagar (M.P.)

By the order of Chairman, MPPCB

Signature Not Verified
Digitally Signed by : A. A
Mishra, Member Secretary
Date: 27/09/2024 02:11:44 PM

ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary



(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 4B2MBSRS1D

42

CONDITIONS PERTAINING TO WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1974 :-

Sector Specific Water condition:-

- 1 Mines shall take effective steps to check the soil erosion from waste material dumping area to prevent siltation problem in near by nalla/river pond during rainy season. All the slopes of external dumps of over burden should be maintained at a maximum of 28 degrees. The check bunds shall be constructing for control of surface run off .
- 2 a. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road.
 - b. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks of suitable sizes shall be provided.
 - c. Mine shall have to take effective steps to check the soil erosion from over burden/waste material dumping area, causing silting problem into nearby nallah/ river/ pond during the rainy season. Mine shall have to inform about the progress regularly to the Board.
 - d. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and other beneficial purposes..
 - e. Regular de-silting of drains and pits should be carried out. Adequate provisions of water for irrigating the plantations shall be made by PP.
- 3 Water sprinkling with adequately designed nozzle which produces tiny droplets of water should be provided during raw materials unloading.
- 4 a. Blasting shall be done preferably on holiday / week end. No blasting to be done within 200 meters of any residential housing establishment. PP shall ensure that blasting is done in compliance of various directives issued by Department of Explosives Govt. Of India.
 - b. Controlled blasting should be practiced with use of delay detonators only during day time between 10.0 AM to 4.0 PM.
 - c. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting, and muffle blasting shall be adopted.
 - d. Top soil/solid waste shall be stacked with proper slope and adequate safeguards; it shall be utilized for backfilling (wherever applicable) for reclamation and rehabilitation of mined out area.
 - e. Top soil shall be separately stacked for biological reclamation and shall not be stacked along with over burden. Top soil shall be simultaneously used for plantation within lease area and no OB/waste shall be stacked outside the lease area.

1. The daily quantity of trade effluent of the unit shall not exceed 0.000 KL/day, and the daily quantity of sewage of the unit shall not exceed 0.400 KL/day.

2. Trade Effluent Treatment:-

The applicant shall operate and maintain effluent treatment system properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0	TDS	Not exceed	2100 mg/l.
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.	Chlorides	Not exceed	1000 mg/l.
BOD ₃ Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.			
COD	Not exceed	250 mg/l.			
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.			

For other parameters general standards of discharge as notified under EP Act 1986 shall be applicable.

3. Sewage Treatment :- The applicant shall operate and maintain Sewage Treatment System properly to achieve following standards-

pH	Between	5.5 – 9.0
Suspended Solids	Not exceed	100 mg/l.
BOD ₃ Days 27 °C	Not exceed	30 mg/l.
COD	Not exceed	250 mg/l.
Oil and grease	Not exceed	10 mg/l.
fecal coliform	Not exceed	1000 MPN/100 ml

Sr	Water Code (Qty in klpd - Kilo Ltr per Day)	WC : 4.700	WWG : 0.400	Water Source	Remark
1	Domestic Purpose	0.700	0.400	Tankers	Eff .treated through Septic Tank Soak pit.
2	Dust Suppression	4.000	0.000	Mine Water	Mine pit water to be used on priority.

4. The effluent shall be treated up to prescribed Standards and reuse in the process, for cooling and for green belt devolvement/gardening within premises. Hence zero discharge condition shall be practiced. In no case treated effluent shall be discharged outside of industry/unit premises.

5. Any change in production capacity, process, raw material used etc. and for any enhancement of the above prior permission of the Board shall be obtained. All authorized discharges shall be consistent with terms and conditions of this consent. Facility expansions, production increases or process modifications which result new or increased discharges of pollutants must be reported by submission of a fresh consent application for prior permission of the Board.

43

Consent No:AW-61103

6. All treatment/control facilities/systems installed or used by the applicant shall be regularly maintained in good working order and operate effectively/efficiently to achieve compliance of the terms and conditions of this consent

7. The Consent does not authorize or approve the Construction of any physical structures or facilities or the undertaking of any work in any water course or within its high flood level (HFL) area

8. The specific effluent limitations and pollution control systems applicable to the discharge permitted herein are set forth as above conditions.

9. Compilation of Monitoring data-

i. Samples and measurements taken to meet the monitoring requirements specified above shall be representative of the volume and nature of monitored discharge. ii. Following promulgation of guidelines establishing test procedures for the analysis of pollutants, all sampling and analytical methods used to meet the monitoring requirements specified above shall conform to such guidelines unless otherwise specified sampling and analytical methods shall conform to the latest edition of the Indian Standard specifications and where it is not specified the guidelines as per standard methods for the examination of Water and Waste latest edition of the American Public Health Association, New York U.S.A. shall be used.

10. Recording of Monitoring Activities & Results-

i. The applicant shall make and maintain online records of all information resulting from monitoring activities by this Consent.

ii. The applicant shall record for each measurement of samples taken pursuant to the requirements of this Consent as follows:

- (i) The date, exact place and time of sampling
- (ii) The dates on which analysis were performed
- (iii) Who performed the analysis?
- (iv) The analytical techniques or methods used and
- (v) The result of all required analysis

iii. If the applicant monitors any Pollutant more frequently as is by this Consent he shall include the results of such monitoring in the calculation and reporting of values required in the discharge monitoring reports which may be prescribed by the Board. Such increased frequency shall be indicated on the Discharge Monitoring Report Form.

iv. The applicant shall retain for a minimum of 3 years all records of monitoring activities including all records of Calibration and maintenance of instrumentation and original strip chart regarding continuous monitoring instrumentation. The period of retention shall be extended during the course of any unresolved litigation regarding the discharge of pollutants by the applicant or when requested by Central or State Board or the court.

11. Reporting of Monitoring Results:-

Monitoring Information required by this Consent shall be summarized and reported by submitting a Discharge Monitoring report on line to the Board.

12. Limitation of discharge of oil Hazardous Substance in harmful quantities:-

The applicant shall not discharge oil or other hazardous substances in quantities defined as harmful in relevant regulations into natural water course. Nothing in this Consent shall be deemed to neither preclude the institution of any legal action nor relieve the applicant from any responsibilities, liabilities, or penalties to which the applicant is or may be subject to clauses.

13. Limitation of visible floating solids and foam:

During the period beginning date of issuance the applicant shall not discharge floating solids or visible foam.

14. Disposal of Collected Solid waste/sludge-

All hazardous waste/sludge shall be disposed of as per the Authorization issued under Hazardous & other waste (M&TM) Rules 2016. And/other Solids Sludge, dirt, silt or other pollutant separated from or resulting from treatment shall be disposed of in such a manner as to prevent any pollutant from such materials from entering any such water Any live fish, Shall fish or other animal collected or trapped as a result of intake water screening or treatment may be returned to eaters body habitat.

15. Provision for Electric Power Failure-

The applicant shall assure to the consent issuing authority that the applicant has installed or provided for an alternative electric power source sufficient to operate all facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of the Consent.

16. Prohibition of Bypass system of treatment facilities-

The diversion or by-pass of any discharge from facilities utilized by the applicant to maintain compliance with the terms and conditions of this Consent is prohibited except:

- i. where unavoidable to prevent loss of life or severe property damage, or
- ii. Where excessive storm drainage or run off would damage any facilities necessary for compliance with the terms and conditions of this Consent. The applicant shall immediately notify the consent issuing authorities in writing of each such diversion or by-pass in accordance with the procedure specified above for reporting non-compliance.

17. Industry/Institute/mine management shall submit the information online through XGN in reference to compliance of consent conditions.

CONDITIONS PERTAINING TO AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT 1981 :-

1. The applicant shall operate and maintain air pollution control system to achieve the level of pollutants to the following standards:-

Name of section	Capacity	Control equipment to be installed	SPM/RSPM/SO ₂ /NO _x (Time weighted Average)* (µg/Nm ³)
Loading-unloading, Haul road, Transportation etc,	Fugitive Emission	Dust Collector, Dust Suppressor, Green Belt, Water Sprinkler, Wind Breaking Wall,	Annual average : 430 / 215/80/80 24 hour average : 600/300/120/120

2. The Ambient air quality norms are prescribed in MoEF gazette notification no. GSR/826(E), dated: 16/11/09. Some of the parameters are as follows:

- Particulate Matter (less than 10 micron) - 100 µg/m³ (PM10 µg/m³ 24 hrs. basis)
- Particulate Matter (less than 2.5 micron) - 60 µg/m³ (PM2.5 µg/m³ 24 hrs. basis)
- Sulphur Dioxide [SO₂] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
- Nitrogen Oxides [NO_x] (24 hrs. Basis) - 80 µg/m³
- Carbon Monoxide [CO] (8 hrs. Basis) - 2000 µg/m³

3. The industry shall take adequate measures for control of noise level generated from industrial activities within the premises less than 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

4. The industry/unit shall make the necessary arrangements for control of the fugitive emission from any source of emission/section/activities.

5. All other fugitive emission sources such as leakages, seepages, spillages etc shall be ensured to be plugged or sealed or made airtight to avoid the public nuisance.

6. The industry/ unit shall ensure all necessary arrangements for control of odour nuisance from the industrial activities or process within premises

7. All the internal roads shall be made pucca to control the fugitive emissions of particulate matter generated due to transportation and internal movements. Good housekeeping practices shall be adopted to avoid leakages, seepages, spillages etc.

8. Industry shall take effective steps for extensive tree plantation preferably in 03 rows of the local tree species with minimum spacing of 2X2 meters within or around the industry/unit premises for general improvement of environmental conditions and as stated in below.

Sector Specific Air condition:-

- Controlled blasting should be practiced with the use of delay detonators and only during daytime. The mitigative measures for control of ground vibrations and to arrest the fly rocks and boulders should be implemented. Only wet drilling of holes shall be practiced.
- Extensive tree plantation shall be carried out in open area available within and around the mine premises and also over burden dumps in consultation with expert agency; Good housekeeping practice shall be adopted.
- The mine management shall take preventive measures to control Fugitive dust emission from all the sources should be controlled effectively and duly monitored.
- Water spraying arrangement on haul roads, dump trucks (loading & unloading) point should be provided and properly maintained.
- Mines management shall have to make suitable arrangement for handling and disposal of solid waste, over burden etc.
- Vehicular emissions should be kept under control and regularly monitored for compliance of emission norms. Vehicles used for transporting the mineral should be covered with tarpaulins and optimally loaded.

GENERAL CONDITIONS:

1. The non hazardous solid waste arresting in the industry/unit/unit premises sweeping, etc. be disposed off scientifically so as not to cause any nuisance/pollution. The applicant shall take necessary permission from civic authorities for disposal to dumping site. If required.

Non Hazardous Solid wastes:-

Type of waste	Quantity	Disposal
Scrap/ Plastic packing material wood, card board, gunny bags etc		Re-Use/Sale to M.P. Pollution Control Board's authorized party

2. The applicant shall allow the staff of Madhya Pradesh Pollution Control Board and/or their authorized representative, upon the representation of credentials:

- a. To inspect raw material stock, manufacturing processes, reactors, premises etc to perform the functions of the Board.
- b. To enter upon the applicant's premises where an effluent source is located or in which any records are required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- c. To have access at reasonable times to any records required to be kept under the terms and conditions of this Consent.
- d. To inspect at reasonable times any monitoring equipment or monitoring method required in this Consent: or,
- e. To sample at reasonable times any discharge or pollutants.

3. This consent / authorisation is transferable in nature, in case of any change in ownership / management, the new owner / partner / directors / proprietor shall immediately apply for the consent with new requisite information.

4. The issuance of this Consent does not convey any property rights in either real or personal property or any exclusive privileges, nor does it authorise any invasion of personal rights, nor any infringement of Central, State or local laws or regulations.

5. This consent is granted in respect of Water pollution control Act 1974 or Air Pollution Control act, 1981 or Authorization under the provisions of Hazardous and other Waste (Management & Transboundary movement) Rules 2016 only and does not relate to any other Department/Agencies. License required from other Department/Agencies have to be obtained by the unit separately and have to comply separately as per there Act / Rules.

6. Balance consent/authorisation fee, if any shall be recoverable by the Board even at a later date.

7. The applicant shall submit such information, forms and fees as required by the board not later than 180 day prior to the date of expiration of this consent/authorisation

8. Knowingly making any false statement for obtaining consent or compliance of consent conditions shall result in the imposition of criminal penalties as provided under the section 42(g) of the Water Act or section 38 (g) of the Air Act.

9. After notice and opportunity for the hearing, this consent may be modified, suspended or revoked by the Board in whole or in part during its term for cause including, but not limited to, the following:

- (a) Violation of any terms and conditions of this Consent.
- (b) Obtaining this Consent by misrepresentation of failure to disclose fully all relevant facts.
- (c) A change in any condition that requires temporary or permanent reduction or elimination of the authorized discharge.

10. This consent may not be taken as a measures of proof that mine has not violated pollution control law at any period of time in the past.

11. Mine Management shall comply with all the relevant Acts/Rules, directions, guidelines issued by MoEF/CPCB/ MPPCB from time to time as required and (if applicable).

12. Mine Management shall comply with the direction of Hon'ble Supreme Court, National Green Tribunal & Hon;ble High Court issued in the relevant writ petitions.

13. Mine shall have to close down the mining activities in case there in any public complaint regarding health & environmental degradation and Board find the facts correct and direct the mine to do so at any time.

14. On violation of any of the above-mentioned conditions the consent granted will automatically be taken as canceled and necessary action will be initiated against the industry.

Consent/authorization as required under the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, The Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 is granted to your industry subject to fulfillment of all the conditions mentioned above. For renewal purpose you shall have to make an application to this Board through XGN at least Six months before the date of expiry of this consent/authorisation. The applicant without valid consent (for operation) of the Board shall not bring in to use any outlet for the discharge of effluent and gaseous emission.

For and on behalf of
By the order of Chairman, MPPCB
M.P. Pollution Control Board



ACHYUT ANAND MISHRA
Member Secretary



(Organic Authentication on AADHAR from UIDAI Server)
TPAV # 4B2MBSRS1D

46

Consent No:AW-61103

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-निवाड़ी म0प्र0

क्रमांक/794 /खनिज/2024
प्रति,

निवाड़ी दिनांक:-27.12.2024

क्षेत्रीय प्रमुख,

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सागर

संभाग-सागर म0प्र0

विषय:- मेसर्स एस.के. मिनरल्स पता-प्रथम तल, चेतक काम्पलेक्स जोन-2 एम.पी. नगर भोपाल म0प्र0 के संबंध में।

—00—

1. स्वीकृत उत्खनिपट्टा बाघाट के खसरा नंबर 551/5/1 व 552/3 का विवरण- ग्राम बाघाट के खसरा नंबर 551/5/1 व 552/3 रकबा 7.600 हे0 पर मे0 डी.जी. माईनिंग प्रा.लि. पता-158, जोन-11 एम.पी. नगर भोपाल के पत्र में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के आदेश क्रमांक 1218 दिनांक 27.07.2018 के द्वारा ग्रेनाईट खनिज हेतु 30 वर्ष के लिए उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया गया। जिसमें पट्टेदार द्वारा अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वीकृति, एवं जलवायु की सम्मति प्राप्त करने के पश्चात एवं भू-प्रवेश की अनुमति के बाद ग्रेनाईट का खनन स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर प्रारम्भ किया गया। ग्राम बाघाट के खसरा नंबर 551/5/1 एवं 552/3 रकबा 7.600 हे0 पर मे0 डी.जी. माईनिंग प्रा.लि. के पत्र में स्वीकृति उत्खनिपट्टा का अंतरण संचालक प्रशासन तथा खनिकर्म के आदेश क्रमांक 10618-21 दिनांक 14.08.2023 के द्वारा मेसर्स एस.के. मिनरल्स पता-प्रथम तल, चेतक काम्पलेक्स जोन-2 एम.पी. नगर भोपाल के पक्ष में कर दिया गया। जिसमें भीगीदारों के आपसी विवाद के कारण प्रकरण राज्य शासन में लम्बित है।

2. ग्राम बाघाट तहसील व जिला निवाड़ी के भूमि खसरा नंबर 551/5/1, 552/2 रकबा 7.600हे0 पर 30 वर्ष के लिए स्वीकृत खदान में निम्नलिखित कमियां पाई गई

- डेडरेंट:- वर्ष 2023 (आधा) एवं 2024 का डेडरेंट जमा नहीं पाया गया जो म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30(1)(क) का उल्लंघन है।
- स्वीकृत उत्खनिपट्टा में 06 माह की अवधि से अधिक समय से खनन सक्रिय नहीं की गई जो म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30(7)का उल्लंघन है।
- बोर्ड व मुनारे:- स्वीकृत क्षेत्र में खदान का विवरण दर्शाने वाला बोर्ड एवं मुनारे नहीं पाए गए जो म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30(7)का उल्लंघन है।
- खदान में सुरक्षा हेतु तार फेंसिंग नहीं पाई गई जो एन.जी.टी के आदेश का उल्लंघन है।

खदान में उक्त उल्लंघन पाए जाने पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 702/खनिज/2024 निवाड़ी दिनांक 27.11.2024 को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया जिसके संबंध में पट्टाधारी द्वारा दिनांक 24.12.2024 को समक्ष में प्रस्तुत होकर उल्लेख किया गया कि बकाया डेडरेंट के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण प्रचलित है, मा0 उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हमें मान्य होगा। तथा खदान में खनन सक्रिय संचालित है, हमारे द्वारा खदान में खनिज उत्पादन किया जाता है, इस संबंध में नवम्बर 2024 तक के मासिक

पत्रक भेजे जा चुके हैं, खदान का विवरण दर्शाने वाला बोर्ड लगा दिया गया तथा मुनारे भी बने हैं, किन्तु कुछ मुनारे जो क्षतिग्रस्त हो गये थे, किन्तु कुछ मुनारे जो क्षतिग्रस्त हो गये थे, उन्हें दुरुस्त कर लिया गया है, खदान में सुरक्षा हेतु तार फेंसिंग लगाई गई है, एवं गेट भी लगा हुआ है।

➤ संलग्न— उपरोक्तानुसार

3. **स्वीकृत उत्खनिपट्टा बीजोर खसरा नम्बर 1469 का विवरण—** ग्राम बीजोर के खसरा नम्बर 1469 रकवा 3.29 हे० पर ग्राम पंचायत, राजस्व तथा वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1584 दिनांक 26.09.2018 के द्वारा मे० डी.जी. बुन्देलखण्ड ग्रेनाईट एल.एल.पी. पता—158, थर्ड फ्लोर, जोन—II एम.पी. नगर भोपाल के पक्ष में ग्रेनाईट खनिज हेतु पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई। जिसमें पट्टेदार द्वारा भू-प्रवेश के उपरान्त पूर्वक्षण कार्य करने के बाद उत्खनिपट्टा का आवेदन प्रस्तुत किया। जिसे संचालक प्रशासन तथा खनिकर्म के पत्र क्रमांक 5879 दिनांक 28.04.2022 के द्वारा 30 वर्ष हेतु ग्रेनाईट खनिज के लिए उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया गया।

संलग्न— B

स्वीकृत उत्खनिपट्टा बीजोर खसरा नम्बर 1467 का विवरण—

3. ग्राम बीजोर के खसरा नम्बर 1467 रकवा 6.960 हे० पर ग्राम पंचायत राजस्व तथा वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक 1585 दिनांक 26.09.2018 के द्वारा मे० डी.जी. बुन्देलखण्ड ग्रेनाईट एल.एल.पी. पता—158, थर्ड फ्लोर, जोन—II एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) के पत्र में ग्रेनाईट खनिज हेतु पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई। जिसमें भू-प्रवेश के उपरान्त पूर्वक्षण कार्य करने के बाद पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर संचालक प्रशासन तथा खनिकर्म द्वारा आदेश क्रमांक 7370 दिनांक 25.05.2022 के द्वारा ग्रेनाईट खनिज हेतु 30 वर्ष का उत्खनिपट्टा स्वीकृत किया गया।

संलग्न— C


4. ग्राम बीजोर के खसरा नम्बर 1469 रकवा 3.290 एवं खसरा नम्बर 1467 रकवा 6.960 हे० पर स्वीकृत उत्खनिपट्टा में वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलन में होने के कारण अनुबंध नहीं हुआ है पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अनुबंध कराया जाता है। अतः पट्टेदार द्वारा उक्त क्षेत्र में सीमा चिन्ह एवं खदान का विवरण दर्शाने वाला बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है। पट्टेदार द्वारा उक्त कार्यवाही अनुबंध के पश्चात की जाती है।

संलग्न— D

प्रभारी अधिकारी (खनि शाखा)
जिला—निवाड़ी म०प्र०



ગામ - ઢાલિય
 નં. ૧૧૭



- ① ગામ ઢાલિય વાંચીત સ્થાન નં. ૧૧૭ ના ૧૪૬૭ ના અંશ ૩.૨૯૦ હો ના અંશ ૧૪૬૭
- ② ગામ ઢાલિય વાંચીત સ્થાન નં. ૧૧૭ ના ૧૪૬૭ ના અંશ ૩.૨૯૦ હો ના અંશ ૧૪૬૭
- ③ ગામ ઢાલિય વાંચીત સ્થાન નં. ૧૧૭ ના ૧૪૬૭ ના અંશ ૩.૨૯૦ હો ના અંશ ૧૪૬૭

ગામ - ઢાલિય
 નં. ૧૧૭

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-निवाडी म०प्र०

कमाक/702/खनिज/2024

निवाडी, दिनांक-27.11.2024

कारण बताओं सूचना पत्र

प्रति,

मै० डी०जी० माईनिंग प्रा०लि०
पता- 158, थर्ड फ्लोर, जोन-2
एम०पी० नगर भोपाल (म०प्र०)

विषय:- उत्खनिपट्टा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में।

—00—

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके पक्ष में ग्राम बाघाट तहसील व जिला निवाडी के भूमि खसरा नंबर 551/5/1, 552/3 रकवा 7.600 हे० क्षेत्र पर 30 वर्ष की अवधि के लिये उत्खनिपट्टा स्वीकृत है। आपके द्वारा खदान के संबंध में निम्नांकित कमियां पाई गई जो निम्नानुसार है:-

1. डेडरेट:- स्वीकृत उत्खनिपट्टा में आपके द्वारा वर्ष 2023 (आधा) एवं 2024 का डेडरेट जमा नहीं किया गया जो म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30(1)(क) का उल्लंघन है।
2. स्वीकृत उत्खनिपट्टा में आपके द्वारा 6 माह की अवधि से अधिक समय से खनन सक्रियाएं नहीं की गई जो म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30(07) का उल्लंघन है।
3. बोर्ड एवं मुनारे:- स्वीकृत क्षेत्र में खदान का विवरण दर्शाने वाला बोर्ड एवं मुनारे नहीं पाए गए। जो म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 30(11) का उल्लंघन है।
4. खदान में सुरक्षा हेतु तार फेंसिंग नहीं पाई गई जो एन.जी.टी. के आदेश का उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कारण बताओं सूचना पत्र के संबंध में 30 दिवस के अंदर समाधान कारक जवाब प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरुद्ध म०प्र० गौण खनिज नियम 1966 के नियम 30(26) के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

27/11/24

(लोकेश कुमार जागिड)

कलेक्टर
जिला-निवाडी म०प्र०
जिला-निवाडी (म.प्र.)



SK MINERALS

307
24/12/2024

प्रति,

दिनांक 24/12/2024

कलेक्टर महोदय,
खनिज शाखा,
जिला निवाडी (म0प्र0)

विषय:- उत्खनिपट्टा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में ।

सन्दर्भ:- कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 702/खनिज/2024 दिनांक 27-11-2024

महोदय,

विषयांतर्गत जिला निवाडी के ग्राम बाघाट के खसरा क्रमांक 551/5/1 , 552/3 के कुल रकवा 7.600 हेक्टेयर क्षेत्र पर ग्रेनाइट उत्खनिपट्टा खदान मेसर्स डीजी माइनिंग प्रा.लि. के नाम से स्वीकृत थी , जिसे मेसर्स एसके मिनरल्स के पक्ष में अंतरण किया गया है । कृपया संदर्भित कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27-11-2024 के बिन्दुओं पर जानकारी निम्नानुसार है:-

1- यह कि स्वीकृत उत्खनिपट्टा में वर्ष 2023(आधा) एवं वर्ष 2024 का डेडरेंट जमा नहीं होना उल्लेखित किया गया है , तत्संबंध में निवेदन है कि बकाया डेडरेंट के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण प्रचलित है, मा0 उच्च न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हमें मान्य होगा ।

2- यह कि खदान में खनन सक्रियता संचालित है, हमारे द्वारा खदान में खनिज उत्पादन किया जाता है, इस संबंध में माह नवम्बर 2024 तक के मासिक पत्रक भेजे जा चुके हैं ।

3- यह कि स्वीकृत क्षेत्र में खदान का विवरण दर्शाने वाला बोर्ड लगा हुआ है तथा मुनारे भी बने हैं , किन्तु कुछ मुनारे जो क्षतिग्रस्त हो गये थे, उन्हें दुरुस्त कर लिया गया है। फोटो संलग्न है।

4- यह कि खदान में सुरक्षा हेतु तार फेंसिंग लगाई गई है , एवं गेट भी लगा हुआ है । फोटो संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार जानकारी प्रस्तुत है, कृपया निवेदन है कि कारण बताओ सूचना पत्र समाप्त करने की कृपा करें ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(एम.के.मीना)

मैनेजिंग पार्टनर

अंतरण ग्रहिता मे0 एस के मिनरल्स

Corporate Office :

First Floor, Chetak Complex, Near FCI Building,
Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.) 462011

Mob.: 9754552861

Email: manish.krishna2014@gmail.com

आवेदक मेसर्स डी०जी० माइनिंग प्रा० लिमिटेड पता- 158, जोन-II, एम०पी० नगर, भोपाल (म०प्र०) द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) में दिनांक 03.10.2015 को ग्राम बाघाट तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के भूमि खसरा नम्बर 551/5/1, 552/3 कुल रकबा 18.670 हे० के अंश रकबा 7.600 हेक्टेयर पर खनिज ग्रेनाइट के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति बाबत आवेदन 02 वर्ष के लिये म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 9(1) के तहत नय सहपत्रों सहित निर्धारित फार्म-बी में प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त कार्यालयीन आदेश क्रमांक 11/खनिज/तीन-6/2016/269 दिनांक 05.04.2016 द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गयी। मेसर्स डी०जी० माइनिंग प्रा० लिमिटेड पता- 158, जोन-II, एम०पी० नगर, भोपाल (म०प्र०) द्वारा रजिस्टर्ड क्वालीफाईड पर्सन (आर०क्यू०पी०) द्वारा प्रोस्पेक्टिंग रिपोर्ट निर्धारित समयवधि 02 वर्ष के अंदर तैयार कर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) में प्रस्तुत की गयी।

आवेदक मेसर्स डी०जी० माइनिंग प्रा० लिमिटेड पता- 158, जोन-II, एम०पी० नगर, भोपाल (म०प्र०) के द्वारा ग्राम बाघाट तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के भूमि खसरा नम्बर 551/5/1, 552/3 कुल रकबा 18.670 हे० के अंश रकबा 7.600 हेक्टेयर पर खनिज ग्रेनाइट उत्खनि पट्टा हेतु, म०प्र० गौण खनिज नियमावली 1996 के प्रारूप-1 नियम-9 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र दिनांक 14.02.2017 को प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्राप्त आवेदन की जांच वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल टीकमगढ़, तहसीलदार एवं खनिज निरीक्षक टीकमगढ़ एवं ग्राम पंचायत से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किये गये, तथा सहायक मानचित्रकार से क्षेत्र उपलब्धता का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जिसमें उनके द्वारा 7.600 हे० क्षेत्र उपलब्धता होना लेख किया गया है उक्त विभागों द्वारा आवेदक को खनिज पत्थर उत्खनि पट्टा स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित अनापत्ति प्रतिवेदन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

अतः उपरोक्त जांच प्रतिवेदनों के परीक्षण उपरान्त म०प्र० गौण खनिज नियमावली-1996 के नियम-6 अनुसूची -एक (छः) एवं म.प्र. राजपत्र दिनांक 19.04.2010 में दिये गये प्रावधान अनुसार नीचे दी गई शर्तों का सन्नावेश करते-हुये आवेदक मेसर्स डी०जी० माइनिंग प्रा० लिमिटेड पता- 158, जोन-II, एम०पी० नगर, भोपाल (म०प्र०) को ग्राम बाघाट तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के भूमि खसरा नम्बर 551/5/1, 552/3 कुल रकबा 18.670 में से संलग्न नक्शा में चिन्हित रकबा 7.600 हेक्टेयर उपलब्ध क्षेत्र अनुसार खनिज ग्रेनाइट उत्खनि पट्टा 30 वर्षों की अवधि के लिये पट्टा स्वीकृत किया जाता है।

-:: शर्तें ::-

- 1- आवेदक द्वारा म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 में जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 23.03.2013 के अनुसार आवेदित क्षेत्र की अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत की जा चुकी है। उक्त का पालन करना बंधनकारी होगा।
- 2- म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 42 (अ) (6) के अनुसार वित्तीय प्रतिभूति की राशि 15000/- रु० प्रति हे० की दर से जमा करना होगी।
 - (i) किसी अधिसूचित बैंक से गारंटी, फिक्सड डिपोजिट।
 - (ii) नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट।

- 3- भू-प्रवेश की अनुमति के पूर्व DEIAA/SEIAA से पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त करना होगी।
- 4- म0प्र0 गौण खनिज नियम-1996 के प्रावधानों तथा ग्रेनाइट विकास व संरक्षण नियम 1999 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
- 5- म0प्र0 गौण खनिज नियम-1996 के नियम-29 के अंतर्गत डेडरेन्ट की राशि प्रथम वर्ष निल द्वितीय तथा तृतीय वर्ष रू0 30000.00 प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर के मान से एवं चतुर्थ वर्ष से प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष रू0 40000.00 के मान से 20 जनवरी तक डेडरेन्ट की राशि अग्रिम रूप से जमा करना होगी।
- 6- उत्खनि पट्टे की भूमि का वार्षिक सतहकर 5.00 रुपये प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर के मान से 35.00 रुपये प्रतिवर्ष 20 जनवरी तक अग्रिम जमा करना होगा।
- 7- अनुबंध निष्पादन कराने के पूर्व नियम-25 के अंतर्गत दस हजार रुपये प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
- 8- यह कि उत्खनि पट्टा का धारक उत्खनन संक्रियाओं के करते समय पर्यावरण का संरक्षण और प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए म0प्र0 गौण खनिज नियम-1996 के नियम 44,45,46 में वर्णित सावधानियां बरतेगा।
- 9- प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में पट्टाधारी को म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर से खदान की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 10- यह कि उत्खनि पट्टा का धारक प्रारूप-19 में संबंधित जिले के कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का खदान करार के निष्पादन के दिनांक से 60 दिवस की कालावधि के भीतर पर्यावरण प्रबंधन की एक स्कीम ऐसे प्रस्ताव को समाविष्ट करते हुए जिसमें उत्खनन संक्रियाओं द्वारा अस्त व्यस्त भूमि के अनुक्रमिक सुधार, पुनरूद्धार तथा वृक्षारोपण के लिए एक स्कीम वायु और पानी के प्रदूषण एवं नियंत्रण की प्रस्तुत करेगा।
- 11- अनुबंध निष्पादन के पूर्व 2 वर्ष के अनिवार्य भाटक के बराबर की राशि अर्थात् 280000/- (शब्दों में दो लाख अस्सी हजार रू0 मात्र) रुपये का प्रति-मू धंधपत्र प्रारूप-छ: में सम्यक रूप से भरकर या बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करेगा।
- 12- खदान क्षेत्र के उत्खनित किये गये खनिज पर नियम-29 के अनुसूची तीन में निर्धारित दर अनुसार रायल्टी जमा करना होगी।
- 13- नियम- 29(1) के अंतर्गत खनिज की निकासी किये जाने के पूर्व नियमानुसार अग्रिम रायल्टी जमा कर खनिज परिपत्र (रायल्टी बुक) प्राप्त करना होगी।
- 14- नियम 30(घ) के अंतर्गत देय राशि नियत समय पर भुगतान न करने पर समस्त भुगतानों के लिये 24 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करना होगा।
- 15- नियम 30(3) म0प्र0 गौण खनिज नियमावली 1996 के प्रावधानों के अनुसार राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का-(II)वें अधीन समय समय पर यथा विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी भुगतान नहीं करेगा।
- 16- यह कि कटिंग पालीशिंग उद्योग स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में ही यथा संभव स्थापित करना होगा, यदि कोई व्यवहारिक कठिनाई आती है, तो जहाँ उद्योग स्थापित किया जावेगा उस ग्राम पंचायत/ग्राम सभा से सहमति प्रस्ताव प्राप्त कर कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत कर उद्योग स्थापित करने की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- 17- पट्टेदार शासन से प्राप्त सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण यथा खनिज निकासी की तारीख शुदा मात्रा, खपत मात्रा ऐसे खनिजों से प्राप्त मूल्य क्रेता क

नाम, प्राप्त धन की रसीदें तथा श्रमिकों की नियोजित संख्या का सही हिसाब रखेगा तथा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को लेखा और अभिलेखों की जांच करने की अनुमति देगा। प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक पत्रक प्रारूप 10 में प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार जून एवं दिसम्बर में 6 माह का अर्धवार्षिक पत्रक प्रारूप 11 में जुलाई व जनवरी की 15 तारीख तक प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वर्ष का वार्षिक पत्रक प्रारूप 12 में 31 जनवरी तक प्रस्तुत करेगा। उक्त पत्रक प्रस्तुत न करने की स्थिति में नियम 30(20) के उल्लंघन के कारण उक्त नियम के नियम 30(27) के तहत वार्षिक अनिवार्य भाटक के रकम को दुगुनी रकम के बराबर शारित भुगतान करने की अपेक्षा की जावेगी।

- 18- म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 में निहित प्रावधानों तथा उत्खनि पट्टा से संबंधित राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों, नियमों एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा उसके पालन न करने की दशा में उत्खनि पट्टा निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।
- 19- इस स्वीकृति के संबंध में किसी भी प्रकार का अपालन/विसंगति शासन निर्देश अथवा न्यायालयीन प्रकरण आदि के प्रकाश में पाई जाती है तो यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 20- आदेश जारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर, प्रारूप-सात में पट्टा विलेख निष्पादित और भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा और जहां पूर्वोक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है, तो पट्टा मंजूर करने वाला आदेश प्रतिसंहत (रिवोक) किया गया समझा जावेगा।
- 21- आवश्यक अनुमतियों के बिना यदि उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उक्त पट्टा निरस्त माना जायेगा।

25/7/2018
कलेक्टर

ज़िला टीकमगढ़

पृ० क्रमांक 11/खनिज/तीन-6/11/2018/1218
प्रतिलिपि:-

टीकमगढ़ दिनांक 27.07.2018

1. संचालक, भूमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0, 29 ए, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ
2. वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दीनदयाल नगर, सागर की ओर सूचनार्थ
4. अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी की ओर सूचनार्थ।
5. तहसीलदार, निवाड़ी की ओर सूचनार्थ।
6. खनिज निरीक्षक, टीकमगढ़।
7. सहायक मानचित्रकार, खनिज शाखा टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ।
8. आवेदक मेसर्स डी0जी0 माइनिंग प्रा० लिमिटेड पता- 158, जोन-II, एन0पी0 न भोपाल (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25/7/18

कलेक्टर

ज़िला टीकमगढ़

संघालयानय
भौतिकी तथा खनिज,
मध्यप्रदेश

29-ए. "खनिज भण्ड", अरेश हिल्स, भोपाल
फोन एवं फैक्स - 0755-2551799
E-mail: bhupatna@nic.in

आदेश

भोपाल, दिनांक.....


क्रमांक / खनिज / 03040 / भोपाल-21 / 2022, कार्यालय मध्यप्रदेश (खनिज-शाखा) जिला
निवाड़ी के पत्र क्रमांक 894 / 2022 दिनांक 10-09-2022 से पर्यटनकारी मेसर्स डी० जी० माईनिंग
प्रा० लि० डायरेक्टर श्री दिलीप कुमार गुप्ता, पता 159 जॉन-2, एम० पी० नगर भोपाल को ग्राम
वाघाट, तहसील एवं जिला निवाड़ी की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 551/5/1 एवं 552/3
कुल रकबा 7.600 हे० क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाईट का उत्खनिपट्टा 30 वर्ष तक अवधि दिनांक
07-09-2018 से 06-09-2048 स्वीकृत होकर अनुबधित है।

2- उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टा को पर्यटनकारी द्वारा व्यक्तिगत कारणों से संचालन नहीं कर पाने
से उक्त खदान को मेसर्स एस० के० मिनरल्स पार्टनर (1) श्री मुनेश कुमार मीना, (2) श्री
देवनारायण मीना, (3) श्री रविकुमार मीना, (4) श्री ध्यानचंद मीना एवं (5) श्री प्रमोद कुमार मीना
को अंतरण किये जाने हेतु दिनांक 03-12-2021 को आवेदन पत्र मय शपथ पत्र से प्रस्तुत किया
गया है। आवेदक मेसर्स डी० जी० माईनिंग प्रा० लि०, डायरेक्टर श्री दिलीप कुमार गुप्ता, 159
जॉन-2, एम० पी० नगर भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 35 के
प्रावधान के अंतर्गत के तहत अंतरण शुल्क 48,00,000/- चालान क्रमांक
051/999999/0853/05/22/011201 दिनांक 24-05-2022 से जमा की गई है।

3- मेसर्स एस० के० मिनरल्स पार्टनर (1) श्री मुनेश कुमार मीना, (2) श्री देवनारायण मीना, (3) श्री
रविकुमार मीना, (4) श्री ध्यानचंद मीना एवं (5) श्री प्रमोद कुमार मीना द्वारा कलेक्टर निवाड़ी के
समक्ष मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 35 के प्रावधानों के तहत सपथपूर्वक सहमति
पत्र प्रस्तुत कर उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टा को शेष अवधि के लिये अनुरोध पत्र में उल्लेखित
समस्त शर्तों एवं दायित्वों को स्वीकार करने की सहमति देते हुये हस्तारण में प्राप्त करने का
अनुरोध किया गया है।

4- उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टा वर्तमान में कार्यशील है। मेसर्स डी० जी० माईनिंग प्रा० लि०
डायरेक्टर श्री दिलीप कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में कोई बकाया होने संबंधी
प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

5- मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम-35 के अंतर्गत मेसर्स डी० जी० माईनिंग प्रा०
लि० डायरेक्टर श्री दिलीप कुमार गुप्ता के पक्ष में ग्राम वाघाट, तहसील एवं जिला निवाड़ी की
शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 551/5/1 एवं 552/3 कुल रकबा 7.600 हे० क्षेत्र पर खनिज
ग्रेनाईट का उत्खनिपट्टा 30 वर्ष की अवधि दिनांक 07-09-2018 से 06-09-2048 को शेष
अवधि हेतु अंतरण की अनुमति मेसर्स एस० के० मिनरल्स पार्टनर (1) श्री मुनेश कुमार मीना, (2)
श्री देवनारायण मीना, (3) श्री रविकुमार मीना, (4) श्री ध्यानचंद मीना एवं (5) श्री प्रमोद कुमार मीना
के पक्ष में किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।



अतः प्रकरण में आवश्यक परीक्षण एवं पूर्ण विचारोपरान्त एवं मध्यप्रदेश गाँव खनिज नियम 1996 के नियम 6 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त पट्टाधारी मेसर्स डी0 जी0 माईनिंग प्रा0 लि0 अगरेक्टर श्री दिलीप कुमार गुप्ता (प्रथम पक्ष/अंतरक) के पक्ष में ग्राम गाघाट, तहसील एवं जिला निवाड़ी की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 551/5/1 एवं 552/3 कुल रकबा 7.600 हे0 क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट स्वीकृत उत्खनिपट्टा को 50प्र0 गाँव खनिज नियम, 1996 के नियम- 35(1) के प्रावधानों के तहत शेष अयधि के लिये मेसर्स एस0 के0 मिनरल्स (अंतरिती/द्वितीय पक्ष) पार्टनर (1) श्री मुनेश कुमार मीना, (2) श्री देवनारायण मीना, (3) श्री रविकुमार मीना, (4) श्री ध्यानचंद मीना एवं (5) श्री प्रमोद कुमार मीना के पक्ष में अंतरण/हस्तांतरण की अनुमति प्रदान की जाती है।

मेसर्स एस0 के0 मिनरल्स (अंतरिती/द्वितीय पक्ष) पार्टनर जो निम्नानुसार है-

क्र०	पार्टनर का नाम	पता
01	श्री मुनेश कुमार मीना पिता श्री रतन लाल मीना, उम्र-43 वर्ष	डी-403, सिमरघर रेसीडेन्सी, जे0के0 हॉस्पिटल, कोलार रोड भोपाल 46900
02	श्री देवनारायण मीना पिता श्री राजजड मीना, उम्र-43 वर्ष	विजयपुरा, सवाईमाधोपुर, राजस्थान-322001
03	श्री रविकुमार मीना पिता श्री मूल चन्द्र मीना, उम्र- 28 वर्ष	एमएलए की धानी खानद, त-रामगढ़ पंचवारा बरह बरवा दोसा, राजस्थान, 303503
04	श्री ध्यानचंद मीना पिता श्री मूल चन्द्र मीना, उम्र-52 वर्ष	रामगढ़ पंचवारा बरह बरवा दोसा, राजस्थान, 303510
05	श्री प्रमोद कुमार मीना पिता श्री बाबूलाल मीना, उम्र-59 वर्ष	धानी हवाल, राजवारा सरसिह, दासा, राजस्थान, 303004

मेसर्स एस0 के0 मिनरल्स को मध्यप्रदेश गाँव खनिज नियम 1996 के नियम 35(3) के अनुसार अंतरण पट्टा का विलेख जारी आदेश दिनांक 03 माह के भीतर अंदर नियमानुसार निर्धारित प्रल्प में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुबंध कराते हुये भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। जहां उपरोक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है तो उत्खनिपट्टा मन्जूरी का यह आदेश प्रतिसंहता (Revoke) समझा जायेगा। आवश्यक खनन शक्तियाए प्राप्त किये जानें से पूर्व अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं लागू विधियों के अधीन सभी आवश्यक सम्मति, अनुमोदन, अनुमति, अनुज्ञा आदि अधिप्राप्त करेगा। विभाग द्वारा मूल स्वीकृत आदेश में उल्लेखित शर्तें बंधावत रहेगी।


/ संचालक
(प्रशासन एवं खनिकी)
भोपाल, दिनांक 14/08/23

क्रमांक 10/08-21/खनिज/उ0प0/ न0.109-21/2022
प्रतिलिपि-

1. अगरेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी की ओर पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (मूल अभिलेख पंचायत संलग्न)
2. मेसर्स एस0 के0 मिनरल्स, पार्टनर (1) श्री मुनेश कुमार मीना, (2) श्री देवनारायण मीना, (3) श्री रविकुमार मीना, (4) श्री ध्यानचंद मीना एवं (5) श्री प्रमोद कुमार मीना पता- प्रथम तल, झेलक कामपलेक्स, जॉन-2, एम0 पी0 नगर भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

—2—

3. मेसर्स डी० जी० माईनिंग प्रा० लि०, डायरेक्टर श्री दिलीप कुमार गुप्ता 158 ज़ोन-2, एम० पी० नगर भोपाल को सूचनार्थ।


संबालक
(प्रशासन एवं सैनिकी)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक / 11 / खनि / तीन-6 / 2018 / 1584

टीकमगढ़, दिनांक 26-9-18

// आदेश //

आवेदक मेसर्स डी0जी0 बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-11 एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0) द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.06.2018 को ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1469 के कुल रकवा 6.192 हे0 पर ग्रेनाइट खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति बाबत आवेदन दो वर्ष के लिये म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 (2) (क) के तहत मय सहपत्रों सहित निर्धारित फार्म '22' में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन की स्थल जांच तहसीलदार निवाड़ी, वनमण्डलाधिकारी टीकमगढ़, प्र0खनिज निरीक्षक, मानचित्रकार तथा ग्राम पंचायत आदि की रिपोर्ट एवं अनापत्ति प्राप्त की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

आवेदित क्षेत्र की उपलब्धता के संबंध में वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल टीकमगढ़, तहसीलदार निवाड़ी, प्र0खनिज निरीक्षक टीकमगढ़, सहा0 मानचित्रकार खनिज शाखा टीकमगढ़ एवं ग्राम पंचायत बीजोर से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। आम जनता / ग्रामवासियों को जानकारी हेतु इस्तहार का प्रकाशन किया गया। विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

वन मण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल टीकमगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1469 रकवा 6.192 हे0 क्षेत्र की स्थल जांच वनपरिक्षेत्राधिकारी निवाड़ी द्वारा की गयी जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, आवेदित क्षेत्र राजस्व क्षेत्र है, तथा नजदीकी वन सीमा कक्षा क्रमांक पी-194 वी से 1350 मी0 की दूरी पर है। आवेदित क्षेत्र से 10 कि0मी0 की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण एवं घोषित जैव विविधता क्षेत्र नहीं आता है।

तहसीलदार निवाड़ी द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि, उक्त क्षेत्र ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1469 रकवा 6.192 हे0 का स्थल निरीक्षण हल्का पटवारी द्वारा किया गया। जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, उक्त आवेदित क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, उक्त आवेदित क्षेत्र शासकीय भूमि है। उक्त क्षेत्र से रेलवे लाईन 15.00 कि0मी0, नदी 5.00 कि0मी0 एवं आबादी 20.00 मी0 की दूरी पर है।

प्र0खनिज निरीक्षक टीकमगढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि, उक्त खसरा नम्बर से ग्रामीण/राज्य/राष्ट्रीय मार्ग (कच्चा मार्ग लगभग 20 मी0) एवं आबादी 20 मी0 लगभग की दूरी पर स्थित है। पुल/रेलवे लाईन/नदी/नाला/ नहर/ जलीय/बांध/ सार्वजनिक/ धार्मिक स्थल/ सार्वजनिक उपयोग की भूमि/ मरघट प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं आता है। आवेदक मेसर्स डी0जी0 बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-11 एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0) को ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1469 रकवा 6.192 हे0 क्षेत्र खनिज ग्रेनाइट के लिये म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधान अनुसार आवेदक को प्रतिबंधित दूरियां छोड़कर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति दिया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम पंचायत बीजोर द्वारा अपने प्रस्ताव द्वारा मेसर्स डी0जी0 बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-11 एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0) को

E: B

Ans

उक्त भूमि 1469 रकवा 6.192 हे० क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट हेतु पट्टा दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

सहायमानचित्रकार द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि, प्राप्त आवेदन नवीन आवेदन है उक्त क्षेत्र पर पूर्व से कोई आवेदन लंबित नहीं है। आवेदक मेसर्स डी०जी० बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल०एल०पी० पार्टनर एम०के० मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-II एम०पी० नगर भोपाल (म०प्र०) का आवेदित क्षेत्र ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1469 रकवा 6.192 हे० क्षेत्र मंदिर से 2.100 हे० तथा प्र०खनि निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र आबादी से रकवा 0.802 हे० क्षेत्र छेने जाने के पश्चात के अंश रकवा 3.290 हे० पर खनिज ग्रेनाइट पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है।

आवेदन पत्र पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति हेतु उक्त पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2018 में समस्त जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पूर्ण विचारोपरांत एवं अधोलिखित विवरण अनुसार ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1469 रकवा 6.192 हे० क्षेत्र के अंश रकवा 3.290 हे० पर खनिज ग्रेनाइट की अनुज्ञप्ति ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियम (कन्जर्वेशन एण्ड डेवलपमेंट रूल्स 1999 के नियम (5) की सारिणी क्रमांक (2) अनुसार व निम्नांकित शर्तों के अधीन 02 वर्ष के लिये स्वीकृत की जाती है।

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | आवेदक का नाम | मेसर्स डी०जी० बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल०एल०पी० पार्टनर एम०के० मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-II एम०पी० नगर भोपाल (म०प्र०) |
| 2. | आवेदित क्षेत्र | ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1469 रकवा 6.192 हे० |
| 3. | स्वीकृत क्षेत्र | ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1469 रकवा 3.290 हे० |
| 4. | खनिज का नाम | ग्रेनाइट |
| 5. | अवधि | 02 वर्ष (दो वर्ष) |
| 6. | भू-परिमाण | थ्रियोडोलाईट सर्वे यदि आवश्यक हो तो। |
| 7. | खनिज बकाया | अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि आवेदक के ऊपर कोई खनिज राजस्व बकाया तो नहीं है। |
| 8. | ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियम 1999 | नियमों का पालन करना होगा। |
| 9. | वन संरक्षण अधिनियम | यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आवेदक के पक्ष वर्णित स्वीकृत क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान से प्रभावित तो नहीं होता है। |

यदि आवेदक को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हो तो इस पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत दिनांक से तीन माह के अंदर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुबंध कराते हुये भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन पंजीयन कराना होगा। जहां उपरोक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है तो पट्टा मंजूरी का यह आदेश प्रतिसंहृत समझा जावेगा।

26/9/18
कलेक्टर

ज़िला टीकमगढ़

पृ०कमांक / 11 / खनि / तीन-6 / 2018 / 15 3.4

टीकमगढ़, दिनांक 26-9-2018

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. 29-एअरेरा हिल्स भोपाल।
2. तहसीलदार, निवाड़ी की ओर सूचनार्थ। "
3. खनिज निरीक्षक टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ।
4. मेसर्स डी०जी० बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल०एल०पी० पार्टनर एम०के० मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-II एम०पी० नगर भोपाल (म०प्र०)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

26/9/18
कलेक्टर

ज़िला टीकमगढ़

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक /11/खनि/तीन-8/2018/1585

टीकमगढ़, दिनांक 26/9/2018

// आवेदना //

आवेदक मेसर्स डी0जी0 बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-11 एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0) द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.06.2018 को ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1467 के कुल रकवा 6.960 हे0 पर ग्रेनाइट खनिज के पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति बाबत आवेदन दो वर्ष के लिये म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 (2) (क) के तहत मय सहपत्रों सहित निर्धारित फार्म '22' में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन की स्थल जांच तहसीलदार निवाड़ी, वनमण्डलाधिकारी टीकमगढ़, प्र0खनिज निरीक्षक, मानचित्रकार तथा ग्राम पंचायत आदि की रिपोर्ट एवं अनापत्ति प्राप्त की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

आवेदित क्षेत्र की उपलब्धता के संबंध में वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल टीकमगढ़, तहसीलदार निवाड़ी, प्र0खनि निरीक्षक टीकमगढ़, सहा0 मानचित्रकार खनिज शाखा टीकमगढ़ एवं ग्राम पंचायत बीजोर से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। आम जनता /ग्रामवासियों को जानकारी हेतु इशतहार का प्रकाशन किया गया। विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

वन मण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल टीकमगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1467 रकवा 6.960 हे0 क्षेत्र की स्थल जांच वनपरिक्षेत्राधिकारी निवाड़ी द्वारा की गयी जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, आवेदित क्षेत्र राजस्व क्षेत्र है, तथा नजदीकी वन सीमा कक्षा क्रमांक पी-194 बी से 1155 मी0 की दूरी पर है। आवेदित क्षेत्र से 10 कि0मी0 की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण एवं घोषित जैव विविधता क्षेत्र नहीं आता है।

तहसीलदार निवाड़ी द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि, उक्त क्षेत्र ग्राम बीजोर, तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1467 रकवा 6.960 हे0 का स्थल निरीक्षण हल्का पटवारी द्वारा किया गया। जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, उक्त आवेदित क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, उक्त आवेदित क्षेत्र शासकीय भूमि है। उक्त क्षेत्र से रेलवे लाईन 15.00 कि0मी0, नदी 5.00कि0मी0, सड़क 200मी0 एवं आबादी 15 मी0 की दूरी पर है।

प्र0खनि निरीक्षक टीकमगढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि, उक्त खसरा नम्बर से ग्रामीण/राज्य/राष्ट्रीय मार्ग (कच्चा मार्ग लगभग 10 मी0), सार्वजनिक/धार्मिक स्थल (आंगनवाड़ी 100 मी0) एवं आबादी 15 मी0 लगभग की दूरी पर स्थित है। पुल/रेलवे लाईन/नदी/नाला/नहर/जलीय/बांध/सार्वजनिक उपयोग की भूमि/मरघट प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं आता हैं। आवेदक मेसर्स डी0जी0 बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-11 एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0) को ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1467 रकवा 6.960 हे0 क्षेत्र खनिज ग्रेनाइट के लिये म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधान अनुसार आवेदक को प्रतिबंधित दूरियां छोड़कर पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति दिया जाना प्रस्तावित है।

Ated
26/9/18

ग्राम पंचायत बीजोर द्वारा अपने प्रस्ताव द्वारा मेसर्स डी०जी० बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल०एल०पी० पार्टनर एम०के० मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-11 एम०पी० नगर भोपाल (म०प्र०) को उक्त भूमि 1467 रकवा 6.960 हे० क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट हेतु पट्टा दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

सहायमानचित्रकार द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि, प्राप्त आवेदन नवीन आवेदन है उक्त क्षेत्र पर पूर्व से कोई आवेदन लंबित नहीं है। आवेदक मेसर्स डी०जी० बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल०एल०पी० पार्टनर एम०के० मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-11 एम०पी० नगर भोपाल (म०प्र०) का आवेदित क्षेत्र ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1467 रकवा 6.710 हे० क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है।

आवेदन पत्र पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु उक्त पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र दिनांक 30.08.2018 में समस्त जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी हैं। अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पूर्ण विचारोपरांत एवं अधोलिखित विवरण अनुसार ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1467 के कुल रकवा 6.960 हे० के अंश रकवा 6.710 पर खनिज ग्रेनाइट की अनुज्ञप्ति ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियम (कन्जर्वेशन एण्ड डेवलपमेंट रूल्स 1999 के नियम (5) की सारिणी क्रमांक (2) अनुसार व निम्नांकित शर्तों के अधीन 02 वर्ष के लिये स्वीकृत की जाती है।

- | | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 1. | आवेदक का नाम | मेसर्स डी०जी० बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल०एल०पी० पार्टनर एम०के० मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-11 एम०पी० नगर भोपाल (म०प्र०) |
| 2. | आवेदित क्षेत्र | ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1467 रकवा 6.960 हे० |
| 3. | स्वीकृत क्षेत्र | ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1467 रकवा 6.710 हे० |
| 4. | खनिज का नाम | ग्रेनाइट |
| 5. | अवधि | 02 वर्ष (दो वर्ष) |
| 6. | भू-परिमाण | थियोडोलाइट सर्वे यदि आवश्यक हो तो। |
| 7. | खनिज बकाया | अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि आवेदक के ऊपर कोई खनिज राजस्व बकाया तो नहीं है। |
| 8. | ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियम 1999 | नियमों का पालन करना होगा। |
| 9. | वन संरक्षण अधिनियम | यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि आवेदक के पक्ष वर्णित स्वीकृत क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान से प्रभावित तो नहीं होता है। |

AWB
26/9/18

यदि आवेदक को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हो तो इस पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत दिनांक से तीन माह के अंदर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुबंध कराते हुये भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन पंजीयन कराना होगा। जहां उपरोक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है तो पट्टा मंजूरी का यह आदेश प्रतिसंहत समझा जावेगा।

26/9/18
कलेक्टर

ज़िला टीकमगढ़

पृ०कमांक /11/खनि/तीन-6/2018/1585

टीकमगढ़, दिनांक 26-9-18

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. 29-ए.अरेरा हिल्स भोपाल।
2. तहसीलदार, निवाड़ी की ओर सूचनार्थ।
3. खनिज निरीक्षक टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ।
4. मेसर्स डी०जी० बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल०एल०पी० पार्टनर एम०के० मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-II एम०पी० नगर भोपाल (म०प्र०)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

26/9/18
कलेक्टर

ज़िला टीकमगढ़

ANNEXURE A-7

संचालनालय
भौगिकी तथा खनिकर्ग मध्यप्रदेश
29-ए, "खनिज भवन", अरेय हिल्स, भोपाल (म0प्र0)
फोन एवं फैक्स : 0755-2551795
e-mail : dirgeomn@mp.nic.in

क्रमांक /एम.पी./सेल-8/ न.क्र.2/2022 भोपाल, दिनांक
प्रति,

मेसर्स डी.जी. माईनिंग प्रा0लि0
पता- 158, जोन-2 एम.पी. नगर,
जिला भोपाल म0प्र0

विषय : जिला टीकमगढ़ तहसील निवाड़ी के ग्राम बाघाट पर स्वीकृत खनिज ग्रेनाईट खसरा क्रमांक 551/5/1, 552/3 (भाग) रकबा 7.600 हेक्टेयर क्षेत्र पर मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 42 के अधीन प्रस्तुत खनन स्कीम का अनुमोदन।

संदर्भ : आपके आरख्यूपी द्वारा तैयार कर प्रस्तुत खनन योजना दिनांक 07.6.2022 एवं एम.पी.आई.डी. नं. 35225 दिनांक 01.4.2022

उपरोक्त संदर्भ एवं विषयांतर्गत मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 42 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन तथा राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 19-3/2016/12/1 दिनांक 04.04.2016 के अनुरूप एतद्वारा जिला टीकमगढ़ तहसील निवाड़ी के ग्राम बाघाट पर स्वीकृत खनिज ग्रेनाईट खसरा क्रमांक 551/5/1, 552/3 (भाग) रकबा 7.600 हेक्टेयर क्षेत्र पर पट्टाधारी मेसर्स डी.जी. माईनिंग प्रा0लि0 के पक्ष में स्वीकृत उत्खनन पट्टा की खनन स्कीम का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

- 1) इस खनन स्कीम का अनुमोदन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लागू किये गये कानूनों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
- 2) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस खनन स्कीम के अनुमोदन में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 अथवा खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 एवं वन (संरक्षण) नियमावली, 1981 सहित दूसरे अन्य कानूनों के किन्हीं अन्य प्रावधानों के लिए किसी भी प्रकार से सरकार का अनुमोदन समाविष्ट नहीं होता है।
- 3) इस खनन स्कीम का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी अन्य आदेश या निर्देश पर प्रभाव डाले बिना किया गया है।
- 4) आपका ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश क्रमांक इब्ल्यू.पी.(सी) क्रमांक 202/95, दिनांक 12.12.1996 की ओर अनुपालन हेतु आकर्षित किया जाता है। अतः इस माईनिंग स्कीम का अनुमोदन न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देश पर प्रभाव डाले बिना किया गया है।

5) a) Provisions of the Mines Act, 1952 and Rules and/Regulations made there under including submission of notice of opening, appointment of Manager and other statutory order as required by Mines Act, 1952 shall be complied with.

b) The execution of Mining Scheme of Mining shall be subject to vacation of prohibitory orders/notices, if any.

c) If anything is found to be concealed as required by the Mines Act in the contents of the mining Scheme and the proposal for rectification has not been made the approval shall be deemed to have been withdrawn with immediate effect.

6) Yearly report as required under Rule-42 of Madhya Pradesh Minor Mineral Rule, 1996 setting forth the extent of protection and rehabilitation works carried out as envisaged in the approved progressive mine closure plan and if there any deviation reasons thereof shall be submitted before 1st July of every year to the concerned Collector and Directorate of Geology and Mining, Madhya Pradesh.

7) The Financial Assurance submitted by you as per earlier existing Rule (MCDR, 1988) with IBM is required to be transferred to concerned Collector for statutory compliance as per MPMMR, 1996.

8) At any stage, if it is observed that the information furnished in the document are incorrect or misrepresent facts, the approval of the document shall be revoked with immediate effect.

9) The next Scheme of mining will be due for submission on 120 days before the date of expiry of validity period of this Plan.

10) The approval is given for the received proposals and is applicable from the date of approval.

11) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 42 के अनुसार खान में खनन कार्य अनुमोदित खनन स्कीम के अनुसार किया जाये इस हेतु खान मालिक खनन स्कीम की एक प्रति अपनी खान पर स्थित कार्यालय में अनिवार्य रूप से रखेगा साथ ही खान के खनन अभियंता, खान प्रबंधक या अन्य कोई जवाबदार व्यक्ति जो कि खान से संबंधित समस्त कार्यों का प्रभारी हो, को उसके दिन प्रतिदिन क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध करायेगा, जिससे खनन कार्य अनुमोदित खनन स्कीम के अनुरूप किया जा सके।

12) As per Madhya Pradesh State Government's order dated 10/08/2011 if there is enhancement of production proposed from that in the approved mining Scheme. Under such circumstances additional stamp duty has to be paid by the lessee for the enhanced quantum of production and also a supplementary agreement has to be executed by the lessee.

13) a) A copy of Environment Impact Assessment-Environment Management Plan (EIA-EMP) as approved by MoEF (Ministry of Environment & Forests) as per notification dated 14.09.2006 if required shall be submitted to this office as well as office of the concerned Collector immediately after approval by MoEF alongwith a copy of their approval letter, before commencement of Mining operation.

b) A copy of consent/permission issued under above notification shall be submitted to this office as well as office of the concerned Collector immediately after approval by authority.

- 14) बैरियर जोन में उत्खनन कार्य/खनन संक्रिया प्रतिबंधित रहेगी तथा नियमानुसार प्रतिषेध क्षेत्र में कोई खनन संक्रिया नहीं की जाएगी।
- 15) मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- 16) उपरोक्तानुसार अनुमोदित खनन स्कीम की दो प्रतियाँ संलग्न कर निर्देशित किया जाता है, कि एक प्रति कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- 17) It is also made clear that the georeferenced co-ordinates mentioned in mining scheme shall be corroborated by the executing authority and any mismatch or discrepancy of coordinates with the field demarcation/lease boundary shall hold lessee & RQP responsible & liable and accordingly action shall be taken against them.

संलग्न : अनुमोदित खनन स्कीम की दो प्रतियाँ।

पृ.क्रमांक 6086-88
प्रतिलिपि :- एम.पी./सेल-8/ न.क्र.2/2022,

संचालक (तकनीकी)
भोपाल, दिनांक 19/5/23

1. कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मान्यता प्राप्त व्यक्ति (आर.क्यू.पी.), श्री राममिलन पाठक, हाऊस नं. 109, शिवलोक ग्रीन्स, फेस-6, गोपाल नगर, जिला भोपाल (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आई.टी. शाखा, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक (तकनीकी)
18/5/23

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)
टीकमगढ़ दिनांक 27-7-2018
दिनांक 11/खनिज/तीन-6/2018/1218
आदेश

आवेदक मेसर्स डी०जी० माइनिंग प्रा० लिमिटेड पता- 158, जोन-11, एम०पी० नगर, भोपाल (म०प्र०) द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) में दिनांक 03.10.2015 को ग्राम बाघाट तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के भूमि खसरा नम्बर 551/5/1, 552/3 कुल रकबा 18.670 हे० के अंश रकबा 7.600 हेक्टेयर पर खनिज ग्रेनाइट के पूर्वक्षण अनुज्ञापि बाबत आवेदन 02 वर्ष के लिये म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 9(1) के तहत मय सहपत्रों सहित निर्धारित फार्म-बी में प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्रों की जांच उपरांत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 11/खनि/तीन-6/2016/269 दिनांक 05.04.2016 द्वारा पूर्वक्षण अनुज्ञापि स्वीकृत की गयी। मेसर्स डी०जी० माइनिंग प्रा० लिमिटेड पता- 158, जोन-11, एम०पी० नगर, भोपाल (म०प्र०) द्वारा रजिस्टर्ड क्वालीफाईड पर्सन (आर०क्यू०पी०) द्वारा प्रोस्पेक्टिंग रिपोर्ट निर्धारित समयावधि 02 वर्ष के अंदर तैयार कर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) में प्रस्तुत की गयी।

आवेदक मेसर्स डी०जी० माइनिंग प्रा० लिमिटेड पता- 158, जोन-11, एम०पी० नगर, भोपाल (म०प्र०) के द्वारा ग्राम बाघाट तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के भूमि खसरा नम्बर 551/5/1, 552/3 कुल रकबा 18.670 हे० के अंश रकबा 7.600 हेक्टेयर पर खनिज ग्रेनाइट उत्खनि पट्टा हेतु, म०प्र० गौण खनिज नियमावली 1996 के प्रारूप-1 नियम-9 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र दिनांक 14.02.2017 को प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्राप्त आवेदन की जांच वन मण्डलाधिकारी वनमण्डल टीकमगढ़ तहसीलदार एवं खनिज निरीक्षक टीकमगढ़ एवं ग्राम पंचायत से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किये गये, तथा सहायक मानचित्रकार से क्षेत्र उपलब्धता का प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जिसमें उनके द्वारा 7.600 हे० क्षेत्र उपलब्धता होना लेख किया गया है उक्त विभागों द्वारा आवेदक को खनिज पत्थर उत्खनि पट्टा स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित अनापत्ति प्रतिवेदन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

अतः उपरोक्त जांच प्रतिवेदनों के परीक्षण उपरांत म०प्र० गौण खनिज नियमावली-1996 के नियम-6 अनुसूची -एक (डू) एवं म.प्र. राजपत्र दिनांक 19.04.2010 में दिये गये प्रावधान अनुसार नीचे दी गई शर्तों का समावेश करते-हुये आवेदक मेसर्स डी०जी० माइनिंग प्रा० लिमिटेड पता- 158, जोन-11, एम०पी० नगर, भोपाल (म०प्र०) को ग्राम बाघाट तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के भूमि खसरा नम्बर 551/5/1, 552/3 कुल रकबा 18.670 में से संलग्न नक्शा में चिन्हित रकबा 7.600 हेक्टेयर उपलब्ध क्षेत्र अनुसार खनिज ग्रेनाइट उत्खनि पट्टा 30 वर्षों की अवधि के लिये पट्टा स्वीकृत किया जाता है।

-:: शर्तें ::-

- 1- आवेदक द्वारा म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 में जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 23.03.2013 के अनुसार आवेदित क्षेत्र की अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत की जा चुकी है। उक्त का पालन करना बंधनकारी होगा।
- 2- म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 42 (अ) (6) के अनुसार वित्तीय प्रतिभूति की राशि 15000/- रु० प्रति हे० की दर से जमा करना होगी।
 - (i) किसी अधिसूचित बैंक से गारंटी, फिक्साड डिपोजिट।
 - (ii) नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट।

- 3- भू-प्रवेश की अनुमति के पूर्व DEIAA/SEIAA से पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त करना होगी।
- 4- म0प्र0 गौण खनिज नियम-1996 के प्रावधानों तथा ग्रेनाइट विकास व संरक्षण नियम 1999 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
- 5- म0प्र0 गौण खनिज नियम-1996 के नियम-29 के अंतर्गत डेडरेन्ट की राशि प्रथम वर्ष निल द्वितीय तथा तृतीय वर्ष रू0 30000.00 प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर के मान से एवं चतुर्थ वर्ष से प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष रू0 40000.00 के मान से 20 जनवरी तक डेडरेन्ट की राशि अग्रिम रूप से जमा करना होगी।
- 6- उत्खनि पट्टे की भूमि का वार्षिक सतहकर 5.00 रुपये प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर के मान से 35.00 रुपये प्रतिवर्ष 20 जनवरी तक अग्रिम जमा करना होगा।
- 7- अनुबंध निष्पादन कराने के पूर्व नियम-25 के अंतर्गत दस हजार रुपये प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।
- 8- यह कि उत्खनि पट्टा का धारक उत्खनन संक्रियाओं के करते समय पर्यावरण का संरक्षण और प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए म0प्र0 गौण खनिज नियम-1996 के नियम 44,45,46 में वर्णित सावधानियां बरतेगा।
- 9- प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में पट्टाधारी को म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर से खदान की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- 10- यह कि उत्खनि पट्टा का धारक प्रारूप-19 में संबंधित जिले के कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का खदान करार के निष्पादन के दिनांक से 60 दिवस की कालावधि के भीतर पर्यावरण प्रबंधन की एक स्कीम ऐसे प्रस्ताव को समाविष्ट करते हुए जिसमें उत्खनन संक्रियाओं द्वारा अस्त व्यस्त भूमि के अनुक्रमिक सुधार, पुनरुद्धार तथा वृक्षारोपण के लिए एक स्कीम वायु और पानी के प्रदूषण एवं नियंत्रण की प्रस्तुत करेगा।
- 11- अनुबंध निष्पादन के पूर्व 2 वर्ष के अनिवार्य भाटक के बराबर की राशि अर्थात् 280000/- (शब्दों में दो लाख अस्सी हजार रू0 मात्र) रुपये का प्रति-भू बंधपत्र प्ररूप-छ: में सम्यक रूप से भरकर या बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करेगा।
- 12- खदान क्षेत्र के उत्खनित किये गये खनिज पर नियम-29 के अनुसूची तीन में निर्धारित दर अनुसार रायल्टी जमा करना होगी।
- 13- नियम- 29(1) के अंतर्गत खनिज की निकासी किये जाने के पूर्व नियमानुसार अग्रिम रायल्टी जमा कर खनिज परिपत्र (रायल्टी बुक) प्राप्त करना होगी।
- 14- नियम 30(घ) के अंतर्गत देय राशि नियत समय-पर भुगतान न करने पर समस्त भुगतानों के लिये 24 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करना होगा।
- 15- नियम 30(3) म0प्र0 गौण खनिज नियमावली 1996 के प्रावधानों के अनुसार राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का-(II)के अधीन समय समय पर यथा विहित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी भुगतान नहीं करेगा।
- 16- यह कि कटिंग पालीशिंग उद्योग स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में ही यथा संभव स्थापित करना होगा, यदि कोई व्यवहारिक कठिनाई आती है, तो जहाँ उद्योग स्थापित किया जावेगा उस ग्राम पंचायत/ग्राम सभा से सहमति प्रस्ताव प्राप्त कर कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत कर उद्योग स्थापित करने की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- 17- पट्टेदार शासन से प्राप्त सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण यथा खनिज निकासी की तारीख शुदा मात्रा, खपत मात्रा ऐसे खनिजों से प्राप्त मूल्य क्रेता का

नाम, प्राप्त धन की रसीदें तथा श्रमिकों की नियोजित संख्या का सही हिसाब रखेगा तथा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को लेखा और अभिलेखों की जांच करने की अनुमति देगा। प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक पत्रक प्रारूप 10 में प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार जून एवं दिसम्बर में 6 माह का अर्द्धवार्षिक पत्रक प्रारूप 11 में जुलाई व जनवरी की 15 तारीख तक प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वर्ष का वार्षिक पत्रक प्रारूप 12 में 31 जनवरी तक प्रस्तुत करेगा। उक्त पत्रक प्रस्तुत न करने की स्थिति में नियम 30(20) के उल्लंघन के कारण उक्त नियम के नियम 30(27) के तहत वार्षिक अनिवार्य भाटक के रकम के दुगुनी रकम के बराबर शास्ति भुगतान करने की अपेक्षा की जावेगी।

- 18- म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 में निहित प्रावधानों तथा उत्खनि पट्टा से संबंधित राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों, नियमों एवं निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा उसके पालन न करने की दशा में उत्खनि पट्टा निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।
- 19- इस स्वीकृति के संबंध में किसी भी प्रकार का अपालन/विसंगति शासन निर्देश अथवा न्यायालयीन प्रकरण आदि के प्रकाश में पाई जाती है तो यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- 20- आदेश जारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर, प्रारूप-सात में पट्टा विलेख निष्पादित और भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा और जहां पूर्वोक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है, तो पट्टा मंजूर करने वाला आदेश प्रतिसंहत (रिवोक) किया गया समझा जावेगा।
- 21- आवश्यक अनुमतियों के बिना यदि उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उक्त पट्टा निरस्त माना जावेगा।

25/7/2018
कलेक्टर

ज़िला टीकमगढ़

पृ० क्रमांक 11/खनिज/तीन-6/11/2018/1218

टीकमगढ़ दिनांक 27.07.2018

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, भूमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0, 29 ए, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दीनदयाल नगर, सागर की ओर सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी, निवाड़ी की ओर सूचनार्थ।
5. तहसीलदार, निवाड़ी की ओर सूचनार्थ।
6. खनिज निरीक्षक, टीकमगढ़।
7. सहायक मानचित्रकार, खनिज शाखा टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ।
8. आवेदक मेसर्स डी0जी0 माइनिंग प्रा० लिमिटेड पता- 158, जोन-11, एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25/7/18

कलेक्टर

ज़िला टीकमगढ़

मानचित्रकार का प्रातवदन
(मानचित्रकार द्वारा भरा जावे)

(19)

1. आवेदित क्षेत्र सुरक्षित है अथवा नहीं ? नहीं
2. आवेदित क्षेत्र पूर्व में धारित है अथवा नहीं ? नहीं
3. आवेदित क्षेत्र यदि पूर्व में धारित था तो उसका विवरण (पट्टेदार का नाम स्वीकृत अवधि, खनिज का नाम एवं क्षेत्र निरस्त होने का कारण) खनि रियायत अवधि समाप्ति के पश्चात खुला घोषित हुआ अथवा नहीं ? नहीं
4. यदि क्षेत्र खुला घोषित है तब खुला घोषित होने की सूचना अनुसार आवेदित क्षेत्र की मानचित्र की स्थिति में रकवा अभीत कम्पेन्स
5. आवेदित क्षेत्र पर पूर्व के आवेदन लंबित है अथवा नहीं ? (लंबित होने पर विस्तृत विवरण) हाँ
6. आवेदित क्षेत्र पूर्व के आवेदनों से आच्छादित होता है तब क्षेत्र उपलब्धता का मानचित्र में अंकन तथा उपलब्धता का मानचित्र में अंकन तथा उपलब्ध क्षेत्र का विवरण नहीं है
मानचित्र के आवेदन के पश्चात है
7. प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ने के उपरांत उपलब्ध क्षेत्र (निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें)

आवेदित क्षेत्र		प्रतिबंधित क्षेत्र		उपलब्ध क्षेत्र		स्वीकृति हेतु उपलब्ध क्षेत्र का योग
खसरा क्रं	रकवा (हे०)	खसरा क्रं०	रकवा (हे०)	खसरा क्रं०	रकवा (हे०)	
551/511	15.057	551/51	11.057	551/51	6.005	7.610 हे
552/13	3.613	552	2.013	552	1.600	
	18.670		13.070		7.610	

8. आवेदित क्षेत्र का इतिहास पाटल कम्पेन्स के पूर्व 2320 कम्पेन्स का क्षेत्र 551/51 पर श्री कुंजीलीला निरस्त कर आया था तब आवेदन लंबित होने के कारण क्षेत्र को खोला गया है।
9. क्षेत्र उपलब्धता संबंधी स्पष्ट अनुशंसा कम्पेन्स के तहत 51/51 का क्षेत्र को खोला गया है। 551/51 क्षेत्र 15.057 हे का क्षेत्र है जो कि 551/51 क्षेत्र के तहत 1.610 हे क्षेत्र को आवेदित करने पर उपलब्ध क्षेत्र है।

दिनांक:- 15.12.15
जयपुर जिला

हस्ताक्षर
(मानचित्रकार का नाम)
जयपुर जिला

प्रति,

कलेक्टर

जिला टीकमगढ़

(68)

विषय:- खनि रियायत हेतु आवेदित क्षेत्र स्थल जांच प्रतिवेदन।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक...1314...दिनांक...14.12.15

-000-

- (1) स्थल निरीक्षण का दिनांक:- 18.02.16
- (2) आवेदक का नाम एवं पता:- मेरस डी.जी. माइनिंग प्रा. लिमिटेड, पता-158, जोन एम.पी. नगर, भोपाल (मध्य)
- (3) आवेदित क्षेत्र का विवरण:- ग्राम- बाप्याट, तहसील- निवाड़ी खसर नं. 551/6/1, 552/3 रकबा 18.670 हे.
- (4) आवेदित क्षेत्र की भौगिकी:- कुन्देलखंड खेराइट
- (5) आवेदित क्षेत्र की स्थल आकृति:- पठार
- (6) खनि नियमों के अनुसार आवेदित क्षेत्र से प्रतिबंधित दूरी :-
 - (ए) पुल 100 मी. लगभग
 - (बी) ग्रामीण /राज्य/राष्ट्रीय मार्ग ग्रामीण कच्चा मार्ग लगभग
 - (सी) रेलवे लाइन 7.5 कि.मी.
 - (डी) नदी/नाला/नहर नदी लगी हुई है
 - (ई) जलीय/बांध तालाब लगी हुई है
 - (एफ) सार्वजनिक/धार्मिक स्थल क्षेत्र में क्षेत्र का क्षेत्र स्थल स्थित है।
 - (एच) आबादी लगी हुई है
 - (आई) सार्वजनिक उपयोग की भूमि स्कूल क्षेत्र में स्थित है।
 - (के) मरुभट स्थित क्षेत्र में स्थित नहीं
- 7) आवेदित खनिज की प्रारंभिक उपलब्धता खनिज पत्थर सतह से ही उपलब्ध है।

(8) आवेदित खनिज के आस-पास अन्य स्वीकृत खनिज रियायतों का विवरण ...

(69)

क्र०	खनिज रियायतधारी का नाम	खनिज रियायत का प्रकार	खनिज	ग्राम	खसरा क्रमांक	आवेदित क्षेत्र की दूरी

(9) आवेदित क्षेत्र नवीन है अथवा पूर्व क्षेत्र में खनन हुआ नवीन है।

(10) अन्य कोई आवश्यक जानकारी ग्रामीण कच्चा मार्ग तथा आबूदी तथा ललैया आवेदित क्षेत्र से लगता हुआ है। नदी के पूर्व दिशा में बनी है। स्कूल क्षेत्र में स्थित है। आवेदित क्षेत्र में देव स्थान स्थापित है।

(7) आवेदित क्षेत्र के संबंध में स्वीकृत/अस्वीकृत संबंधी स्पष्ट अनुशंसा अवेदित मेसर्स डी.पी. माथिंग प्रा. लिमिटेड को ग्राम बाधक-तहसील निवाड़ी स्थित भूमि खसरा नं० 551/5/1, 552/3 रकबा 18.670 हे० को खनिज ग्रेनाइट के पूर्ण शोध हेतु ग० प्र० गण खनिज नियम 1996 के अनुसार प्रतिबंधित इलाका क्षेत्र के रूप में दिशा ज्ञान अचित होगा।

स्थान:- टीकमगढ़

दिनांक:- 20.02.16

संलग्न:- पंचनामा


(अमित कुमार मिश्रा)
खनिज निरीक्षक, टीकमगढ़

पंचनामा

पंचनामा लिखा दिशा हम उपस्थित पंचनामे ने ऐसा छि आज दिनांक 18.02.16 के ग्राम लावाट तहसील निवाड़ी स्थित भूमि खलरा नं. 551/5/1, 552/3 रकबा 18.670 हे० का स्थल निरीक्षण श्रीमान् कलेक्टर महोदय जि० बीकानेर (ग०७०) के पत्र क्र० 1314 दिनांक 14.12.15 के पालन में किया गया। मौका जंग में पाया छि आवेदित क्षेत्र से रेलवे लाइन 7.5 छि०मी०, कुल ~~100~~ 100मी० लगभग दूरी पर स्थित छि। प्राचीन कुच्चा मार्ग उत्तर दिशा में, नदी पूर्व दिशा में तथा तलैया पश्चिम दिशा में लगी हुई है। आवा आवेदित क्षेत्र से लगी हुई है तथा ~~100~~ दोरा देव स्थल क्षेत्र में स्थित छि। शासकीय स्कूल क्षेत्र में स्थित छि।

पंचनामा मौके पर लिखा व पढ़कर सुनाया गया तदपश्चात् तस्मात् करवाये गये।

Mit
18.02.16
M.T.Kg

एम. जे. मीना ड०श्री रतन लाल
नि० जुलगाहर, जोपल (ग०७०)

Mit

बलवीर सिंह छिरार ड०श्री गोरे लाल
नि० पूरनपुरा, विदिशा (ग०७०)

बलवीर लिखाल

શ્રીમદ ગણા કાર્યાલય રજિસ્ટર

- (1) ગણાકાર્યાલય ના નામ : ગણાકાર્યાલય
- (2) ગણાકાર્યાલય ના સ્થાન : ગણાકાર્યાલય
- (3) ગણાકાર્યાલય ના સંજ્ઞા : ગણાકાર્યાલય
- (4) ગણાકાર્યાલય ના સંજ્ઞા : ગણાકાર્યાલય
- (5) ગણાકાર્યાલય ના સંજ્ઞા : ગણાકાર્યાલય

ક્રમ	ગણાકાર્યાલય ના નામ	ગણાકાર્યાલય ના સ્થાન	ગણાકાર્યાલય ના સંજ્ઞા
1	ગણાકાર્યાલય ના નામ	ગણાકાર્યાલય ના સ્થાન	ગણાકાર્યાલય ના સંજ્ઞા



वन मण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वन मण्डल, (मामौन गेट) टीकमगढ़ (मप्रप्र)

..fotikamgarh@mpforest.org, dfotkg@gmail.com

फोन नं.: 07683-245315 फेक्स नं.: 245315

(67)

क्रमांक/मा0चि0/2016/
प्रति,

4126

टीकमगढ़, दिनांक- 27.2.2016

कलेक्टर (खनिज)
जिला - टीकमगढ़

विषय - ग्राम बाघाट तहसील निवाड़ी की भूमि सर्वे क्रमांक 551/5/1, 552/3 रकबा 18.670 हे० ग्रेनाईट खनिज पट्टा हेतु आवेद
मंसस डी.जी. माईनिंग प्रा० लि. पता 158 जौन-2 एम.पी. नगर भोपाल म.प्र. के संबंध में अनापत्ति प्रमाण - पत्र जांच प्रतिवेद
प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ - आपका पत्र क्रमांक/11/खनिज/तीन-6/2015/1314 दिनांक 14.12.2015 ।
विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा ग्राम बाघाट तहसील निवाड़ी की भूमि सर्वे क्रमांक 551/5/1, 552/3 रकबा 18.67
हेक्टेयर का स्थल जांच प्रतिवेदन भेजने बाबत अनापत्ति चाही गई थी, जिसके संबंध में उपवनमण्डलाधिकारी निवाड़ी से जांच प्रतिवेदन चा
गया, उनके जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित क्षेत्र राजस्व है, तथा नजदीकी वनसीमा कस क्र. पी 194 पी से 1.10 कि.मी. की दूरी पर है
आवेदित क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि में कोई नेशनल पार्क, अभयारण्य एवं घोषित जैवविविधता क्षेत्र नहीं आता है।

आवेदित क्षेत्र के अक्षांश/देशांतर की जी०पी०एस० रीडिंग निम्नानुसार है -

अक्षांश	देशांतर
25°27'40.2"	78°46'40.8"
25°27'36.7"	78°46'49.4"
25°27'37.2"	78°46'21.8"
25°27'34.2"	78°46'20.9"

उक्त आवेदित क्षेत्र उत्खनि पट्टे पर स्वीकृत हेतु निम्न शर्तों के अधीन एन०ओ०सी० जारी की जाती है।

1. मा०प्र० शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 147/34/10-3 भोपाल दिनांक 12.01.2000 की कण्डिका 3.5 एवं 6 त
पालन किया जाये, जिसके अनुसार -
- अ- खदान स्वीकृत होने पर मौके पर जिला खनिज अधिकारी एवं संबंधित उप वन मण्डलाधिकारी खदान क्षेत्र का सीमांकन करेंगे। खदा
सीमा पर खदान ठेकेदार के व्यय से सीमेंट के मुनारे बनाकर उन पर क्रमवार नम्बर डाले जायेंगे। मुनारे के बनने पर पुनः खनि
अधिकारी व उप वनमण्डलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने और मुनारे सही पाये जाने के पश्चात् ही खदान ठेकेदार को उत्खनन हे
क्षेत्र का कब्जा दिया जायेगा। जिला की सूचना इस कार्यालय को भी दी जावे।
- ब- प्रत्येक माह खनिज अधिकारी अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकारी संयुक्त रूप से खदान क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रमाण - पत्र में
कि ठेकेदार द्वारा स्वीकृत खदान क्षेत्र के बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है। यदि खदान क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया जाना पा
जाये तो खदान निरस्त करने की कार्यवाही की जाये तथा इस कार्यालय को भी सूचित किया जावे।
- स- स्वीकृत खदान क्षेत्र के आस पास (2 कि०मी० की परिधि में) अवैध उत्खनन नहीं होने का दायित्व खनिज ठेकेदार का होगा। यदि
आसपास के क्षेत्र में अवैध उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना ठेकेदार द्वारा खनिज अधिकारी व वन मण्डलाधिकारी को तत्का
लिखित में दी जावेगी। इसके विपरीत स्थिति में लीज निरस्ती की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।
2. वन मार्ग से मिटटी/पत्थर की निकासी होने पर ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय से पृथक से अनुमति ली जावेगी।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 202/95 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12.12.1996 में दी गई वन की परिभाषा
अनुसार यदि क्षेत्र वन की श्रेणी में आता है तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।
4. वन सीमा से 250 मीटर की परिधि में उत्खनन कार्य पाये जाने पर यह एन.ओ.सी. निरस्त मानी जावेगी।
5. उक्त शर्तों का पालन ना होने पर इस कार्यालय द्वारा अवैध उत्खनन की सूचना देने पर इस पत्र को प्रभावहीन मानते हुये, लीज तत्का
निरस्त की जावे।

वनमण्डलाधिकारी
क्षेत्रीय वन मण्डल टीकमगढ़

टीकमगढ़, दिनांक -

क्रमांक/मा०चि०/2016/
प्रतिलिपि-

उपवनमण्डलाधिकारी निवाड़ी को आपके पत्र क्रमांक 83 दिनांक 27.01.2016 के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनाार्थ ।

वनमण्डलाधिकारी
क्षेत्रीय वन मण्डल टीकमगढ़

1319

11-2-16 कायस्थ महासचिव मन्त्री पिला टीकमगढ (सं. 10)

आंक 837 1/2/2016

दिनांक 25/1/16

श्री
कल्याण महोदय
टीकमगढ (खनिजशाखा)
टीकमगढ (सं. 4)

विषय - ग्रामवाद्या तहसील मन्त्री पिला टीकमगढ के खान. 551/51/5523 का 18670 हे. ज. खनिज शेनार हेरु खनिज-सैतल डी. जी. भाइनिंग प्र. कोरिडोर द्वारा खनिज अनुव्यापि (कमिशन) पांच वर्ष

सं- 1) मम का फर आंक 11/खनिज/सं-6/2015/134 टीकमगढ
दिनांक 14/12/15


संदर्भित फर के फल में ग्रामवाद्या के

खान. 551/51/5523 का 18670 हे. खनिज शेनार अनुव्यापि वाक पच्ची हक से पांच फरई गरी पच्ची अगुमैसलत पांच फरई विव्यापि विव्यापि प्रपत धर प्रतिवेन नकरा देवा सहित

मम. सैतल डी. जी. भाइनिंग (सं. 6) कीर एकर समुपे है।

संकेत
ग्रामवाद्या सं' नकरा देवा, जसरा खान


तहसीलदार
तहसील-निवाड़ी
मिला-टीकमगढ (सं. 10)


11.02.16
M.C.

प्रति,

कलेक्टर खनिज (शाखा)
जिला टीकमगढ़ (गोप्रो)

विषय:-

श्री. डी. जी. मडिनि व अश्विनी द्वारा आवेदित ग्राम वाहावा पओह नं० 0-3 खसरा नम्बर 551/511, 552/3 तहसील निवाडी के 18670 हे हेक्टेयर/एकड़ भूमि पर खनिज आवेदन पत्र की जानकारी निम्नानुसार है:-

- (1) क्या आवेदित क्षेत्र का गिलान पटवारी के नक्शे की चालू शीट से होता है, संलग्न नक्शा पर पटवारी के द्वारा हस्ताक्षर किये जावे। हाँ हाँ है।
- (2) आवेदित खसरा के क्षेत्र का कुल रकबा 18670 हे हे० आवेदित खसरा को रकबा 18670 हे० निस्तार हेतु सुरक्षित रकबा 16148 हे०
- (3) ग्राम का कुल रकबा 4151.259 हे० ग्राम में पशुओं की संख्या 1165 चराई के लिये सुरक्षित कुल रकबा 16148 हे०
- (4) नियमानुसार चराई हेतु सुरक्षित रकबा छोड़ने पर कितना आवेदित क्षेत्र के आसपास का पूर्व स्वीकृत रकबा शेष रहता है, खनि पट्टे/उत्खनि पट्टे, खसरा नम्बर का नक्शा एवं खसरा पंचशाला संलग्न किया जाये। खसरा पंचशाला एवं नक्शा संलग्न है।
- (5) आवेदित क्षेत्र से रेल्वे लाईन, नदी, नाला, रोड मरघट आदि की दूरी। आवेदित क्षेत्र से रेल्वे लाईन, नदी, नाला, रोड मरघट आदि की दूरी 500 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर है।
- (6) ग्राम की आबादी से आवेदित क्षेत्र की दूरी। ग्राम की आबादी से आवेदित क्षेत्र की दूरी 100 मीटर है।
- (7) आवेदित भूमि के खसरा पंचशाला का ब्यौरा खसरा पंचशाला की नकल, पटवारी, हस्ताक्षरित संलग्न किया जावे। खसरा पंचशाला नक्शा संलग्न है।
- (8) आवेदित क्षेत्र में मुख्य तथा गौण फसल का ब्यौरा तथा वार्षिक लगान। मुख्य तथा गौण फसल का ब्यौरा संलग्न है।
- (9) आवेदित क्षेत्र के निस्तार क्षेत्र होने या बत निस्तार पत्रक संलग्न किया जावे, आवेदित क्षेत्र निस्तार हेतु सुरक्षित तो नहीं है। नहीं है।
- (10) आवेदित क्षेत्र की भूमि समतल/ऊबड़-खाबड़/पहाड़ी/दो फसली/पडती आदि का ब्यौरा। समतल है।
- (11) यदि क्षेत्र में कृषि उत्पन्न होती है, तो यह स्पष्ट करे, कि खनिज से प्राप्त होने वाली आय कृषि से प्राप्त आय से कम होगा या ज्यादा। आय कृषि से प्राप्त आय से कम होगा।
- (12) क्या ग्रामवासियों को पास के जंगल में मवेशी चराई की सुविधा उपलब्ध है। हाँ हाँ है।
- (13) आवेदित क्षेत्र के विषय में ग्राम के कोटवार से मुनादी कराकर ग्रामवासियों, ग्राम पंचायत का मत प्राप्त कर संलग्न किया जाये उत्खनि पट्टा हेतु आवेदित क्षेत्र का ग्राम सभा का प्रस्ताव। ग्राम सभा का प्रस्ताव संलग्न है।

- (14) संलग्न किया जावे। क्या आवेदित क्षेत्र किसी विशेष योजना के अंतर्गत आता है। या निकट भविष्य में आने की संभावना है। अथवा अन्य विभाग द्वारा इस क्षेत्र मांगे जाने की संभावना है।
- (15) निजी भूमि के मामले में यदि भूमि अर्जित की जाती है तो क्षति पूर्ति मुआवजा का अनुमानित राशि प्रति एकड़/वर्तमान मूल्य।
- (16) भूमि स्वामी का भूमि खनिज दोहन हेतु अर्जित किये जाने पर भूमि स्वामी भूमिहीन तो नहीं हो जायेगा।
- (17) क्या भूमि स्वामी ने पहले भी अन्य प्रकरण में अपनी सहमति दी है, यदि हां तो नाम व पता।
- (18) अशासकीय भूमि के मामले में निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी दे-
 (क)-फसल का नाम-एक फसली का रकबा-
 (ख)-भूमिस्वामी की सहमति है या नहीं
 (ग)-क्या क्षेत्र पडती है यदि हां तो कितने वर्षों से
 (घ)-क्या भूमि रहन या गिरवी है।
 (द)-आवेदित क्षेत्र में पेड़ों की स्थिति,बाग या फलदार वृक्ष राष्ट्रीय वनोपज की संख्या
 (च)-भूमि स्वामी हरिजन या आदिवासी है-
 (छ)-भूमि स्वामी के पास कुल कितनी भूमि है-
 (ज)-शासन द्वारा भूमि स्वामी का भूमि वांछित (अलाटेड) तो नहीं की गई है।
- (19) आवेदित क्षेत्र माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका क्रं० 202/95 में परिभाषित वन श्रेणी के अंतर्गत तो नहीं आता है।
- (20) यदि आवेदित क्षेत्र में खनि रियायत स्वीकृति कर दी जाती है। तो अन्य कोई वैधानिक अडचन तो न होगी तर्क सहित स्पष्ट करे।
- (21) आवेदित क्षेत्र नया है या पूर्व में इसी क्षेत्र पर खनि पट्टा/उत्खनि पट्टा/पूर्वक्षण अनुज्ञापित स्वीकृत था।
- (22) अन्य आवश्यक जानकारी।

सहपत्र:- मानचित्र
उदघोषणा-पत्र



(67) 1
आवेदित क्षेत्र पट्टा है। शासन के किसी विशेष योजना में नहीं है।
आवेदित क्षेत्र शासकीय पट्टा है।
आवेदित क्षेत्र शासकीय पट्टा है।

नहीं है।
आवेदित क्षेत्र शासकीय पट्टा है।
नहीं है।
आवेदित क्षेत्र शासकीय पट्टा है।
नहीं है।
आवेदित क्षेत्र शासकीय पट्टा है।
नहीं है।
आवेदित क्षेत्र शासकीय पट्टा है।
नहीं है।

नहीं आयेगी।
अर्जित क्षेत्र तथा है।
आवेदित क्षेत्र शासकीय पट्टा है।

पटवारी...
ग्राम...
पहल नं०...
तहसील...

(73)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक / 11 / खनि / तीन-6 / 2016 / 269

टीकमगढ़, दिनांक 5-4-2016

// आदेश //

आवेदक मेसर्स डी0जी0 माइनिंग प्रा0 लिमिटेड पता- 158, जोन-II, एम0पी0 नगर, भोपाल (म0प्र0) द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 03.10.2015 को ग्राम बाघाट तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ म.प्र. के खसरा नंबर 551/5/1, 552/3 रकबा 18.670 हे0 पर ग्रेनाइट खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति बाबत आवेदन दो वर्ष के लिये म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम-21 (2) (क) के तहत मय सहपत्रों सहित निर्धारित फार्म '22' में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन की स्थल जांच तहसीलदार निवाड़ी, वनमण्डलाधिकारी टीकमगढ़, खनिज निरीक्षक / मानचित्रकार तथा ग्राम समा आदि की रिपोर्ट एवं अनापत्ति प्राप्त की गई है, जिसमें मानचित्रकार द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 15.12.2015 में प्रतिवेदित किया है कि प्राप्त आवेदन पत्र के पूर्व एक आवेदन खसरा नम्बर 551/5/1 पर श्री दुर्गालीला मिनरल्स जयपुर का आवेदित लंबित है, जो निराकरण हेतु संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म म0प्र0 भोपाल की ओर निराकरण हेतु भेजा गया है। आवेदक आवेदक मेसर्स डी0जी0 माइनिंग प्रा0 लिमिटेड पता-158, जोन II, एम0पी0नगर, भोपाल (म0प्र0) का आवेदन प्रथम आवेदक श्री दुर्गालीला मिनरल्स जयपुर का क्षेत्र खसरा क्रमांक 551/5/1 रकबा 15.057 हे0 में से रकबा 6.000 हे0 उपलब्ध क्षेत्र से आच्छादित होता है। खसरा नम्बर 552 रकबा 3.613 हे0 में से मात्र 1.600 हे0 कुल एकत्र रकबा 7.600 हे0 क्षेत्र प्रतिबंधित दूरियों को छोड़ने पर उपलब्ध होता है। उक्त क्षेत्र पर मेसर्स डी0जी0 माइनिंग प्रा0 लिमिटेड पता-158, जोन II, एम0पी0नगर, भोपाल (म0प्र0) का आवेदन पत्र पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु उक्त पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र दिनांक 03.10.2015 में सगरस्त जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इस आशय का शपथ पत्र दिनांक 02.03.2016 को प्रस्तुत किया गया है कि, बाघाट तहसील निवाड़ी के भूमि खसरा नम्बर 551/5/1 रकबा 15.057 हे0 क्षेत्र पर मेसर्स दुर्गालीला मिनरल्स जयपुर द्वारा प्रस्तुत आवेदन वर्ष 2012 से कोई रुचि न लेने के कारण एवं जांच रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण पट्टा का निराकरण हेतु संचालक, महोदय भोपाल की ओर भेजा गया है। इसमें किसी भी प्रकार का निर्णय संचालक महोदय द्वारा लिया जाता है तो मुझे स्वीकार होगा इस आशय के आधार पर प्रार्थी को उक्त क्षेत्र पर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने की कृपा करे। म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 में संशोधित नियम 10.04.2010 से आवेदित क्षेत्र पर ग्रेनाइट खनिज की खनि रियायत स्वीकृति के अधिकार कलेक्टर को है।

अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एवं शपथ पत्र अनुसार पूर्ण विचारोंपरंत एव अधोलिखित विवरण अनुसार ग्राम बाघाट तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ म.प्र. के खसरा नंबर 551/5/1, 552 एकत्रित रकबा 7.600 हे0 क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट की अनुज्ञप्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन 02 वर्ष के लिये स्वीकृत की जाती है।

1. आवेदक का नाम डी0जी0 माइनिंग प्रा0 लिमिटेड पता- 158, जोन-II, एम0पी0 नगर, भोपाल (म0प्र0)
2. स्वीकृत क्षेत्र ग्राम बाघाट तहसील निवाड़ी जिला टीकमगढ़ म.प्र.

F: Barsi in

(54)

3. खनिज का नाम
 4. अवधि
 5. भू-परिमाण
 6. खनिज बकाया
 7. गेनार्डिट संरक्षण एवं निवारण नियम 1999
 8. वन संरक्षण अधिनियम
 9. शपथ पत्र दिनांक 02.03.2016 अनुसार संचालक महोदय द्वारा उक्त खसरा क्रमांक 551/5/1 पर जो भी निर्णय होगा वह मुझे स्वीकार है।
- यदि आवेदक को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हो तो इस पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत दिनांक से तीन माह के अंदर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुबंध कराते हुये भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन पंजीयन कराना होगा। जहां उपरोक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है तो पट्टा मंजूरी का यह आदेश प्रतिसहृत समझा जावेगा।



कलेक्टर
जिला टीकमगढ़

पू0क्रमांक / 11 / खनि / तीन-6 / 2016 / 269
प्रतिलिपि:-

टीकमगढ़, दिनांक 5.4.2016

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. 29-ए अरेरा हिल्स गोपाल।
2. तहसीलदार निवाडी की ओर सूचनार्थ।
3. खनिज निरीक्षक टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ।
4. डी0जी0 माइनिंग प्रा0 लिमिटेड पता- 158, जौन-II, एम0पी0 नगर, गोपाल (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



कलेक्टर
जिला टीकमगढ़



KHASRA MAP

RF 1:4000 SCALE

ગામના કાબજીયાત : ગુજરાત સરકાર
 તથા ગામના કાબજીયાત : ગામના
 કાબજીયાત : ગામના
 ગામના કાબજીયાત : ગામના
 ગામના કાબજીયાત : ગામના
 ગામના કાબજીયાત : ગામના



ગામના કાબજીયાત : ગામના
 ગામના કાબજીયાત : ગામના
 ગામના કાબજીયાત : ગામના



ગામના કાબજીયાત : ગામના
 ગામના કાબજીયાત : ગામના
 ગામના કાબજીયાત : ગામના



KHASRA MAP	
APRIL 197	સર્વે દા. નંબર/વિ.નંબર/સ.નંબર
MIRZOL	ગામના
ASLA	ગામના
VILLAGE	સાલકા
WARD	સાલકા
DISTRICT	ત્રિવંદ્રા
STATE	ગુજરાત
SCALE	1:4000

INDEX
પાના



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र


ई पंजीकरण संख्या	MP421162018A1667492
पंजीकरण की तिथि	27/09/2018
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के विन्ट करने की तिथि	27/09/2018
संपत्ति का मूल्य (यदि लागू है)	9347999.99
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	290040
पंजीयन शुल्क (रुपये)	259582
कुल स्टाम्प शुल्क (रुपये)	380720
उप पंजीयक का नाम	AZIZ KHAN
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उपपंजीयक कार्यालय टीकमगढ़

नाम श्री अभिजीत अग्रवाल जी
पिता/पति का नाम
पता कलेक्टर निवास टीकमगढ़, तहसील व जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश, भारत

संगठन का नाम मेसर्स डी.जी. मार्किंग प्रा. लिमिटेड
अधिकृत व्यक्ति का नाम श्री मुनेश पुनार मीन
पता 158, जोन-II, एम.पी. नगर भोपाल मध्यप्रदेश।, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed
by Aziz Khan
Date: 2018.09.27
18:19:28 IST

उप पंजीयक के हस्ताक्षर



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



पट्टादाता - श्री अभिजीत अग्रवाल जी (कलेक्टर महोदय, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश)

पट्टाधारी- मेसर्स डी.जी. माइनिंग प्रा. लिमिटेड, पता- 158, जोन-II, एम.पी. नगर भोपाल मध्यप्रदेश। पैन कार्ड नम्बर AAFCD4707M द्वारा डायरेक्टर श्री मुनेश कुमार मीना पुत्र श्री रतनलाल मीना, आयु 41 वर्ष, निवासी कोलार रोड भोपाल मध्यप्रदेश (पैन कार्ड नम्बर-ALOPM4978N)

प्रीमियम NA

अतिरिक्त प्रीमियम 2,80,000/- (दो लाख अस्सी हजार रुपये)

वार्षिक किराया 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार रुपये मात्र)

रायल्टी 12,08,000/- (बारह लाख आठ हजार रुपये) प्रति वर्ष

डेड रेंट 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार रुपये मात्र) प्रति वर्ष

व्येयध् अन्य अधिभार 40/- (चालीस रुपये मात्र) प्रति वर्ष

प्रति टन वार्षिक रॉयल्टी 609/- रुपये

प्रति वर्ष कुल टन उत्खन्न मात्रा 2510

गेनाइट खदान) पट्टे की अवधि 29 वर्ष 12 माह

(भूमि/शेड/भवन/भूमि एवं शेड/भूमि एवं भवन)

यह करार आज दिनांक 04/09/2018 को किया गया।

पट्टेदार/पट्टेदारों ने मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 (जिन्हें इस में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) इसके नीचे लिखी गई अनुसूची के भाग एक में वर्णित भूमियों के संबंध में "गेनाइट" हेतु उत्खनन पट्टे के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है, और राज्य सरकार के पास प्रतिभूति के रूप में रुपये 10,000 की राशि जमा की है।

इस बात का साक्ष्य है कि इस अंतरण तीज पट्टा विलेख में तथा इसमें नीचे लिखी अनुसूची में या उसके द्वारा आरक्षित और अंतर्विष्ट भाग को तथा स्वामित्वों का पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा भुगतान किये जाने के और उसके/उनके द्वारा अनुपालन, पालन की जाने वाली प्रसविदाओं तथा करारों के प्रतिफलस्वरूप, सक्षम प्राधिकारी, एतद द्वारा पट्टेदार/पट्टेदारों का पट्टा और अंतरित करता है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश

क्रमांक 11/खनिज/तीन-6/2018/1218 टीकमगढ़ दिनांक 27/07/2018 के आदेश अनुसार-


आवेदक मेसर्स डी.जी. माइनिंग प्रा. लिमिटेड पता- 158, जोन-II एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) द्वारा

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) में दिनांक 03/10/2015 को ग्राम बाघाट, तहसील निवाडी जिला

टीकमगढ़ के भूमि खसरा नम्बर 551/5/1, 552/3 कुल रकबा 18.670 हेक्टेयर के अंश रकबा 7.600

हेक्टेयर पर खनिज गेनाइट के पर्यवेक्षण अनुमति बायत आवेदन 02 वर्ष के लिए म.प्र. गौण खनिज नियम

1996 के नियम 9 (1) के तहत मय सहपत्रों सहित निर्धारित फार्म-बी में प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्रों की जांच उपरान्त कार्यालयीन आदेश क्रमांक 11/खनिज/तीन-6/2016/269 दिनांक 05/04/2016 द्वारा





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पूर्वोक्त अनुज्ञप्ति स्वीकृत की गई। मेसर्स डी.जी. माइनिंग प्रा० लिमिटेड पता-158, जोन-II, एम.पी. नगर भोपाल मध्यप्रदेश द्वारा रजिस्टर्ड क्वालीफाईड पर्सन (आर.क्यू.पी.) द्वारा प्रोस्पेक्टिंग रिपोर्ट निर्धारित समयावधि 02 वर्ष के अंदर तैयार कर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) में प्रस्तुत की गई।

आवेदक मेसर्स डी.जी. माइनिंग प्रा० लिमिटेड पता-158, जोन-II, एम.पी. नगर भोपाल मध्यप्रदेश के द्वारा ग्राम बाघाट तहसील निवाडी जिला टीकमगढ़ के भूमि खसरा नम्बर 551/5/1, 552/3 कुल रकबा 18.670 हेक्टेयर के अंश रकबा 7.600 हेक्टेयर पर खनिज ग्रेनाइट उत्खनि पट्टा हेतु म०प्र० गौण खनिज नियमावली 1996 के प्रारूप-1 नियम-9 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र दिनांक 14/02/2017 को प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्राप्त आवेदन की जांच वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल टीकमगढ़, तहसीलदार एवं खनिज निरीक्षक टीकमगढ़ एवं ग्राम पंचायत से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किये गये, तथा सहायक मानचित्रकार से क्षेत्र उपलब्धता का प्रतिवेदन प्राप्त किया, जिसमें उनके द्वारा क्षेत्र 7.600 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्धता होना लेख किया गया। उक्त विभागों द्वारा आवेदक को खनिज ग्रेनाइट उत्खनि पट्टा स्वीकृति हेतु अनुशंसा सहित अनापति प्रतिवेदन हेतु प्रस्तुत किये गये है।

अतः उपरोक्त जांच प्रतिवेदनों के परीक्षण उपरंत म०प्र० गौण खनिज नियमावली-1996 के नियम-6 अनुसूची-एक (ठे:) एवं म.प्र. राजपत्र दिनांक 19/04/2010 में दिये गये प्रावधान अनुसार नीचे दी गई शर्तों का समावेश करते हुए आवेदक मेसर्स डी०जी० माइनिंग प्रा० लिमिटेड पता- 158, जोन-II एम०पी० नगर भोपाल (म०प्र०) को ग्राम बाघाट, तहसील निवाडी, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश के भूमि खसरा नम्बर 551/5/1, 552/3 कुल रकबा 18.670 मे से संलग्न नक्शा में चिन्हित रकबा 7.600 हेक्टेयर उपलब्ध क्षेत्र अनुसार खनिज ग्रेनाइट उत्खनि पट्टा स्वीकृत किया जाता है।

-: शर्तें :-

- 1- आवेदक द्वारा म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 में जारी संशोधन अधिसूचना दिनांक 23/03/2013 के अनुसार आवेदित क्षेत्र की अनुमोदित खनन योजना प्रस्तुत की जा चुकी है।
- 2- म०प्र० गौण खनिज नियम 1996 के नियम 42 (6) के अनुसार वित्तीय प्रतिभूति की राशि 15000/- रु० प्रति हे० की दर से जमा करना होगी।

(i) किसी अधिसूचित बैंक से गारंटी, फिक्सड डिपोजिट।

(ii) नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट।

3- भू- प्रवेश की अनुमति के पूर्व SE/AA/DE/IAA से परियावरणीय सम्मति प्राप्त करना होगी।

4- म०प्र० गौण खनिज नियम-1996 के प्रावधानों तथा ग्रेनाइट विकास व संरक्षण नियम 1999 के





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

प्रावधानों का पालन करना होगा।

5- म0प्र0 गौण खनिज नियम-1996 के नियम-29 के अंतर्गत डेडरेंट की राशि प्रथम वर्ष निल द्वितीय तथा तृतीय वर्ष के लिए रुपये 30000 प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर के मान से एवं चतुर्थ वर्ष से प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष रुपये 40000 के मान से 20 जनवरी तक डेडरेंट की राशि अग्रिम रूप से जमा करना होगी।

6- उत्खनि पट्टे की भूमि का वार्षिक सतहकर 5.00 रुपये प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर के मान से 35.00 रुपये प्रतिवर्ष 20 जनवरी तक अग्रिम जमा करना होगा।

7- अनुबंध निष्पादन कराने के पूर्व नियम-25 के अंतर्गत दस हजार रुपये प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा।

8- यह कि उत्खनि पट्टा का धारक उत्खनन सक्रियाओं के करते समय पर्यावरण का संरक्षण और प्रदूषण का नियंत्रण करने के लिए म0प्र0 गौण खनिज नियम-1996 के नियम 44, 45, 46 में वर्णित सावधानियां बरतेगा। 9- प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में पट्टाधारी को म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर से खदान की अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10- यह कि उत्खनि पट्टा का धारक प्रा.सू. 19 में संबंधित जिले के कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का खदान करार के निष्पादन के दिनांक से 60 दिवस की कालावधि के भीतर पर्यावरण प्रबंधन की एक स्कीम ऐसे प्रस्ताव को समाविष्ट करते हुए जिसमें उत्खनन सक्रियाओं द्वारा अस्त व्यस्त भूमि के अनुक्रमिक सुधार, पुनरुद्धार तथा वृक्षारोपण के लिए एक स्कीम वायु और पानी के प्रदूषण एवं नियंत्रण की प्रस्तुत करेगा।

11- अनुबंध निष्पादन के पूर्व 2 वर्ष के अनिवार्य भाटक के बराबर की राशि अर्थात् 2,80,000/- दो लाख अस्सी हजार रुपये का प्रति-भू. बंधपत्र प्रख-छ. में सम्यक रूप से भरकर या बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करेगा।

12- खदान क्षेत्र के उत्खनित किये गये खनिज पर नियम-29 के अनुसूची तीन में निर्धारित दर अनुसार रायल्टी जमा करना होगी।

13- नियम- 29(1) के अंतर्गत खनिज की निकासी किये जाने के पूर्व नियमानुसार अग्रिम रायल्टी जमा कर खनिज परिपत्र (रायल्टी बुक) प्राप्त करना होगी।

14- नियम 30(घ) के अंतर्गत देय राशि नियम समय पर भुगतान कराने पर समस्त भुगतानों के लिये 24 प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान करना होगा।

15- नियम 30(3) म0प्र0 गौण खनिज नियमावली 1996 के प्रावधानों अनुसार राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 का-(II) के अधीन समय पर यथा विहित न्यूनतम मजदूरी से कम



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

मजदूरी भुगतान नहीं करेगा।

16- यह कि फटिंग पालीशिंग उद्योग स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में ही यथा संभव स्थापित करना होगा, यदि कोई व्यावहारिक कठिनाई आती है, तो जहाँ उद्योग स्थापित किया जावेगा उस ग्राम पंचायत/ग्राम सभा से सहमति प्रस्ताव प्राप्त कर कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत कर उद्योग स्थापित करने की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

17- पट्टेदार शासन से प्राप्त सभी खनिजों की मात्रा तथा अन्य विवरण यथा खनिज निकासी की तारीख शुद्ध मात्रा, छपत मात्रा ऐसे खनिजों से प्राप्त मूल्य क्रेन्ता का नाम, प्राप्त धन की रसीदें तथा श्रमिकों को नियोजित संख्या का सही हिसाब रखेगा तथा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को लेखा और अभिलेखों की जांच करने की अनुमति देगा। प्रत्येक माह की 10 तारीख तक मासिक पत्रक प्रारूप 10 में प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार जून एवं दिसम्बर में 6 माह का अर्धवार्षिक पत्रक प्रारूप 11 में जुलाई व जनवरी की 15 तारीख तक प्रस्तुत करेगा। प्रत्येक वर्ष का वार्षिक पत्रक प्रारूप 12 में 31 जनवरी तक प्रस्तुत करेगा। उक्त पत्रक प्रस्तुत न करने की स्थिति में नियम 30(20) के उल्लंघन के कारण उक्त नियम के नियम 30(27) के तहत वार्षिक अनिवार्य भाटक के रकम के दुगुनी रकम के बराबर शास्ति भुगतान करने की अपेक्षा की जावेगी।

18- म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 में निहित प्रावधानों तथा उत्खनि पट्टा से संबंधित राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों का पालन करना होगा।

19- इस स्वीकृति के संबंध में किसी भी प्रकार का अपालन/विसंगीत शासन निर्देश अथवा न्यायालयीन प्रकरण आदि के प्रकाश में पाई जाती है तो यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।

20- आदेश जारी होने के दिनांक से तीन माह के भीतर, प्रारूप-सात में पट्टा विलेख निष्पादित और भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जावेगा और जहाँ पूर्वोक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है, तो पट्टा मंजूर करने वाला आदेश प्रतिसंहत (रिवोक) किया गया समझा जावेगा।

21. आवश्यक अनुमतियों के बिना यदि उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाता है तो उक्त पट्टा निरस्त माना जावेगा।

ग्रेनाईट की ऐसी समस्त खदानों (यहाँ खनिज या खनिजों का विवरण दें) जिसे इस में इसके पश्चात् और अनुसूची में उक्त खनिजों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है (जो उन भूमियों में जिन्हें उक्त अनुसूची के भाग-एक में निर्दिष्ट किया गया है स्थित, अवस्थित है, और उनमें तथा उसके नीचे है, इसके संबंध में प्रयोज्य स्वतंत्रताओं, व्यक्तियों तथा विशेषाधिकारों को सम्मिलित करते हुए जो उक्त अनुसूची के भाग-दो में वर्णित हैं, ऐसी स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने तथा उपभोग करने के संबंध में उन निबंधनोत या शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उक्त अनुसूची के भाग-तीन में वर्णित हैं। इस अपवाद के साथ और इस पट्टे में से, राज्य सरकार के प्रति वे स्वतंत्रताएं, शक्तियां तथा विशेषाधिकार आरक्षित करते हुए जो उक्त अनुसूची के





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

भाग-चार में वर्णित है, परिसर दिनांक 04/09/2018 से आगामी दिनांक 03/09/2048 तक (30 वर्ष)की कालावधि के लिये धारण करने हेतु पट्टेदार/पट्टेदारों को एतदद्वारा प्रदान किये जाते है, पट्टे पर दिये जाते हैं।

अतः उन विभिन्न भाटको तथा स्वामित्वों को जो उक्त अनुसूची के भाग-पाँच में वर्णित है, क्रमशः ऐसे समयों पर जो उसमें विनिर्दिष्ट है, उक्त अनुसूची के भाग-छः में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को देगा या उन का भुगतान करेगा और पट्टेदार एतद्वारा, राज्य सरकार के साथ ऐसी प्रसविदा करता है/करते हैं, जिसे उक्त अनुसूची के भाग-सात में अभिव्यक्त किया गया है। और राज्य सरकार एतद्वारा, पट्टेदार/पट्टेदारों के साथ ऐसी प्रसविदा करती है, जिसे उक्त अनुसूची के भाग-आठ में अभिव्यक्त किया गया है, और उसके पक्षकारों के बीच पारस्परिक रूप से ऐसी सहमति की जाती है, जो अनुसूची के भाग-नौ में अभिव्यक्त की गई है। जिसकी साक्ष्य में यह विलेख उस दिनांक और वर्ष को जो उपर लिखे है, उस रीति में, जो इसके अधीन प्रकट होती है, निष्पादित किया जाता है।

उपर निर्दिष्ट अनुसूची

भाग एक- इस पट्टे का क्षेत्र

पट्टे का स्थान और क्षेत्र:-

ग्राम बाघाट में स्थित भूमियों वह समस्त भू-भाग (क्षेत्रया क्षेत्रों का वर्णन) जो ग्राम पंचायत बाघाट, तहसील निवाडी, जिला टीकमगढ में है, प.ह.नं 003, ख.नं. 551/5/1, 552/3 जिसमें से रकबा 7.600 हेक्टेयर का क्षेत्र है, तथा जो संलग्न नक्शे में अंकित है तथा जो लालरंग से दर्शाया गया है, और जिसकी सीमाएँ निम्नानुसार हैं:-

उत्तर में - शासकीय भूमि

दक्षिण में-शासकीय भूमि

पूर्व में - शासकीय भूमि

पश्चिम में- शासकीय भूमि

जिन्हे इसमें इस के पश्चात उक्त भूमि के निर्दिष्ट किया गया है


भाग दो- उन निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जो भाग-तीन में दिये गये हैं, पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा प्रयोग और उपभोग की जानेवाली स्वतंत्रताएँ, शक्तियाँ और विशेषाधिकार

1-भूमि पर प्रवेश करना तथा खनिज प्राप्त करना तथा कार्य करना इत्यादि:-

एतद्वारा किये गए पट्टा अंतरण की अवधि के दौरान समस्त समयों पर, उक्त भूमि पर प्रवेश करने और उक्त खनिज/खनिजों, को प्राप्त करने के संबंध में कार्य करने, उनकी दरें सी करने, प्रसंस्कारित करने, संपरिवर्तित करने, ले जाने तथा उनका निपटारा करने के बारे में स्वतंत्रता तथा शक्ति।

2-मशीनरी, उपस्कर इत्यादि को लाना तथा उनका उपयोग करना:-

इस भाग में वर्णित प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिये या उनके संबंध में उक्त भूमि पर या उसके नीचे कोई इंजन, मशीनरी, संयंत्र, टर्बो-फर्श, ईट भट्टा, कर्मशाला, भण्डारगृह, गोदाम, शेड तथा अन्य भवन और अन्य कार्य स्थापित करने, निर्माण करने, संधारण करने और उपयोग करने तथा उस भूमि पर या उसके नीचे उसी प्रकार की सुविधाओं के लिए या उसके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति।





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

3-रास्तो तथा मार्गो इत्यादि का बनाया जाना और विद्यमान रास्तो तथा मार्गो का उपयोग:-
इस भाग में वर्णित प्रयोजनो में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में उक्त भूमियों में उसके उपर कोई ट्राम पंथ, रास्ते तथा अन्य मार्गो को बनाने और छोड़ो, पशुओं, वेगनों या अन्य वाहनों सहित या रहित उसका (या उक्त भूमि में या उस पर किसी विद्यमान ट्रामपंथो, रास्तो तथा अन्य मार्गो) ऐसी शर्तो पर जैसी सहमत हो, उनका उपयोग करने की या उनके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति।

4-भवन तथा रास्तों की सामग्री इत्यादि:-

इस भाग में वर्णित प्रयोजनो में से किसी भी प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में उत्खनन कर पत्थर, बजरी तथा भवन और रास्तों के निर्माण संबंधी अन्य सामग्रियों तथा मिट्टी प्राप्त करने और उनका उपयोग करने और उन्हें काम में लेने तथा ऐसी मिट्टी से ईंटें या कचेलू विनिर्मित करने और ऐसे ईंटों या कचेलुओं का उपयोग करने के लिए और उसके संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति, किन्तु ऐसी सामग्रियों, ईंटों या कचेलुओं का विक्रय करने के लिए नहीं।


5-जलधाराओं से पानी का उपयोग इत्यादि:-

इस भाग में वर्णित प्रयोजनो में से किसी भी प्रयोजन के लिए किन्तु किसी विद्यमान या भावी पट्टेदारों के अधिकारों के अध्यक्षीन रहते हुए तथा प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ म.प्र. के लिखित अनुज्ञा से उक्त भूमि में या उक्त भूमि पर किन्हीं जलधाराओं, जलमार्गों, झरनों या अन्य स्रोतों को काम में लाने और उनका पानी उपयोग करने या ऐसी किसी जलधारा या जलमार्ग को मोड़ने, उसे बढ़ाने या उस पर बांध बनाने या ऐसे किसी जल को संप्रहित करने तथा अब करने और किसी जलमार्ग, पुलिया, नालियां या जलाशयों को बनाने, निर्माण करने और बनाये रखने के लिए और उस संबंध में स्वतंत्रता तथा शक्ति, किंतु इस प्रकार न ही कि जिससे किन्हीं कृत्य भूमियों, ग्रामों, भवनों या पशुओं के पानी पीने के स्थानों या पूर्व में आवश्यकतानुसार युक्तियुक्त रूप से जल प्रदाय से वंचित रहेगा और न किसी भी प्रकार से किसी जलधारा या झरनों को गंदा या प्रदूषित ही करेगा, परन्तु यह कि पट्टेदार किसी नाभ्य जलधारा में नौचालन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा या राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसा जलधारा को नहीं मोड़ेगा।

6-चट्टे लगाने ढेर लगाने जमा करने के प्रयोजनो के लिए भूमि का उपयोग:-

उक्त भूमियों की सतह के पर्याप्त भाग पर उसमें खदानों के किसी उत्पाद या किये गये कोई कार्य और किन्हीं औजारों, उपकरणों मिट्टी तथा सामग्रियों और पदार्थों के जो इस भाग में वर्णित स्वतंत्रताओं शक्तियों का प्रयोग करते हुए खोटे गये हों या निकाले गये हों, चट्टे लगाने ढेर लगाने भण्डारण करने या जमा करने के प्रयोजनो के लिए, प्रवेश करने और उपयोग करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति।
भाग तीन-भाग दो में वर्णित स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के संबंध में निबंधन तथा शर्तें

1- कतिपय स्थानों पर कोई भवन इत्यादि नहीं होगा-किसी सार्वजनिक बिहार भूमि शमशान भूमि या कब्रिस्तान भूमि या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र माने गये किसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान में या जिसे राज्य सरकार सार्वजनिक स्थान के रूप में अवधारित करे, कोई भवन या तटपय कोई संरचना ऐसी रीति में निर्मित, स्थापित या रखी नहीं जाएगी और कोई भी भूतल संक्रियाये नहीं की जाएगी, जिससे किन्हीं भवनों कार्यों सम्पत्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों को यदि कोई हो या कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़े और भूतल संक्रियाओं के लिए ऐसी किसी भूमि का जो ऐसे पट्टे में सम्मिलित न होने वाले कार्यों प्रयोजनो के लिए राज्य सरकार से भिन्न अन्य व्यक्तियों द्वारा पूर्व में ही दखल में ली गई हो उपयोग नहीं किया जाएगा पट्टेदार किसी





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

मार्ग कुएं या तालाब के संबंध में किसी अधिकार में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा/नहीं करेगा।


2-ऐसी भूमि में जो पूर्व में उपयोग में न हो भूतल संक्रियाओं के लिए अनुज्ञा:-
ऐसी भूमि का जो भूतल संक्रियाओं के लिये पूर्व में ही उपयोग में नहीं लाई गई है उस बाबत उपयोग करने के पूर्व पट्टेदार जिले के प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ म.प्र. को पूर्व की एक लिखित सूचना देगा/देगे जिसमें स्थान का नाम या अन्य वर्णन या इस प्रकार किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि की सीमा और वह प्रयोजन जिसके लिए वह अपेक्षित है विनिर्दिष्ट किया जायेगा तथा उक्त भूमि का यदि प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ म.प्र. उसके द्वारा ऐसी सूचना प्राप्ति के दो मास के भीतर आपत्ति करे तब तक इस प्रकार उपयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि इस प्रकार की की गई आपत्ति राज्य सरकार को निर्देश किये जाने पर निष्प्रभावित नहीं की जाती या वह अभिव्यक्त नहीं कर दी जाती।

3-प्रतिषिद्ध दूरी के भीतर कोई खनन संक्रियाएं नहीं की जाएगी:-
पट्टेदार नियम 30 के उपनियम (में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध दूरियों के भीतर किसी भी स्थल पर कोई कार्य या खनन संक्रियाएं नहीं करेगा/करेंगे या उन्हें करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

4-लगी हुई शासकीय अनुज्ञप्तियों तथा पट्टे के लिए सुविधाएं:-
पट्टेदार ऐसी किसी भी भूमि पर जो पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा धारित भूमि में समाविष्ट हैं, या ऐसी भूमि से लगी हुई हैं या जिस तक उसके/उनके द्वारा धारित भूमि से पहुंचा जाता है। शासकीय अनुज्ञप्तियों या पट्टे के विद्यमान या भावी धारकों को उस तक पहुंच की युक्तियुक्त सुविधाएं प्रदान किये जाने बाबत अनुज्ञा देगा। परन्तु यह कि अनुज्ञप्तियों या पट्टे के ऐसे धारकों द्वारा इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की संक्रियाओं के बारे में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता का उपयोग किये जाने के कारण पट्टेदार/पट्टेदारों को हुरड़ हानि या नुकसान के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जाएगा।
जैस कि पारस्परिक रूप से सहमत हो, या असहमति की दशा में, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय।

भाग-चार राज्य सरकार के लिए आरक्षित स्वतंत्रताएं शक्तियों तथा विशेषाधिकार

1- अन्य खनिजों के बारे में कार्य करना:-
राज्य सरकार का इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या किसी पट्टेदार को उक्त भूमि में तथा उस पर प्रवेश करने और उक्त खनिजों को छोड़कर अन्य खनिज तथा किन्हीं अन्य पदार्थों की खोज करने, प्राप्त करने, उसके संबंध में कार्य करने खेदने, पाने, उत्खनन करने, ट्रेषी करने, प्रसंस्कारित करने, संपरिवर्तित करने और ले जाने और उन प्रयोजनों के लिए खनने, सुरंग बनाने तैयार करने स्थापित करने निर्माण करने संधारण करने और ऐसे गड्ढों, कूपकों अनातिया, अनुसुरंगों, समतलिकाओं तथा अन्य लाईनों, जलमार्गों, वायुमार्गों, जल प्रवाहों, नलों जलापयों, इजनों मपीनरियों, संयंत्र, भवनों, नहरों टामपयों, सड़क मार्गों तथा अन्य कार्यों और ऐसी सुविधाओं का जैसा कि आवश्यक या सुविधाजनक समझी जाए, उपयोग करने की स्वतंत्रता तथा शक्ति।





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

परन्तु यह कि ऐसी स्वतंत्रता तथा शक्ति का प्रयोग करने में, इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उनके संबंध में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेपकारित नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता या शक्ति या प्रयोग किये जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो, या असहमति की दशा में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाय।

2-रेलपथ तथा रास्ते बनाना:-

राज्य सरकार या इस निर्मित या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या किसी पट्टेदार को इस विलेख के भाग-दो में वर्णित प्रयोजनों को छोड़कर किसी अन्य प्रयोजन के लिए उक्त भूमियों में तथा उस पर, उसके ऊपर या उसके आरपार किन्हीं रेलपथों, टांप्यों तथा सड़क मार्गों को बनाने, संधारित करने और उसकी मरम्मत करने या किन्हीं विद्यमान रेलपथों, ट्रामपथों, सड़क मार्गों, पाईप लाईनों तथा अन्य मार्गों से या उन पर से या उनके साथ-साथ समस्त प्रयोजनों के लिए और जैसा कि किसी अवसर पर अपेक्षित हो, घोड़े, पशुओं या अन्य पशुगाड़ियों, वेगनों, वाहकों, लोकोमोटिवों या अन्य वाहनों सहित या रहित पुनः पार करने स्वतंत्रता तथा शक्ति।

परन्तु यह कि ऐसे अन्य पट्टेदार या व्यक्ति द्वारा ऐसा स्वतंत्रता तथा शक्ति का प्रयोग करने में इस विलेख के अधीन पट्टेदार/पट्टेदारों की स्वतंत्रताओं, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों के प्रति या उनके संबंध में कोई सारवान प्रतिबाधा या हस्तक्षेप कारित नहीं किया जाएगा और इस स्वतंत्रता या शक्ति का प्रयोग किये जाने के कारण या उसके परिणामस्वरूप पट्टेदार/पट्टेदारों को हुई हानि या नुकसान के लिए पट्टेदार/पट्टेदारों को ऐसा उचित प्रतिकर दिया जाएगा जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत हो या असहमति की दशा में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय।

भाग तीन-पाच इस पट्टे द्वारा आरक्षित भाटक और स्वामित्व, अनिवार्य भाटक (डेडरेंट) या स्वामित्व जो भी उत्तर हो, का भुगतान करना।

1- पट्टेदार को प्रथम वर्ष को छोड़कर दूसरे एवं तीसरे वर्ष के लिए रुपये 30,000 तीस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से रुपये 4,80,000 एवं चौथे वर्ष से अंत तक 30 वर्ष तक रुपए 40,000 चालीस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से रुपये 86,40,000 रुपये प्रति वर्ष 20 जनवरी के पूर्व जमा करना होगा, अन्यथा 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज देय होगा। शासन द्वारा समय-समय पर किये गये संसोधनों के अनुसार पट्टेदार को डेडरेंट जमा करना होगा। इस भाग के खण्ड 2 में विनिर्दिष्ट अनिवार्य भाटक का भुगतान करेगा। परन्तु इन नियमों के नियम 30 के अधीन जहां ऐसे पट्टे का धारक उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता, प्रबंधक, नियोजित व्यक्ति, ठेकेदार या उप-पट्टेदार द्वारा मंजूर क्षेत्र से हटाये गये या खपाये गये किसी भी खनिज के लिए स्वामित्व (रायल्टी) के भुगतान करने के लिए दायी हो गया है वहां वह ऐसे क्षेत्र के संबंध में ऐसे स्वामित्व या अनिवार्य भाटक जो भी उच्चतर हो का भुगतान करने का दायी होगा।

2.भाटक और अनिवार्य भाटक के भुगतान का ढंग:-

इस भाग के खण्ड 1 के उपबंध के अधीन रहते हुए, पट्टे के अस्तित्व के दौरान पट्टेदार पट्टान्तरित और इस अनुसूची के भाग-एक में वर्णित भूमियों के लिए, इन नियमों की अनुसूची-चार में तत्समय विनिर्दिष्ट दर से



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



जाये या अधिरोपित किये जाए, का भी भुगतान करेगा/करेंगे तथा उनका उन्मोचन करेगा/करेंगे।

2. सीमाचिन्हों का अच्छी हालत में संधारण करना तथा रखना:-
पट्टेदार अपने/उनके स्वयं के व्यय पर इस पट्टे के साथ संलग्न नक्शे में दर्शाये जाने वाले सीमांकन के अनुसार सीमा चिन्हों तथा स्तम्भों को स्थापित करेगा और समयों पर उन्हें संधारित तथा मरम्मत में रखेगा। ऐसे चिन्हों तथा स्तम्भ झाड़ियों से तथा अन्य बाधाओं से पर्याप्त स्पष्ट रहेंगे, जिससे कि वे सरलता से पहचाने जा सकें।

3. संक्रियाएं एक वर्ष के भीतर प्रारम्भ की जाएगी और कुशलता से कार्य किया जाएगा:-
पट्टेदार पट्टा निष्पादित किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर संक्रिया प्रारम्भ करेगा/करेंगे और उसके पश्चात इस पट्टे के चालू रखने के दौरान समस्त समयों पर उक्त खनिजों को, स्वेच्छा पूर्वक अवरोध के बिना निपुणता से तथा कुशलता से और इसमें इसके पश्चात खण्ड 12 में विनिर्दिष्ट रीति से, उक्त भूमियों के भूतल या उस पर की फसलों भवनो संरचनाओं या अन्य सम्पत्ति को अनावश्यक या परिहार्य नुकसान किये बिना या किये जाने की अनुज्ञा दिये बिना, प्राप्त करेगा/करेंगे, उनके संबंध में कार्य करेगा/करेंगे तथा विकास करेगा/करेंगे। इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए संक्रियाओं में खान के संबंध में मशीनरी स्थापित करना, ट्रामपथ बिछाना या किसी रास्ते का निर्माण करना सम्मिलित है।

4. सरकार को समस्त दावों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति रखा जाएगा:-
पट्टेदार ऐसे समस्त नुकसान, क्षति, या विघ्न के लिए जो इस पट्टे द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसके/उनके द्वारा किये गये हो, उस विषय पर प्रकृत विधि के अनुसार ऐसा युक्तियुक्त हर्जाना तथा प्रतिकर देगा तथा उनको भुगतान करेगा/करेंगे जो कि विधियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए और ऐसे समस्त दावों के तथा उसके बारे में समस्त लागत तथा खर्च के विधिक ऐसे किसी नुकसान क्षति या विघ्न के संबंध में जो किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किये जाए, राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा/करेंगे और पूर्ण रूप से तथा संपूर्णत क्षतिपूर्ति रखेगा/रखेंगे।

5. गड्ढे इत्यादि सुरक्षित करना तथा अच्छी हालत में रखना:-
पट्टेदार इस पट्टे के अस्तित्व में रहने के दौरान समस्त गड्ढे और खदानों को जो कि उक्त भूमियों में बनाये जाये, या उपयोग में लाये जाये, इमारती लकड़ी या अन्य टिकाऊ साधनों से अच्छी तरह से तथा पर्याप्त रूप से सुरक्षित और खुला रखेगा/ रखेंगे और ऐसे प्रत्येक गड्ढे या खदान के चाले वह परित्यक्त हो अथवा न हो इर्दगिर्द, कलेक्टर के समाधान पर्यन्त बाड़ लगाएगा/लगाएंगे, तथा उसे संधारित करेगा/करेंगे। और उस अवधि के दौरान, उक्त भूमियों में की समस्त खदानों को सिवाया ऐसी खदानों के जो परित्यक्त कर दी गई है, यथासंभव जल से तथा दूषित वायु से मुक्त रखेगा/रखेंगे।

6. खान को आवश्यक सीमा तक मजबूत करना तथा संभालना:-
पट्टेदार यथास्थिति संबंधित रेल प्रशासन या राज्य सरकार के समाधान पर्यन्त खान के किसी भाग को, जो कि उसकी राय में किसी रेलपथ, जलाशय, नहर, रास्ते तथा किसी अन्य सार्वजनिक कार्य या संरचना को सुरक्षा के लिए ऐसा मजबूतकरण या संभाल अपेक्षित है, मजबूत करेगा/करेंगे तथा संभाल करेगा/करेंगे।





अपेक्षा करें और ऐसे समयों पर जैसा कि केन्द्र या राज्य सरकार नियत करें, ऐसी समस्त या किन्हीं लेखा पुस्तकों के असली तथा सही संक्षिप्त सार और पूर्णतः समस्त या किसी विषय के बारे में ऐसी जानकारी, विवरणया, जैसा कि राज्य सरकार विहित करें, निशुल्क प्रस्तुत करेगा/करेंगे तथा ऐसे युक्तियुक्त समयों पर ऐसे अधिकारियों को, जैसा कि केन्द्र या राज्य सरकार उस निमित्त नियुक्त करें, उक्त लेखा-पुस्तकों रेखाकों तथा अभिलेखों का परीक्षण तथा निरीक्षण करने और उनकी प्रतिलिपियां तथा उनके उद्धरण तैयार करने के प्रयोजनों के लिए उक्त कार्यालयों में प्रवेश करने तथा उन तक अबाध पहुँच रखने के लिए अनुज्ञात करेगा/करेंगे।

11. रेखांक इत्यादि संधारित करना:-

पट्टेदार, उक्त अवधि के दौरान समस्त समयों पर खान कार्यालय में उक्त भूमियों की खानों की सही, बोधगम्य, आज-दिनांक तथा सम्पूर्ण रेखांक संधारित करेगा/करेंगे। पट्टे के अधीन उक्त रेखांक में-उसके/उनके द्वारा की गई समस्त संक्रियाएँ तथा खुदाई और उसके/उनके द्वारा की गई संक्रियाओं के अनुक्रम में उसके/उनके द्वारा की गई समस्त खाड़िया, गड्ढे तथा भू-वैज्ञानिक आकड़े दर्शाये जायेंगे और ऐसे समस्त रेखांक, उस प्रयोजन के लिए किये जाने वाले ऐसे वास्तविक सर्वेक्षण से और उसके द्वारा, जो कि बारह मास या किसी ऐसी कालावधि के अंत में, जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, संशोधित किए जाएँ तथा भरे जाएँ और पट्टेदार, राज्य सरकार को जब कभी अपेक्षित किए जाए, ऐसे रेखाकों की सही तथा ठीक प्रतिलिपियां निशुल्क प्रस्तुत करेगा/करेंगे। समस्त खाड़ियों, गड्ढों को शुद्ध अभिलेखों में -
क. वह अवमूला तथा स्तर (स्ट्राटा) जिसमें वे हैं।
ख. कोई खनिज जो मिला है।


ग. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हित का कोई अन्य विषय और समस्त आकड़े दर्शाये जाएँगे। पट्टेदार इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को समस्त युक्तियुक्त समयों पर उसका निरीक्षण करना अनुज्ञात करेगा/करेंगे। जब कभी राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा की जाय, उस क्षेत्र का एक ऐसा संयुक्त रेखांक भी प्रदाय करेगा/करेंगे, जिसमें मोटाई, झुकाव, ढाल इत्यादि के साथ-साथ भण्डार के प्रकार के अनुसार मात्रा दर्शाई जाएगी।

12. तृतीय पक्षों को हुई क्षति के लिए प्रतिकार का भुगतान:-

पट्टेदार, इस विवेक द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताओं तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति या सम्पत्ति के किये गये समस्त नुकसान, क्षति या विघ्न के लिए युक्तियुक्त तथा समाधानकारक प्रतिकार देगा तथा उसका भुगतान करेगा/करेंगे और समस्त समयों पर ऐसे समस्त वादों, दावों तथा मांगों के लिए तथा उनके विच जो कि ऐसे किसी नुकसान, क्षति या विघ्न के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किये जाए, राज्य सरकार को हानि रहित रूप से बचाएगा और क्षतिपूर्ति रखेगा। शासकीय भूमि की देश में क्रमशः 10 तथा 20 वर्षीय पट्टों के मामले में, पट्टेदार भू-राजस्व के 30 तथा 60 गुना के बराबर प्रतिकार का भुगतान करेगा/करेंगे।

13. अन्य खनिजों की खुदाई में बाधा नहीं पहुँचाई जाएगी:-

पट्टेदार, एतद् द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रताओं तथा शक्तियों का ऐसी रीति में प्रयोग करेगा/करेंगे कि जिससे उक्त भूमियों के भीतर ऐसे किसी खनिज का, जो इस पट्टे में सम्मिलित नहीं है, के विकास तथा खुदाई में कोई अनावश्यक या युक्तियुक्त रूप से परिहार्य कोई बाधा या अवरोध ना हो और समस्त समयों पर, यथास्थिति, उक्त भूमियों से निकट किसी भूमि में किसी ऐसे खनिजों या किन्हीं खनिजों के संबंध में केन्द्र और राज्य सरकार तथा पूर्वक्षण अनुज्ञप्तियों या उत्खनन पट्टों के धारकों को ऐसे खनिजों की प्राप्ति करने, खुदाई करने, विकास





2. अपक्रय का अधिकार:-

(क) राज्य सरकार को, उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर तथा समस्त समयों पर एत द्वारा अंतरित उक्त भूमियों में पड़े उक्त खनिजों या पट्टेदार/पट्टेदारों के नियंत्रण में और कहीं पड़े हुए उक्त खनिजों को अपक्रय करने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्टेदार/पट्टेदारों को लिखित सूचना देकर किया जायेगा) और पट्टेदार संभव समस्त शीघ्रता से समस्त खनिजों को या इस उपबंध के अधीन, राज्य सरकार द्वारा क्रय किये गये उत्पाद या खनिजों को, ऐसी मात्रा में, ऐसे समयों पर, ऐसी रीति में तथा ऐसे स्थान पर, जो कि उक्त अधिकारों का प्रयोग करने बाबत सूचना में विलिफिट किये गये हैं, सुपट्ट करेगा/करेगी।

ख. राज्य सरकार द्वारा एतद्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए अपक्रय में लिखे गये समस्त खनिज या खनिजों के उत्पादों के की भुगतान की जाने वाली कीमत वह होगी जो कि अपक्रय के समय विद्यमान उचित बाजार कीमत हो।

परंतु यह कि उक्त उचित बाजार कीमत की संगणना करने में सहायता करने की दृष्टि में पट्टेदार यदि ऐसी उपेक्षा की जाय, राज्य सरकार को, उसकी गोपनीय जानकारी के लिए अन्य ग्राहकों को, बेचे गये उक्त खनिजों या उनके उत्पादों की मात्राओं, वर्णनों तथा कीमतों के और मालभाडे के लिए, उसका वहन करने के लिए किये गये भाटक-पत्र (चार्टर) के विवरण प्रस्तुत करेगा/करेगी और ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाय, ऐसे खनिजों या उत्पादों के विक्रय या मालभाडे के लिए जानकारों द्वारा की गई सविदाओं तथा भाटक-पत्रों की मूल या अभिप्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करेगा/करेगी।


ग. युद्ध स्थिति या आपात-काल के विद्यमान रहने की दशा में (जिसके विद्यमान रहने के बारे में भारत के राष्ट्रपति एकमात्र निर्णायक रहेंगे और भारत के राजपत्र में इस आशय की अधिसूचना निश्चयायक सबूत होगी) राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार को सहमति से, उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर तथा समस्त समयों पर उक्त भूमियों पर या उनके संबंध में पट्टेदार/पट्टेदारों के कार्यों, संयंत्र, मशीनरी तथा परिसर का या इस पट्टे के अधीन सक्रियाओं का तत्काल कब्जा तथा नियंत्रण लेने का अधिकार होगा (जिसका प्रयोग पट्टेदार/पट्टेदारों को एक लिखित सूचना द्वारा किया जाएगा) और ऐसे कब्जे या नियंत्रण के दौरान पट्टेदार ऐसे कार्यों, संयंत्रों, परिसरों तथा खनिजों के उपयोग करने या उन्हें काम में लाने के बारे में केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा, या उसकी और से दिये गये समस्त निर्देश का अनुपालन तथा पालन करेगा/करेगी।

परंतु यह कि ऐसे उचित प्रतिकार का, जोकि राज्य सरकार द्वारा करार करने में व्यतिक्रम किये जाने पर उसके द्वारा अवधारित किया जा, पट्टेदार/पट्टेदारों को, इस खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में या उसके परिणामस्वरूप उसे/उन्हे हुए समस्त हानि या नुकसान का भुगतान किया जाएगा।

परन्तु यह और कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग, एतद द्वारा प्रदान की गई उक्त अवधि को पर्यवसित नहीं करेगा या इस विलेख के निबंधनों तथा उपबंधों को, इस खंड के उपबंधों को प्रभवशील करने के लिए आवश्यकता से अधिक प्रभावित नहीं करेगा।

3. राज्य सरकार द्वारा किये गये व्ययों की वसूली:-

यदि कोई ऐसे कार्य या विषय जोकि उस निमित्त इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट प्रसविदाओं के अनुसार पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा किये जाने हैं, या उनका पालन किया जाना है, उस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर नहीं किये जाते हैं, या उनका पालन नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार उन्हें करवा सकेगी या उनका पालन करवा सकेगी, और पट्टेदार, मांग की जाने पर, राज्य सरकार को ऐसे समस्त व्ययों का भुगतान





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

योग्य है।

4. पट्टा पर्यवसित करने की स्वतंत्रता:-

(1) पट्टेदार, मंजूरी प्राधिकारी को कम से कम छः कलेण्डर मास की एक लिखित सूचना देकर इस पट्टे को किसी भी समय पर्यवसित कर सकेगा/कर सकेंगे और ऐसी सूचना का अवसान होने पर यदि पट्टेदार ऐसा अवसान होने पर समस्त भाटको, स्वामित्वों, तुकसानों के लिए प्रतिकर और ऐसा धन देगा/देगे और उसका भुगतान करेगा/करेंगे जोकि उस समय शोध्य हो तथा इस विलेख के अधीनस्थ पट्टाकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों को देय है, और इस विलेख को राज्य सरकार को परदित करेगा, तब यह पट्टा तथा उक्त अवधि और एतद् द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता, शक्तियां तथा विशेषाधिकार अन्यायिक रूप से समाप्त हो जायेंगे तथा पर्यवसित हो जायेंगे किन्तु वे, इस विलेख में अतिरिक्त किन्हीं प्रसविदाओं या करार के किसी भाग के संबंध में पट्टाकर्ता के किसी अधिकार या उपचार पर कोई कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

(2) मंजूरी प्राधिकारी, पट्टेदार द्वारा किये गये आवेदन पर उसे उसके पट्टे से, जोकि खनिजों के समूह के लिए है, एक या अधिक खनिजों को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उस खनिज के भण्डार अब इस सीमा तक निशेष हो चुके हैं या उनका इस सीमा तक हास हो गया है, कि उस खनिज के बारे में कार्य करना आर्थिक रूप से और आगे संभव नहीं है अभ्यर्पित करने की अनुज्ञा देगा, कि पट्टेदार -
क. ऐसे खनिज के अभ्यर्पण के लिए आवेदन ऐसी आशयित तारीख के कम से कम छः माह पूर्व करेगा, और
ख. यह वचन देता है कि वह, इस प्रकार अभ्यर्पित खनिज के बारे में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे उस खनिज के लिए बाट में उत्खनन पट्टा प्रदान किया गया है कि जाने वाली खुदाई में कोई रूकावट कारित नहीं करेगा।

5. प्रतिभूति निक्षेपों की प्रतिदाय:-


इस पट्टे या उसके किसी नवीकरण का पर्यवसान होने के पश्चात् ऐसी तारीख को जिसे प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा चयन करे, इस पट्टे के संबंध में भुगतान की गई प्रतिभूति निक्षेप की रकम का, जो राज्य सरकार के पास जमा है और जिसका उपयोग इस पट्टे में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित नहीं है, पट्टेदार/पट्टेदारों को प्रतिदाय कर दी जाएगी, प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं होगा।

6. निरीक्षण में बाधाएं:-

इस मामले में, जहां पट्टेदार या उसका/उनके अतिरिक्त समनुदेशित उन अधिकारियों द्वारा, जो उक्त नियमों के अधीन केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किये गये हैं, प्रवेश किये जाने या निरीक्षण किये जाने को अनुज्ञात नहीं करता है, तो प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा पट्टेदार/पट्टेदारों को लिखित सूचना देगा तथा उससे/उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह/वे ऐसे समय के भीतर जोकि सूचना में धितिरिष्ट किया जाय, यह कारण बतलाए कि पट्टा क्यों पर्यवसित कर दिया जाय, तथा उसका/उनके प्रतिभूति निक्षेप क्यों समपहत कर लिये जाए, और यदि पट्टेदार उपरोक्त समय में मंजूरी प्राधिकारी को समाधान पर्यन्त कारण बतलाने में असफल रहता है/रहते हैं तो वह पट्टा पर्यवसित कर सकेगा तथा प्रतिभूति निक्षेप की संपूर्ण राशी या उसके किसी भाग को सहमत कर सकेगा।

7. स्वामित्व का भुगतान करने में व्यतिक्रम करने तथा प्रसविदाओं का भंग करने के मामले में शर्त:-

यदि पट्टेदार या उसका/उनके अतिरिक्त या समनुदेशित नियमों, अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित भाटक या



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



खनिज शाखा द्वारा पट्टेदार/ पट्टेदारों को दी गई लिखित सूचना के पश्चात यदि एक कैलेण्डर माह के भीतर न हटायें जायें तो वे उनके संबंध में पट्टेदार/ पट्टेदारों को कोई प्रतिकार देने या इस बाबत उन्हें कैफीयत देने के दायित्व के बिना राज्य सरकार की संपत्ति समझे जायेंगे तथा वे ऐसी रीति में जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे, विक्रय किये जा सकेंगे या उनका निपटारा किया जा सकेगा।

11. यह पट्टा प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा कार्यालय कलेक्टर जिला टीकमगढ़ म.प्र. में निष्पादित किया गया है, तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन, पट्टेदार और पट्टाकर्ता के बीच, एतद् द्वारा यह करार दिया जाता है कि पट्टे के अधीन क्षेत्र, पट्टे की शर्त, पट्टे के अधीन त्रिसुलीय शोध्यों के संबंध में तथा पट्टेदार और पट्टाकर्ता के संबंध के बारे में कोई विवाद होने की दृशा में वाद (या अपील) संचालक भूमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश भोपाल स्थित (नगर का नाम) के सिविल न्यायालयों में फाईल किये जायेंगे तथा यह स्पष्ट करार दिया जाता है कि उपर नमित न्यायालयों से सिविल किसी न्यायालय में कोई वाद फाईल करने या कोई कार्यवाही करने या कोई याचिका फाईल करने के लिए पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार समझ नहीं होगा।

12. स्टाप शुल्क के प्रयोजन के लिए पट्टांतरित क्षेत्र से माईनिंग प्लान अनुसार रुपये 12,08,000/- प्रतिवर्ष है, या डेडरेन्ट रुपये 3,20,000/- रुपये निश्चित देय होगा।
अतिरिक्त शर्तें-

पट्टेदार स्वीकृत क्षेत्र के आसपास कोई भी सार्वजनिक स्थान जैसे नदी नाला, सड़क मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशानघाट, हाईटेशन लाईन या अन्य कोई सार्वजनिक स्थान आता है तो उससे नियमानुसर 100 मीटर छोड़कर खनन कार्य करना होगा। तथा आसपास के खेतों से 10 मीटर की पट्टी छोड़कर खनन कार्य करेंगे एवं किसी कृषक की भूमि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तथा शासन को जनहित में उक्त क्षेत्र की आवश्यकता होगी तो शासन उक्त पट्टे को निरस्त कर भूमि को अधिग्रहित कर सकेगा।


जिसके साक्ष्य में यह बिलेब प्रथमतः उपर लिखी तारीख को इसके अधीन वर्णित रीति में दिनांक 04/09/2018 निष्पादित किया गया है।

गवाहान-


1. संतोष कुमार तिवारी पुत्र श्री जमुना प्रसाद तिवारी, आयु 36 वर्ष, निवासी सार्ड नम्बर 05, ग्राम मलपुरा, तहसील व जिला छतरपुर मध्यप्रदेश। आधार कार्ड क्रमांक 6268 4436 7146

2. विनय गोतम पुत्र श्री श्रीनिवास गोतम, आयु 43 वर्ष, निवासी मानसरोवर कालोनी, माधव नगर कटनी, तहसील मुडवारा, जिला कटनी मध्यप्रदेश। आधार कार्ड क्रमांक 9964 5732 0737

-----Please turn over/कृपया पृष्ठ पलटिये।-----



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



संचालनमय
भूमि की सेवा खनिज,
मध्य प्रदेश
29-ए, "खनिज भवन", अरेश हिल्स, भोपाल
फोन एवं फैक्स - 0755-2551799
E-mail: info@sonij.com, msc@sonij.com

आदेश

भोपाल, दिनांक.....


क्रमांक / खनिज / 03040 / भोपाल-21 / 2022, कार्यालय मध्य प्रदेश (खनिज-शाखा) जिला निवाड़ी के पत्र क्रमांक 894 / 2022 दिनांक 10-09-2022 से परदेसवादी मेसर्स डी० जी० माईनिंग प्रा० लि० डायरेक्टर श्री दिलीप कुमार गुप्ता, पता 159 जॉन-2, एम० पी० नगर भोपाल को ग्राम बाघाट, तहसील एवं जिला निवाड़ी की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 551/5/1 एवं 552/3 कुल रकबा 7.600 हे० क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाईट का उत्खनिपट्टा 30 वर्ष तक अवधि दिनांक 07-09-2018 से 06-09-2048 स्वीकृत होकर अनुबंधित है।

2- उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टा को परदेसवादी द्वारा व्यक्तिगत कारणों से संचालन नहीं कर पाने से उक्त खदान को मेसर्स एस० के० मिनरल्स पार्टनर (1) श्री मुनेश कुमार मीना, (2) श्री देवनारायण मीना, (3) श्री रविकुमार मीना, (4) श्री ध्यानचंद मीना एवं (5) श्री प्रमोद कुमार मीना को अंतरण किये जाने हेतु दिनांक 03-12-2021 को आवेदन पत्र मय शपथ पत्र से प्रस्तुत किया गया है। आवेदक मेसर्स डी० जी० माईनिंग प्रा० लि०, डायरेक्टर श्री दिलीप कुमार गुप्ता, 159 जॉन-2, एम० पी० नगर भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश गोंग खनिज नियम, 1996 के नियम 35 के प्रावधान के अंतर्गत के तहत अंतरण शुल्क 48,00,000/- चालान क्रमांक 051/999999/0853/05/22/011201 दिनांक 24-05-2022 से जमा की गई है।

3- मेसर्स एस० के० मिनरल्स पार्टनर (1) श्री मुनेश कुमार मीना, (2) श्री देवनारायण मीना, (3) श्री रविकुमार मीना, (4) श्री ध्यानचंद मीना एवं (5) श्री प्रमोद कुमार मीना द्वारा कलेक्टर निवाड़ी के समक्ष मध्य प्रदेश गोंग खनिज नियम 1996 के नियम 35 के प्रावधानों के तहत सपथपूर्वक सहमति पत्र प्रस्तुत कर उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टा को शेष अवधि के लिये अनुरोध पत्र में उल्लेखित मेसर्स शर्तों एवं दायित्वों को स्वीकार करने की सहमति देते हुये हस्तारण में प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है।

4- उक्त स्वीकृत उत्खनिपट्टा वर्तमान में कार्यशील है। मेसर्स डी० जी० माईनिंग प्रा० लि० डायरेक्टर श्री दिलीप कुमार गुप्ता के पक्ष में स्वीकृत उत्खनिपट्टा क्षेत्र में कोई बकाया होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

5- मध्य प्रदेश गोंग खनिज नियम 1996 के नियम-35 के अंतर्गत मेसर्स डी० जी० माईनिंग प्रा० लि० डायरेक्टर श्री दिलीप कुमार गुप्ता के पक्ष में ग्राम बाघाट, तहसील एवं जिला निवाड़ी की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 551/5/1 एवं 552/3 कुल रकबा 7.600 हे० क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाईट का उत्खनिपट्टा 30 वर्ष की अवधि दिनांक 07-09-2018 से 06-09-2048 को शेष अवधि हेतु अंतरण की अनुमति मेसर्स एस० के० मिनरल्स पार्टनर (1) श्री मुनेश कुमार मीना, (2) श्री देवनारायण मीना, (3) श्री रविकुमार मीना, (4) श्री ध्यानचंद मीना एवं (5) श्री प्रमोद कुमार मीना के पक्ष में किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।



अतः प्रकरण में आवश्यक परीक्षण एवं पूर्ण विचारोपरान्त एवं मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 6 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त पट्टाधारी मेसर्स डी0 जी0 माईनिंग प्रा0 लि0 अगरेक्टर श्री दिलीप कुमार गुप्ता (प्रथम पक्ष/अंतरक) के पक्ष में ग्राम गाघाट, तहसील एवं जिला निवाड़ी की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 551/5/1 एवं 552/3 कुल रकबा 7.600 हे0 क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट स्वीकृत उत्खनिपट्टा को 50प्र0 गौण खनिज नियम, 1996 के नियम- 35(1) के प्रावधानों के तहत शेष अयधि के लिये मेसर्स एस0 के0 मिनरल्स (अंतरिती/द्वितीय पक्ष) पार्टनर (1) श्री मुनेश कुमार मीना, (2) श्री देवनारायण मीना, (3) श्री रविकुमार मीना, (4) श्री ध्यानचंद मीना एवं (5) श्री प्रमोद कुमार मीना के पक्ष में अंतरण/हस्तान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है।

मेसर्स एस0 के0 मिनरल्स (अंतरिती/द्वितीय पक्ष) पार्टनर जो निम्नानुसार है-

क्र०	पार्टनर का नाम	पता
01	श्री मुनेश कुमार मीना पिता श्री रतन लाल मीना, उम्र-43 वर्ष	डी-403, सिमरघर रेसीडेन्सी, जे0के0 हॉस्पिटल, कोलार रोड भोपाल 460010
02	श्री देवनारायण मीना पिता श्री राजेन्द्र मीना, उम्र-43 वर्ष	विजयपुरा, सवाईमाधोपुर, राजस्थान-322001
03	श्री रविकुमार मीना पिता श्री मूल चन्द्र मीना, उम्र-28 वर्ष	एमएलए की धानी खानद, त-रामगढ़ पंचवारा बरह बरवा दोसा, राजस्थान, 303503
04	श्री ध्यानचंद मीना पिता श्री मूल चन्द्र मीना, उम्र-52 वर्ष	रामगढ़ पंचवारा बरह बरवा दोसा, राजस्थान, 303510
05	श्री प्रमोद कुमार मीना पिता श्री बाबूलाल मीना, उम्र-59 वर्ष	धानी हवाल, राजवारा सरसिह, दासा, राजस्थान, 303004

मेसर्स एस0 के0 मिनरल्स को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 35(3) के अनुसार अंतरण पट्टा का विलेख जारी आदेश दिनांक 03 माह के भीतर अंदर नियमानुसार निर्धारित प्रल्प में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुबंध कराते हुये भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत पंजीयन कराना होगा। जहां उपरोक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है तो उत्खनिपट्टा मन्जूरी का यह आदेश प्रतिसंहता (Revoke) समझा जायेगा। आवश्यक खनन शक्तियाए प्राप्त किये जानें से पूर्व अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं लागू विधियों के अधीन सभी आवश्यक सम्मति, अनुमोदन, अनुमति, अनुज्ञा आदि अधिप्राप्त करेगा। विभाग द्वारा मूल स्वीकृत आदेश में उल्लेखित शर्तें बंधावत रहेगी।


/ संचालक
(प्रशासन एवं खनिकी)
भोपाल, दिनांक 14/08/23

क्रमांक 10/08-21/खनिज/उ0प0/ न0.109-21/2022
प्रतिलिपि-

1. अगरेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी की ओर पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। (मूल अभिलेख पंचायत संलग्न)
2. मेसर्स एस0 के0 मिनरल्स, पार्टनर (1) श्री मुनेश कुमार मीना, (2) श्री देवनारायण मीना, (3) श्री रविकुमार मीना, (4) श्री ध्यानचंद मीना एवं (5) श्री प्रमोद कुमार मीना पता- प्रथम तल, झेलक काम्पलेक्स, जोन-2, एम0 पी0 नगर भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

—2—

3. मेसर्स डी० जी० माईनिंग प्रा० लि०, डायरेक्टर श्री दिलीप कुमार गुप्ता 158 ज़ोन-2, एम० पी० नगर भोपाल को सूचनार्थ।


संबालक
(प्रशासन एवं सैनिकी)

ANNEXURE A-9

संचालनालय
भौगिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश
29-ए, 'खनिज भवन', अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन एवं फैक्स 0755-2551785
ई-मेल dirgeoms@mp.nic.in

क्रमांक 5879/खनिज/उप. /न.क्र.19/2022,
प्रति.

भोपाल, दिनांक 28/4/22

मेसर्स डी.जी. बुन्देलखण्ड,
प्रेनाइट एल.एल.पी. पार्टनर श्री एम के मीना,
निवासी- 1 फ्लोर, चेतक काम्पलेक्स,
नियर एफ.सी.आई. भवन, प्लॉन II, एम.पी. नगर,
भोपाल (मध्यप्रदेश)

विषय: जिला निवाडी, तहसील निवाडी के ग्राम बीजौर की (शासकीय भूमि) खसरा क्रमांक 1489 का भाग रकबा 3.290 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट, का उत्खनन पट्टा हेतु सैद्धांतिक सहमति राबत।

आवेदक मेसर्स डी.जी. बुन्देलखण्ड प्रेनाइट एल.एल.पी. पार्टनर श्री एम.के. मीना के पक्ष में इस कलेक्टर जिला टीकमगाड़ के आदेश पृष्ठ क्रमांक 1584 दिनांक 26.09.2018 द्वारा जिला निवाडी के ग्राम बीजौर के खसरा क्रमांक 1489 के रकबा 3.290 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रेनाइट खनिज की पूर्वसण अनुज्ञप्ति 02 वर्ष के लिए स्वीकृत की जाकर दिनांक 26.09.2018 से 25.09.2020 तक के लिए अनुबंधित थी।

आवेदक द्वारा उपरोक्त क्षेत्र पर पूर्वसण रिपोर्ट संलग्न करते हुये आवश्यक सहपत्रों के साथ कलेक्टर कार्यालय में दिनांक 16.09.2020 को 30 वर्ष की अवधि हेतु खनिज ग्रेनाइट, का उत्खनन पट्टा आवेदन पत्र जिला निवाडी, ग्राम बीजौर, तहसील निवाडी के रकबा 3.290 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रस्तुत किया गया।

कलेक्टर कार्यालय द्वारा आवेदित क्षेत्र के संबंध में आवश्यक जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर उक्त प्रतिवेदनों के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 1489 का रकबा 8.192 हेक्टेयर में से रकबा 3.290 हेक्टेयर क्षेत्र (मानचित्र में दर्शित अनुसार) उत्खनन पट्टा पर स्वीकृति हेतु उपलब्ध प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार प्रस्ताव पत्र क्रमांक 895/खनिज/2022 निवाडी दिनांक 18.03.2022 द्वारा इस कार्यालय में निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया।

अतः प्रकरण में कलेक्टर खनिज शाखा जिला निवाडी के प्रस्ताव अनुसार ग्राम बीजौर की (शासकीय भूमि) खसरा क्रमांक 1489 का रकबा 3.290 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट, का उत्खनन पट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाकर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है। आप इस सैद्धांतिक सहमति पत्र जारी होने के दिनांक से 8 माह के अंदर अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण सम्मति उपलब्ध करावें। अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण सम्मति उपलब्ध कराने के परभाव ही उत्खनिपट्टा स्वीकृत आदेश जारी किये जा सकेंगे।


संचालक

(प्रशासन एवं खनिकर्म)

पू.क्रमांक /खनिज/उप. /न.क्र.19/2020, भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपि: कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी की ओर उनके पत्र 895/खनिज/2022 निवाडी
दिनांक 18.03.2022 के संदर्भ में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक
(प्रशासन एवं खनिकर्म)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक / 11 / खनि / तीन-6 / 2018 / 1584

टीकमगढ़, दिनांक 26-9-18

// आदेश //

आवेदक मेसर्स डी0जी0 बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-11 एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0) द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.06.2018 को ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1469 के कुल रकवा 6.192 हे0 पर ग्रेनाइट खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति बाबत आवेदन दो वर्ष के लिये म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 (2) (क) के तहत गय सहपत्रों सहित निर्धारित फार्म '22' में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन की स्थल जांच तहसीलदार निवाड़ी, वनमण्डलाधिकारी टीकमगढ़, प्र0खनिज निरीक्षक, मानचित्रकार तथा ग्राम पंचायत आदि की रिपोर्ट एवं अनापत्ति प्राप्त की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

आवेदित क्षेत्र की उपलब्धता के संबंध में वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल टीकमगढ़, तहसीलदार निवाड़ी, प्र0खनि निरीक्षक टीकमगढ़, सहा0 मानचित्रकार खनिज शाखा टीकमगढ़ एवं ग्राम पंचायत बीजोर से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। आम जनता / ग्रामवासियों को जानकारी हेतु इस्तहार का प्रकाशन किया गया। विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

वन मण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल टीकमगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1469 रकवा 6.192 हे0 क्षेत्र की स्थल जांच वनपरिक्षेत्राधिकारी निवाड़ी द्वारा की गयी जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, आवेदित क्षेत्र राजस्व क्षेत्र है, तथा नजदीकी वन सीमा कक्ष क्रमांक पी-194 बी से 1350 मी0 की दूरी पर है। आवेदित क्षेत्र से 10 कि0मी0 की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण एवं घोषित जैव विविधता क्षेत्र नहीं आता है।

तहसीलदार निवाड़ी द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि, उक्त क्षेत्र ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1469 रकवा 6.192 हे0 का स्थल निरीक्षण हल्का पटवारी द्वारा किया गया। जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, उक्त आवेदित क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, उक्त आवेदित क्षेत्र शासकीय भूमि है। उक्त क्षेत्र से रेलवे लाइन 15.00 कि0मी0, नदी 5.00 कि0मी0 एवं आबादी 20.00 मी0 की दूरी पर है।

प्र0खनि निरीक्षक टीकमगढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि, उक्त खसरा नम्बर से ग्रामीण/राज्य/राष्ट्रीय मार्ग (कच्चा मार्ग लगभग 20 मी0) एवं आबादी 20 मी0 लगभग की दूरी पर स्थित है। पुल/रेलवे लाइन/नदी/नाला/ नहर/ जलीय/बांध/ सार्वजनिक/ धार्मिक स्थल/ सार्वजनिक उपयोग की भूमि/ मरघट प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं आता है। आवेदक मेसर्स डी0जी0 बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-11 एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0) को ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1469 रकवा 6.192 हे0 क्षेत्र खनिज ग्रेनाइट के लिये म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधान अनुसार आवेदक को प्रतिबंधित दूरियां छोड़कर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति दिया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम पंचायत बीजोर द्वारा अपने प्रस्ताव द्वारा मेसर्स डी0जी0 बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-11 एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0) को

E: B

उक्त भूमि 1469 रकवा 6.192 हे० क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट हेतु पट्टा दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

सहायमानचित्रकार द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि, प्राप्त आवेदन नवीन आवेदन है। उक्त क्षेत्र पर पूर्व से कोई आवेदन लंबित नहीं है। आवेदक मेसर्स डी०जी० बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल०एल०पी० पार्टनर एम०के० गीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-II एम०पी० नगर भोपाल (म०प्र०) का आवेदित क्षेत्र ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1469 रकवा 6.192 हे० क्षेत्र मंदिर से 2.100 हे० तथा प्र०खनि निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्र आबादी से रकवा 0.802 हे० क्षेत्र छोने जाने के पश्चात् के अंश रकवा 3.290 हे०पर खनिज ग्रेनाइट पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है।

आवेदन पत्र पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति हेतु उक्त पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2018 में समस्त जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पूर्ण विचारोपरांत एवं अधोलिखित विवरण अनुसार ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1469 रकवा 6.192 हे० क्षेत्र के अंश रकवा 3.290 हे० पर खनिज ग्रेनाइट की अनुज्ञप्ति ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियम (कन्जर्वेशन एण्ड डेवलपमेंट रूल्स 1999 के नियम (5) की सारिणी क्रमांक (2) अनुसार व निम्नांकित शर्तों के अधीन 02 वर्ष के लिये स्वीकृत की जाती है।

1. आवेदक का नाम मेसर्स डी०जी० बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल०एल०पी० पार्टनर एम०के० गीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-II एम०पी० नगर भोपाल (म०प्र०)
2. आवेदित क्षेत्र ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1469 रकवा 6.192 हे०
3. स्वीकृत क्षेत्र ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1469 रकवा 3.290 हे०
4. खनिज का नाम ग्रेनाइट
5. अवधि 02 वर्ष (दो वर्ष)
6. भू-परिमाण थियोडोलाइट सर्वे यदि आवश्यक हो तो।
7. खनिज बकाया अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि आवेदक के ऊपर कोई खनिज राजस्व बकाया तो नहीं है।
8. ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियम 1999 नियमों का पालन करना होगा।
9. वन संरक्षण अधिनियम यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि आवेदक के पक्ष वर्णित स्वीकृत क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान से प्रभावित तो नहीं होता है।

यदि आवेदक को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हो तो इस पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत दिनांक से तीन माह के अंदर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुबंध कराते हुये भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन पंजीयन कराना होगा। जहां उपरोक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निष्पादन नहीं किया जाता है तो पट्टा मंजूरी का यह आदेश प्रतिसंहत समझा जावेगा।

26/9/18
कलेक्टर

ज़िला टीकमगढ़

पृ0क्रमांक /11/खनि/तीन-6/2018/1584

टीकमगढ़, दिनांक 26-9-2018

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. 29-एअरेरा हिल्स भोपाल।
2. तहसीलदार, निवाड़ी की ओर सूचनार्थ।
3. खनिज निरीक्षक टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ।
4. मेसर्स डी0जी0 बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-II एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

26/9/18

कलेक्टर

ज़िला टीकमगढ़

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी म0प्र0

क्रमांक 11/खनिज/तीन-6/2020/6674

निवाड़ी, दिनांक 24.02.2020

प्रति,

मेसर्स डी0जी0 बुंदेलखण्ड ग्रेनाईट एल0एल0पी0 पार्टनर एम के मीना
पता- 158 थर्ड फ्लोर जोन-II एम0पी0 नगर
गोपाल म0प्र0।

विषय:- स्वीकृत पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति खनिज ग्रेनाईट क्षेत्र में भू-प्रवेश/कार्य अनुमति बाबत।

विषयांकित संबंध में लेख है कि आपको ग्राम बीजौर तहसील निवाड़ी जिला निवाड़ी के भूमि खसरा नंबर 1469 रकबा 3.290 हे0 क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाईट के पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति कार्यालयीन आदेश क्रमांक 11 खनिज/तीन-6 /2018/1584 दिनांक 28.09.2018 द्वारा निहित शर्तों के अधीन 02 वर्ष के लिये स्वीकृत किया गया है जिसका आपके द्वारा अनुबंध निष्पादन कराया जाकर स्वीकृत क्षेत्र का सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार निवाड़ी से प्राप्त हो चुका है।

अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आपको ग्राम बीजौर तहसील निवाड़ी जिला निवाड़ी के भूमि खसरा नंबर 1469 रकबा 3.290 हे0 क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाईट का स्वीकृति आदेश एवं अनुबंध में निहित शर्तों तथा नीचे अंकित शर्तों के अधीन स्वीकृत क्षेत्र में भू-प्रवेश/कार्य अनुमति म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1969 की धारा 247 (6) के तहत प्रदान की जाती है।

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी, अपने साथ अनुज्ञप्त क्षेत्र से, वाणिज्यिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये मंजूर गौण खनिज की 10घनमीटर तक की मात्रा किसी प्रकार के विश्लेषण और वाणिज्यिक सर्वेक्षण के लिये रायल्टी का भुगतान करके ले जा सकेगा। परंतु अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर मंजूरी प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति क्षेत्र से 100 घन मीटर तक खनिज ले जाने की अनुज्ञा दे सकेगा, खनिज परिवहन के लिये प्रारूप नौ में यथा विहित अभिवहन पास का उपयोग किया जायेगा।
2. उस भूमि को छोड़ते हुये जिस पर अनुज्ञप्तिधारी को उत्खनन घट्टा मंजूर किया गया है अथवा अनुज्ञप्ति का पर्यावसन हो जाने के पश्चात स्वीकृत क्षेत्र को असुरक्षित नहीं छोड़ा जायेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे खनिज का पता लगाने पर जो की अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट न हो, पन्द्रह दिन के भीतर मंजूरी प्राधिकारी को सूचित करेगा और ऐसे नये खनिज को अनुज्ञप्ति में सम्मिलित किये जाने के लिये आवेदन प्रस्तुत करेगा, यदि अनुज्ञप्ति के क्षेत्र में मुख्य खनिज का पता लगता है तो वह स्वीकृत अनुज्ञप्ति को समर्पित करेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी, मंजूरी प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुज्ञप्ति का अंतरण नहीं करेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी उसी क्षेत्र में अथवा मंजूरी प्राधिकारी द्वारा चुने गये किसी अन्य क्षेत्र में पूर्वक्षण सक्रियाओं के कारण नष्ट हुये वृक्षों से दुगुने वृक्ष लगाएगा और अनुज्ञप्ति की कालावधि के दौरान उनका संधारण करेगा।

मंजूर
24/02/20

अनुज्ञतिधारी निजी भूमि की दशा में भूमि स्वामी को भूमि पर प्रवेश की अनुमति के पूर्व परस्पर सहमति के आधार पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।

8. अनुज्ञतिधारी पर्यावरण के संरक्षण के लिये सभी उपाय करेगा और वन भूमि की दशा में (संरक्षण) अधिनियम 1980 और उसके अधीन बनावे गये नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
9. इन नियमों द्वारा पूर्वक्षण अनुज्ञति के धारक पर अधिरोपित किसी शर्त का भंग किये जाने पर मंजूरी प्राधिकारी लिखित में आदेश द्वारा अनुज्ञति को गिरस्त कर सकेगा, परंतु ऐसा कोई भी आदेश अनुज्ञतिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।


कलेक्टर
जिला निवाड़ी
निवाड़ी, दिनांक 24.02.2020

पृ० क्रमांक 11/खनिज/तीन-6/2020/604

प्रतिलिपि:-

1. अनुविनायीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अघेषित।
2. तहसीलदार निवाड़ी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अघेषित।
3. खनिज निरीक्षक, निवाड़ी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अघेषित।


कलेक्टर
जिला निवाड़ी

पृष्ठ सं : 1
 पृष्ठ का संख्या संख्या से इस बात का ज्ञान रखें वही है

पान सं-11
 भारत
 डि. सं. 007/94 के क्र. सं.

NIC-VI:14-mishra

56327562306





56327562306

क्र. सं.	विवरण (शेयर, बंध, वित्त)	विवरण (शेयर, बंध, वित्त)	विवरण (शेयर, बंध, वित्त)	विवरण (शेयर, बंध, वित्त)				विवरण (शेयर, बंध, वित्त)	विवरण (शेयर, बंध, वित्त)
				विवरण (शेयर, बंध, वित्त)	विवरण (शेयर, बंध, वित्त)	विवरण (शेयर, बंध, वित्त)	विवरण (शेयर, बंध, वित्त)		
1	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
2	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112



निदेशक, वित्त विभाग (10/10)



Plot 100/111 with site, water - Drain
Water - 100/111

Area - 16' = 1.11 m
Water No - 1469
2000 - 3.29050
Water -



Area
25/9/12
Water
Drainage (N.V.)

Water
25/9/12
(Site) 25/9/12
Water
Drainage (N.V.)

DR BUNDELKHAND GRANITE LLP
Water
Drainage (N.V.)

Water
Drainage (N.V.)
Water
Drainage (N.V.)

मानचित्रकार का प्रातवदन
(मानचित्रकार द्वारा भरा जा.,

1. आवेदित क्षेत्र सुरक्षित है अथवा नहीं ? नहीं
2. आवेदित क्षेत्र पूर्व में धारित है अथवा नहीं ? नहीं
3. आवेदित क्षेत्र यदि पूर्व में धारित था तो उसका विवरण (पट्टेदार का नाम स्वीकृत अवधि, खनिज का नाम एवं क्षेत्र निरस्त होने का कारण) खनि रिप्लायत अवधि समाप्ति के पश्चात खुला घोषित हुआ अथवा नहीं ? नवीन आवेदन
4. यदि क्षेत्र खुला घोषित है तब खुला घोषित होने की सूचना अनुसार आवेदित क्षेत्र की मानचित्र की स्थिति में रकबा नवीन आवेदन
5. आवेदित क्षेत्र पर पूर्व के आवेदन लंबित है अथवा नहीं ? (लंबित होने पर विस्तृत विवरण) नहीं
6. आवेदित क्षेत्र पूर्व के आवेदनों से आच्छादित होता है तब क्षेत्र उपलब्धता का मानचित्र में अंकन तथा उपलब्धता का मानचित्र में अंकन तथा उपलब्ध क्षेत्र का विवरण नहीं
7. प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ने के उपरांत उपलब्ध क्षेत्र (निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें)

आवेदित क्षेत्र		प्रतिबंधित क्षेत्र		उपलब्ध क्षेत्र		स्वीकृति हेतु
खसरा क्रं	रकबा (हे०)	खसरा क्रं०	रकबा (हे०)	खसरा क्रं०	रकबा (हे०)	उपलब्ध क्षेत्र का योग
1469	6.192	1469	2.902	1469	3.290	3.290 हे०

8. आवेदित क्षेत्र का इतिहास अन आवेदन पर के आवेदित खसरा नं. 1469 के रकबा 6.192 हे० क्षेत्र पर उपलब्ध शासकीय अभिलेखों के अनुसार कोई आवेदन लंबित होना नहीं पसारा गया।
9. क्षेत्र उपलब्धता संबंधी स्पष्ट अनुषंसा आवेदक मे. डी. जी. कुंवर व डी. जी. के द्वारा आवेदित खसरा नं. 1469 के रकबा 6.192 हे० पर प्रतिबंधित क्षेत्र मंदिर से 2.100 हे० तथा पमरी खुनि निरीक्षण के पश्चात अनुसंधान प्रविधि क्षेत्र आधा डी से रकबा 8.802 हे० क्षेत्र हो जाने के पश्चात रकबा 1469 पर रकबा 3.290 हे० खनिज क्षेत्र प्रविधि अनुसंधान उपलब्ध होता है।

दिनांक: 17/07/18
ट्रेस नं. शा संभवत

हस्ताक्षर
Wandey 18/07/18
(मानचित्रकार का नाम)
(सीटैन्डर आलपीय)
सहायक मानचित्रकार



क्षेत्र नक्शा प्राप्त कीजिए, नदीय क्षेत्र
 विस्तार १६५० मीटर

क्षेत्र - १६५० मीटर


क्षेत्र - १५६९

क्षेत्र - ३०२० ई०

क्षेत्र - १५६९

क्षेत्र - १५६९

क्षेत्र - १५६९
 क्षेत्र - १५६९
 क्षेत्र - १५६९



12/11/16

(क्षेत्र नक्शा प्राप्त कीजिए, नदीय क्षेत्र)
 क्षेत्र - १६५० मीटर

कार्यालय तहसीलदार निवाडी जिला टीकमगढ (म०प्र०)

क्रमांक / 100 / प्रवा.- 11 / तह. / 18

दिनांक-24.07.2018

प्रति

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा)
जिला-टीकमगढ (म.प्र.)


विषय:- ग्राम बीजौर तहसील निवाडी रा०नि०मं० निवाडी पटवारी हल्का बीजौर के खसरा क्रमांक 1469 रकबा 6.192 हे. भूमि पर खनिज पत्थर हेतु आवेदक मेमर्स डी०जी० बुंदेलखण्ड ग्रेनाइट एल०एल०पी० पार्टनर एम०के० मीना निवासी- 158 थर्ड फ्लोर जोन- 11 एम०पी० नगर भोपाल म०प्र० द्वारा प्रस्तुत उत्खनि पट्टा आवेदन पत्र।

संदर्भ:- क्रमांक 11 / खनिज / तीन-6 / 2018 / 1177 टीकमगढ दिनांक 17.07.2018 ।

संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है, कि मेमर्स डी०जी० बुंदेलखण्ड ग्रेनाइट एल०एल०पी० पार्टनर एम०के० मीना निवासी- 158 थर्ड फ्लोर जोन- 11 एम०पी० नगर भोपाल म०प्र० द्वारा ग्राम बीजौर तहसील निवाडी स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1469 रकबा 6.192 हे. भूमि पर खनिज पत्थर उत्खनि पट्टा हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में हल्का पटवारी से जांच करवायी गयी। मौका स्थल का निरीक्षण किया गया।

मौका स्थल जांच एवं राजस्व अभिलेख खसरा एवं नक्शा के अवलोकन के आधार पर परिशिष्ट 1 के बिन्दु क्रमांक 1 से 11 प्रतिवेदन एवं प्रपत्र चार में पटवारी प्रतिवेदन एवं नक्शा ट्रेस संलग्न कर उचित कार्यवाही/आदेश हेतु सादर अग्रेसित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार


24/7/18
तहसीलदार
तहसील निवाडी
जिला-टीकमगढ (म०प्र०)
निवाडी

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट निवाडी जिला टीकमगढ़ म.प्र.

दिनांक-

1. फलेक्टर
जिला-टीकमगढ़

2. सदस्य सचिव
SEIAA,
पर्यावरण परिसर
ई-5, अरेरा कालोनी भोपाल

विषय- गौण खनिज (Monitor Mineral) खनिज उत्खनन के पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिए परिशिष्ट-1 में विन्दु क्रमांक 1 से 11 के सत्यापन संबंध।

संदर्भ- क्रमांक 11/खनिज/तीन-6/2018/1177 टीकमगढ़ दिनांक 17.07.2018 ।

उपरोक्त विषयातर्गत श्री/मेनर्स मेमर्स डी0जी0 बुंदेलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 गीना निवासी- 158 थर्ड फ्लोर जोन-1। एम0पी0 नगर भोपाल म0प्र0 द्वारा पर्यावरण खनिज-6912 क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) में से 6.192 हे. भूमि माईनिंग के लिए लीज अवधि 31 वर्ष, खसरा क्रमांक 1469 ग्राम बीजौर तहसील निवाडी जिला टीकमगढ़ हेतु पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिए परिशिष्ट-1 में विन्दु क्रमांक 1 से 11 तक की जानकारी निम्नानुसार है-

क.	निर्धारित विन्दु	हाँ/ नहीं	जानकारी विवरण (यदि हाँ है, जो संपूर्ण विवरण दें)
1	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई मानव बसाहट स्थित है।	हाँ	लगभग 20 मी. दूरी पर आवादी स्थित है
2	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई जलीय निकाय स्थित है।	नहीं	
3	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई नदी स्थित है।	नहीं	
4	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर शैक्षणिक संस्थान स्थित है।	नहीं	
5	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई चिकित्सालय स्थित है।	नहीं	
6	क्या 10 कि.मी. की परिधि में कोई अन्तर्राज्यीय सीमा है।	हाँ	उ0प्र0 की सीमा
7	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी/पुरातत्विक महत्व के स्थल स्थित है ?	नहीं	
8	क्या 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्थित है? यदि हाँ तो उसका कुल क्षेत्रफल तथा खनिज का नाम	हाँ	आवेदक की स्वयं की खदान
9	प्रस्तावित खनिज का अनुमानित उत्पादन	नहीं	
10	नदी से रेत खनन के प्रकरण में (अ) नदी किनारे से खनन परिसर की दूरी क्या है ? (ब) नदी की कुल चौड़ाई का 1/5 भाग कितने मीटर में है ?	नहीं	
11	क्या प्रस्तावित परियोजना के कारण महत्वपूर्ण जलागम (Water Intank) या जल बहाव क्षेत्र में परिवर्तन होगा ? (यदि हाँ तो परिवर्तन का विवरण दें)	नहीं	

टीप- आवेदित क्षेत्र आवादी से लगभग 20 मीटर की दूरी पर है व पहाड़ी के ऊपर (देवरथान) मंदिर बना है।

प्रतिलिपि- आवेदक

2017/18
तहसीलदार
(हस्ताक्षर सह निवाडी तहसील निवाडी उपखण्ड मजिस्ट्रेट/टीकमगढ़ जिला)
दिनांक-
2017/18
तहसीलदार
(हस्ताक्षर सह निवाडी तहसील निवाडी उपखण्ड मजिस्ट्रेट/टीकमगढ़ जिला)
दिनांक-

कलेक्टर खनिज (शाखा)

जिला टीकमगढ़ (न०प्र०)

दिनांक:-

श्री. ~~सुरेश जी. जी.~~ ^{शुभाषी} द्वारा आवेदित ग्राम बोली

प०ह०न०.०

खसरा नम्बर 1469

तहसील निवाडी

के 6-912

हेक्टेयर/एकड़ भूमि पर खनिज आवेदन पत्र की जानकारी निम्नानुसार है-

- (1) क्या आवेदित क्षेत्र का मिलान पटवारी के नक्शे हो
की चालू सीट से होता है, संलग्न नक्शा पर
पटवारी के द्वारा हस्ताक्षर किये जावे।
- (2) आवेदित खसरा के क्षेत्र का कुल रकवा 6-912
हे० आवेदित खसरा को रकवा 6-912 हे०
निस्तार हेतु सुरक्षित रकवा 32-251 हे०
- (3) ग्राम का कुल रकवा 11-037 हे० ग्राम में पशुओं
की संख्या 3820 चराई के लिये सुरक्षित कुल
रकवा 13-032 हे०
- (4) नियमानुसार चराई हेतु सुरक्षित रकवा छोड़ने हो
पर कितना आवेदित क्षेत्र के आसपास का पूर्व
स्वीकृत रकवा शेष रहता है, खनि पट्टे/उत्खनि
पट्टे, खसरा नम्बर का नक्शा एवं खसरा पंचशाला
संलग्न किया जाये।
- (5) आवेदित क्षेत्र से रेलवे लाईन, नदी, नाला, रोड मरघट रेलवे लाइन लगभग 15 KM, नदी 5 KM
आदि की दूरी। श्री. लामण 15 मी. बी.डी. पर है
- (6) ग्राम की आबादी से आवेदित क्षेत्र की दूरी। लगभग 10 मी.
- (7) आवेदित भूमि के खसरा पंचशाला का ब्यौरा हो
खसरा पंचशाला की नकल, पटवारी, हस्ताक्षरित
संलग्न किया जावे।
- (8) आवेदित क्षेत्र में मुख्य तथा गौण फसल का पृष्ण
ब्यौरा तथा वार्षिक लगान।
- (9) आवेदित क्षेत्र के निस्तार क्षेत्र होने बाबत नहीं है.
निस्तार पत्रक संलग्न किया जावे, आवेदित क्षेत्र
निस्तार हेतु सुरक्षित तो नहीं है।
- (10) आवेदित क्षेत्र की भूमि पहाड़ी
समतल/ऊबड़-खाबड़/पहाड़ी/दो फसली
/पड़ती आदि का ब्यौरा।
- (11) यदि क्षेत्र में कृषि उपज होती है, तो यह स्पष्ट
करे, कि खनिज से प्राप्त होने वाली आय कृषि
से प्राप्त आय से कम होगा या ज्यादा।
- (12) क्या ग्रामवासियों को पास के जंगल में मवेशी
चराई की सुविधा उपलब्ध है। हो
- (13) आवेदित क्षेत्र के विषय में ग्राम के कोटवार से
मुनादी कराकर ग्रामवासियों, ग्राम पंचायत का
मत प्राप्त कर संलग्न किया जाये उत्खनि पट्टा
हेतु आवेदित क्षेत्र का ग्राम समा का प्रस्ताव

संलग्न किया जावे।

क्या आवेदित क्षेत्र किसी विशेष योजना के अंतर्गत आता है। या निकट भविष्य में आने की संभावना है। अथवा अन्य विभाग द्वारा इस क्षेत्र मांगे जाने की संभावना है।

नहीं

(15) निजी भूमि के मामले में यदि भूमि अर्जित की जाती है तो क्षति पूर्ति मुआवजा का अनुमानित राशि प्रति एकड़/वर्तमान मूल्य।

भूमि आसकीय है।

(16) भूमि स्वामी का भूमि खनिज दोहन हेतु अर्जित किये जाने पर भूमि स्वामी भूमिहीन तो नहीं हो जायेगा।

—

(17) क्या भूमि स्वामी ने पहले भी अन्य प्रकरण में अपनी सहमति दी है, यदि हां तो नाम व पता।

—

(18) आषासकीय भूमि के मामले में निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी दे:-

(क)-फसल का नाम-एक फसली का रकबा-

भूमि आसकीय है

(ख)-भूमिस्वामी की सहमति है या नहीं

(ग)-क्या क्षेत्र पड़ती है यदि हां तो कितने वर्षों से

—

(घ)-क्या भूमि रहन या गिरबी है।

(द)-आवेदित क्षेत्र में पेड़ों की स्थिति,बाग या फलदार

—

वृक्ष राष्ट्रीय वनोपज की संख्या

भूमि आसकीय है

(च)-भूमि स्वामी हरिजन या आदिवासी है-

(छ)-भूमि स्वामी के पास कुल कितनी भूमि है-

—

(ज)-शासन द्वारा भूमि स्वामी को भूमि वांछित

—

(अलाटेड) तो नहीं की गई है।

(19) आवेदित क्षेत्र माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

नहीं आवेदित क्षेत्र राज्य विभाग के अंतर्गत तो नहीं आता है।

याचिका क्र० 202/95 में परिभाषित वन श्रेणी

सहमति है

के अंतर्गत तो नहीं आता है।

(20) यदि आवेदित क्षेत्र में खनि रियायत स्वीकृति

भूमि पट्टी है

कर दी जाती है। तो अन्य कोई वैधानिक अड़चन

तो न होगी तर्क सहित स्पष्ट करे।

(21) आवेदित क्षेत्र नया है या पूर्व में इसी क्षेत्र पर खनि

नया

पट्टा/उत्खनि पट्टा/पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत था।

(22) अन्य आवश्यक जानकारी।

सहपत्र:- मानचित्र पहाड़ी के रूप (अवस्थान) में ही बना है

उद्घोषणा-पत्र

24/7/18

तहसीलदार

तहसील निवाड़ी

विभाग-सिंचन

पटवारी

ग्राम

पोहो नं०

तहसील

एक प्रति ग्राहकील बोर्ड पर चस्पा किया है
 एक प्रति ग्राम पंचायत बोर्ड पर चस्पा किया है
 एक प्रति आम औरद पर चस्पा किया गया है
 ऑटो ग्राफी द्वारा मुनादी निकाली है -

देवीप वंशकार जवाह परमजाल २०१७

Rajendra Singh

R. Singh

पावीराम



महा जमादार
 नदीन निवाडी



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वन मण्डल, (ईको सेन्टर ढोंगा) टीकम

ई-मेल : dfotkmgar@mp.gov.in

फोन नं. : 07683-245315 फेक्स नं. : 24

क्रमांक/मा.वि./2018/ 1851

टीकमगढ़, दिनांक - 13/8/18

प्रति,

कलेक्टर (खनिज)
जिला - टीकमगढ़

विषय :-

ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी की भूमि सर्वे क्रमांक 1469 रकबा 6.192 हेक्टेयर भूमि पर खनिज पट्टा प्रदायक आवेदक मेसर्स डी.जी. बुन्देखण्ड ग्रोनाईट एल.एल.पी. पार्टनर एम.के.मीना पता 158 थर्ड फ्लोर जोन-2 एम.ए. नगर भोपाल (म.प्र.) के संघ में अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ :-

आपका पत्र क्रमांक/11/खनिज/तीन-8/2018/1177 दिनांक 17.07.2018

विषयवर्तित प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी की भूमि सर्वे क्रमांक 1469 रकबा 6.192 हेक्टेयर का स्थल जांच प्रतिवेदन भेजने बाबत अनापत्ति चाही गई थी जिसके संघ में वनपरिक्षेत्राधिकारी निवाड़ी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त गया, उनके जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 784 दिनांक 02/08/2018 के अनुसार आवेदित क्षेत्र राजस्व है, तथा नजदीकी वनसीमा क्र. P 194 B से 1350 मीटर की दूरी पर है। आवेदित क्षेत्र से 10 कि०मी० की परिधि में कोई नेशनल पार्क क्षेत्र/अभ्यारण्य क्षेत्र एवं जैवविविधता क्षेत्र स्थिति नहीं है।

आवेदित क्षेत्र के अक्षांश/देशांतर को जी०पी०एस० रीडिंग निम्नानुसार है।

अक्षांश	देशांतर
25°27'38.5"	78°46'37.8"
25°27'26.7"	78°46'33.5"
25°27'32.1"	78°46'38.2"
25°27'38.1"	78°46'29.6"
25°27'27.0"	78°46'31.5"

उक्त आवेदित क्षेत्र उत्खनन पट्टे पर स्वीकृत हेतु निम्न शर्तों के अधीन एन०ओ०सी० जारी की जाती है।

- (1) एन०ओ०सी० शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 147/34/10-3 भोपाल दिनांक 12.01.2000 की कण्डिका 3.5 ए 6 का पालन किया जावे, जिसके अनुसार :-
- (2) खदान स्वीकृत होने पर मौके पर जिला खनिज अधिकारी एवं संबंधित उप वन मण्डलाधिकारी खदान क्षेत्र का सीमांकन करके खदान सीमा पर खदान ठेकेदार के व्यय से सीमेट के मुनारे बनाकर उन पर क्रमवार नम्बर डाले जायेंगे। मुनारे के बनने पर पुनः खनिज अधिकारी व उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने और मुनारे सही पाये जाने के पश्चात् ही खदान ठेकेदार को उत्खनन हेतु क्षेत्र का कब्जा दिया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जावे।
- (3) प्रत्येक माह खनिज अधिकारी अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकारी संयुक्त रूप से खदान क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रमाण पत्र देंगे कि ठेकेदार द्वारा स्वीकृत खदान क्षेत्र के बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है। यदि खदान क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया जाना पाया जाये तो खदान निरस्त करने की कार्यवाही की जाये तथा इस कार्यालय को भी सूचित किया जावे।
- (4) स्वीकृत खदान क्षेत्र के आस पास (2 कि०मी० की परिधि में) अवैध उत्खनन नहीं होने का दायित्व खनिज ठेकेदार का होगा यदि आसपास के क्षेत्र में अवैध उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना ठेकेदार द्वारा खनिज अधिकारी व वन मण्डलाधिकारी को तत्काल लिखित में दी जावेगी। इसके विपरीत स्थिति में तीज निरस्ती की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।
- (5) वन सार्व से मिट्टी/वत्थर की निकासी होने पर ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय से पृथक से अनुमति ली जावेगी।
- (6) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 202/95 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12.12.1996 में दी गई वन व परिसमाप्त के अनुसार यदि क्षेत्र वन की श्रेणी में आता हो तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।
- (7) वन सीमा से 250 मीटर की परिधि में उत्खनन कार्य पाये जाने पर यह एन.ओ.सी. निरस्त मानी जावेगी।
- (8) उक्त शर्तों का पालन ना होने पर इस कार्यालय द्वारा अवैध उत्खनन की सूचना देने पर इस पत्र को प्रभावहीन मानते हुए तीज तत्काल निरस्त की जावे।
- (9) पर्यावरण की दृष्टि से आवेदित क्षेत्र के 25 प्रतिशत भाग में स्थानीय प्रजाति का वृक्षारोपण अनिवार्य है।
- (10) प्रस्तावित क्षेत्र के छोट-बड़े झाड़ वन राजस्व वनक्षेत्र होने की स्थिति में N.D.C निरस्त/अमान्य मानी जावे।


4-13/8/18
वन संरक्षक


क्षेत्रीय वन मण्डल, टीकमगढ़

(1) ग्राम पंचायत का नाम श्रीगौर
 (2) समितिलन की तारीख 15.10.81.20.18
 (3) समितिलन का स्थान श्रीगौर

प्राप्त 3 (नियम 7 देखिये)
 (4) समितिलन का समय 10:30 बजे शुभर
 (5) उपस्थित सदस्यों की संख्या 130

समितिलन के समय रखे गये विषय	समितिलन के कार्यवृत्त
<p>1</p> <p>ग्राम पंचायत कीर्तिर में खनिज शेनाईट खखनि पदरा स्कीकल हेतु अनापसि के संर्षण से।</p>	<p>2</p> <p>प्रस्ताव: श्रीमति मिथला चरर प्रार्थनने इसाण रखा कि श्रीपण कुलेक्टर महोदय (खनिजशाखा) टीठमणद के कारेशा कं. 11/खनिज/वीन-6/2018/1173 दिनांक 17/07/18 के अनुसार केवडी.पी. बुंदेलखंड शेनाईट टन एन.पी. 158, जीन-2, तम.पी. नगर गोगान की ग्राम कीर्तिर से शेनारा नं. 1469 रकवा 6.192 हे. क्षेत्र पर खनिज शेनाईट खखनि पदरा स्कीकल करने हेतु ग्रामशाखा का अधिलन चाला गया है। प्रमाण के फल पर ग्रामशाखा में विचार किया गया कि विचार विमर्श उपरान्त शर्विसमसि से विधिय लिया गया कि यदि खखन डूपनी को ग्राम कीर्तिर में श्रुति कासरा नं. 1469 रकवा 6.192 हे. क्षेत्र पर खनिज शेनाईट खखनि पदरा स्कीकल किये जाने से ग्रामशाखा को किसी भी प्रकार की ओडि आर्थिसे नहीं है। प्रलनन शर्विसमसि से कारिये किया गया।</p> <p>सत्यप्रतिनिधि</p>


 ग्राम पंचायत कीर्तिर
 ग्राम पंचायत (स.प्र.)


 ग्राम पंचायत
 ग्राम पंचायत

प्रति,

कलेक्टर

जिला टीकमगढ़

विषय:- खनि रियायत हेतु आवेदित क्षेत्र स्थल जांच प्रतिवेदन।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1177 दिनांक 17/07/18

-000-

- (1) स्थल निरीक्षण का दिनांक- 9/09/18
- (2) आवेदक का नाम एवं पता- मे.म.सी. सी.पी.ओ. बुंदेलखण्ड ग्रेनाइट स्टोन एल.पी.ओ. पा.
म.स. मीना पा. - 158 थरिया स्टोर को- II म.प. नगर भोपाल
- (3) आवेदित क्षेत्र का विवरण- बीकोल स्टोनमाडी के 721 फी. (वर्ग फी. 1469 डे. 6192 हे. पा. रविवि. ग्रेनाइट
- (4) आवेदित क्षेत्र की भूमिकी- पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र

(5) आवेदित क्षेत्र की स्थल आकृति- पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र

(6) खनि नियमों के अनुसार आवेदित क्षेत्र से प्रतिबंधित दूरी :-

- (ए) पुल उत्सिद्धि क्षेत्र की सी. में होना नहीं पाया
- (बी) ग्रामीण / राज्य / राष्ट्रीय मार्ग के किनारे 20 मीटर लगाना
- (सी) रेलवे लाइन उत्सिद्धि क्षेत्र की सी. में होना नहीं पाया
- (डी) नदी / नाला / नहर उत्सिद्धि क्षेत्र की सी. में होना नहीं पाया
- (ई) जलीय / बांध उत्सिद्धि क्षेत्र की सी. में होना नहीं पाया
- (एफ) सार्वजनिक / धार्मिक स्थल (दिरि) लगा हुआ पाया
- (एच) आवादी 20 मी. लगाना
- (आई) सार्वजनिक उपयोग की भूमि उत्सिद्धि क्षेत्र की सी. में होना नहीं पाया
- (जे) मरघट उत्सिद्धि क्षेत्र की सी. में होना नहीं पाया

7) आवेदित खनिज की प्रारंभिक उपलब्धता रविवि. ग्रेनाइट सहित
की उपलब्ध होना पाया गया।

पंचनामा

पंचनामा लिखा गया आज दिनांक 25.11.19 को हम पंचायत ग्राम वीजौरवाली में कि कार्यालय
कालकटर महोदय (स्वनिज शाखा) जिला निवाडी के कु. 11/स्वनिज/सी-06/2019/473
आदेश दिनांक 24-10-2019 एवं श्रीमान् लहसीलदार महोदय निवाडी के आदेश के पालन में
राजस्व निरीक्षक महोदय निवाडी एवं हल्का पटवारी वीजौरवाली वीजौर सिवाह भूमि क्षेत्र
1469 रकबा 3.290 हे० के मौका स्थल पर उपस्थित होकर मुद्रांकित स्थान सीमा
चिन्हों से नाप कर नियमानुसार सीमांकन किया गया सीमांकन पर पटवार गड़बाधे जय/
आचरक को सीमांकन का ज्ञान कराया गया।

सीमांकन के समय श्री जी. सुन्दरलक्ष्मण गेनर एल.एल.पी। की अतिरिक्त उपस्थिति
श्री विनय जोरम S/o श्री श्री निवास जोरम मौका स्थल पर उपस्थित रहे तथा ग्राम के
समस्त ही मौका स्थल पर उपस्थित रहे।
पंचनामा लिखा सो अती है कार्य पर काम भवे।

Handwritten signature
25.11.19

Handwritten signature
25.11.19

Handwritten signature
शिवराज

Handwritten signature
अशोक शर्मा

शिवराज

अशोक शर्मा

अजय

सुनील

अशोक

प्रदर्शक 2

कार्य निवाली

अवधेश

04/12/19

लहसीलदार
निवाडी, जिला-निवाडी

कर्मचारी राज्य निरीक्षक महाराष्ट्र विवाही, तहसील - निवाही, जिला - निवाही

सूचना पत्र

प्रति (1) डी.पी. कुंदेलखंड पोस्ट 2-4-P अंश
प्रतिबंधित निवासगैरकृषी डी.पी. निवासगैरकृषी

कापलोगेणको सूचित किया जाय है कि डी.पी. कुंदेलखंड पोस्ट 2-4-P निवासगैरकृषी के माफे दिनांक 01-11-2019 से 3-2-20 हेक्टर पर सिंचन काम वीजोदर का सीमांकन किया जाना है। सीमांकन हेतु दिनांक 25-11-2019 नियत की गई है।

काम काप लोड नियत दिनांक 25-11-19 के सुबह 11:00 बजे मौ का रोज पर उपस्थित रहे।

23/11/19

प्रमुख-4
04/12/19
तहसीलदार
निवाही, जिला-निवाही

(Signature)

ANNEXURE A-10

311030 -50
16.06.2022

संचालनालय
भौमिकी तथा खनिकर्म
मध्यप्रदेश
29-ए, "खनिज भवन", अरेरा हिल्स, भोपाल
फोन एवं फैक्स 0755-2551795
ई-मेल dirgeomn@mp.nic.in

क्रमांक / खनिज/उप./न.क्र.103/2021, भोपाल, दिनांक
प्रति,

मेसर्स डी.जी. बुन्देलखण्ड,
ग्रेनाइट एल.एल.पी. पार्टनर श्री एम के मीना,
निवासी- 1 पलौर, चेतक काम्पलेक्स,
नियर एफ.सी.आई. भवन, जोन II, एम.पी. नगर,
भोपाल (मध्यप्रदेश)

विषय: जिला निवाडी, तहसील निवाडी के ग्राम बीजौर की (शासकीय भूमि) खसरा क्रमांक 1469 का रकबा 6.710 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट, का उत्खनन पट्टा हेतु सैद्धांतिक सहमति बाबत।

आवेदक मेसर्स डी.जी. बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल.एल.पी. पार्टनर श्री एम.के. मीना के पक्ष में इस कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के आदेश पृष्ठ क्रमांक 1585 दिनांक 26.09.2018 द्वारा जिला निवाडी के ग्राम बीजौर के खसरा क्रमांक 1467 के रकबा 6.710 हेक्टेयर क्षेत्र पर ग्रेनाइट खनिज की पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति 02 वर्ष के लिए स्वीकृत की जाकर दिनांक 26.09.2018 से 25.09.2020 तक के लिए अनुबंधित थी।

आवेदक द्वारा उपरोक्त क्षेत्र पर पूर्वेक्षण रिपोर्ट संलग्न करते हुये आवश्यक सहपत्रों के साथ कलेक्टर कार्यालय में दिनांक 18.09.2020 को 30 वर्ष की अवधि हेतु खनिज ग्रेनाइट, का उत्खनन पट्टा आवेदन पत्र जिला निवाडी, ग्राम बीजौर, तहसील निवाडी के रकबा 6.710 हेक्टेयर क्षेत्र पर प्रस्तुत किया गया।

कलेक्टर कार्यालय द्वारा आवेदित क्षेत्र के संबंध में आवश्यक जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर उक्त प्रतिवेदनों के अनुसार आवेदित क्षेत्र खसरा क्रमांक 1467 का रकबा 6.710 हेक्टेयर क्षेत्र (मानचित्र में दर्शित अनुसार) उत्खनन पट्टा पर स्वीकृति हेतु उपलब्ध प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार प्रस्ताव पत्र क्रमांक 897/खनिज/2022 निवाडी दिनांक 16.03.2022 द्वारा इस कार्यालय में निराकरण करने हेतु प्रेषित किया गया।

अतः प्रकरण में आवश्यक परीक्षण उपरांत आवेदक के पक्ष कलेक्टर खनिज शाखा जिला निवाडी के प्रस्ताव अनुसार ग्राम बीजौर की (शासकीय भूमि) खसरा क्रमांक 1467 का रकबा 6.710 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट, का उत्खनन पट्टा 30 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत करने का निर्णय लिया जाकर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की जाती है। आप इस सैद्धांतिक सहमति पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के अंदर अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण सम्मति उपलब्ध करावें। अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरण सम्मति उपलब्ध कराने के पश्चात ही उत्खननपट्टा स्वीकृत आदेश जारी किये जा सकेंगे।

(विभागीय मंत्री का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया है)

पृ.क्रमांक 7371 / खनिज/उप./न.क्र.19/2020, भोपाल, दिनांक 25/5/22
प्रतिलिपि कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाडी की ओर उनके पत्र 895/खनिज/2022 निवाडी दिनांक 16.03.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक
(प्रशासन एवं खनिकर्म)

21/5/22
संचालक

(प्रशासन एवं खनिकर्म)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

क्रमांक /11/खनि/तीन-6/2018/1585

टीकमगढ़, दिनांक 26/9/2018

//आदेश//

आवेदक मेसर्स डी0जी0 बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-II एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0) द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 30.06.2018 को ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1467 के कुल रकवा 6.960 हे0 पर ग्रेनाइट खनिज के पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति बाबत आवेदन दो वर्ष के लिये म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 21 (2) (क) के तहत मय सहपत्रों सहित निर्धारित फार्म '22' में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन की स्थल जांच तहसीलदार निवाड़ी, वनमण्डलाधिकारी टीकमगढ़, प्र0खनिज निरीक्षक, मानचित्रकार तथा ग्राम पंचायत आदि की रिपोर्ट एवं अनापत्ति प्राप्त की गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

आवेदित क्षेत्र की उपलब्धता के संबंध में वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल टीकमगढ़, तहसीलदार निवाड़ी, प्र0खनि निरीक्षक टीकमगढ़, सहा0 मानचित्रकार खनिज शाखा टीकमगढ़ एवं ग्राम पंचायत बीजोर से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। आम जनता /ग्रामवासियों को जानकारी हेतु इशतहार का प्रकाशन किया गया। विभागों से प्राप्त प्रतिवेदन में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

वन मण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल टीकमगढ़ द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1467 रकवा 6.960 हे0 क्षेत्र की स्थल जांच वनपरिक्षेत्राधिकारी निवाड़ी द्वारा की गयी जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, आवेदित क्षेत्र राजस्व क्षेत्र है, तथा नजदीकी वन सीमा कक्षा क्रमांक पी-194 बी से 1155 मी0 की दूरी पर है। आवेदित क्षेत्र से 10 कि0मी0 की परिधि में कोई नेशनल पार्क/अभ्यारण एवं घोषित जैव विविधता क्षेत्र नहीं आता है।

तहसीलदार निवाड़ी द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि, उक्त क्षेत्र ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1467 रकवा 6.960 हे0 का स्थल निरीक्षण हल्का पटवारी द्वारा किया गया। जिसमें उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि, उक्त आवेदित क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, उक्त आवेदित क्षेत्र शासकीय भूमि है। उक्त क्षेत्र से रेलवे लाईन 15.00 कि0मी0, नदी 5.00कि0मी0, सड़क 200मी0 एवं आबादी 15 मी0 की दूरी पर है।

प्र0खनि निरीक्षक टीकमगढ़ द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि, उक्त खसरा नम्बर से ग्रामीण/राज्य/राष्ट्रीय मार्ग (कच्चा मार्ग लगभग 10 मी0), सार्वजनिक/धार्मिक स्थल (आंगनवाड़ी 100 मी0) एवं आबादी 15 मी0लगभग की दूरी पर स्थित है। पुल/रेलवे लाईन/नदी/नाला/नहर/ जलीय/बांध/ सार्वजनिक उपयोग की भूमि/ मरघट प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं आता है। आवेदक मेसर्स डी0जी0 बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-II एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0) को ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1467 रकवा 6.960 हे0 क्षेत्र खनिज ग्रेनाइट के लिये म0प्र0 गौण खनिज नियम 1996 के प्रावधान अनुसार आवेदक को प्रतिबंधित दूरियां छोड़कर पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति दिया जाना प्रस्तावित है।

AKR
26/9/18

ग्राम पंचायत बीजोर द्वारा अपने प्रस्ताव द्वारा मेसर्स डी0जी0 बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-11 एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0) को उक्त भूमि 1467 रकवा 6.960 हे0 क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट हेतु पट्टा दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

सहा0मानचित्रकार द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि, प्राप्त आवेदन नवीन आवेदन है उक्त क्षेत्र पर पूर्व से कोई आवेदन लंबित नहीं है। आवेदक मेसर्स डी0जी0 बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-11 एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0) का आवेदित क्षेत्र ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1467 रकवा 6.710 हे0 क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु क्षेत्र उपलब्ध होता है।

आवेदन पत्र पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति हेतु उक्त पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2018 में समस्त जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर पूर्ण विचारोपरांत एवं अधोलिखित विवरण अनुसार ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1467 के कुल रकवा 6.960 हे0 के अंश रकवा 6.710 पर खनिज ग्रेनाइट की अनुज्ञप्ति ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियम (कन्जर्वेशन एण्ड डेवलपमेंट रूल्स 1999 के नियम (5) की सारिणी क्रमांक (2) अनुसार व निम्नांकित शर्तों के अधीन 02 वर्ष के लिये स्वीकृत की जाती है।

1.	आवेदक का नाम	मेसर्स डी0जी0 बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-11 एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0)
2.	आवेदित क्षेत्र	ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1467 रकवा 6.960 हे0
3.	स्वीकृत क्षेत्र	ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी में खसरा क्रमांक 1467 रकवा 6.710 हे0
4.	खनिज का नाम	ग्रेनाइट
5.	अवधि	02 वर्ष (दो वर्ष)
6.	भू-परिमाण	थियोडोलाइट सर्वे यदि आवश्यक हो तो।
7.	खनिज बकाया	अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि आवेदक के ऊपर कोई खनिज राजस्व बकाया तो नहीं है।
8.	ग्रेनाइट संरक्षण एवं विकास नियम 1999	नियमों का पालन करना होगा।
9.	वन संरक्षण अधिनियम	यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि आवेदक के पक्ष वर्णित स्वीकृत क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान से प्रभावित तो नहीं होता है।

यदि आवेदक को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हो तो इस पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत दिनांक से तीन माह के अंदर नियमानुसार निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर अनुबंध कराते हुये भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के अधीन पंजीयन कराना होगा। जहां उपरोक्त कालावधि में ऐसे विलेख का निषादन नहीं किया जाता है तो पट्टा मंजूरी का यह आदेश प्रतिसंहृत समझा जावेगा।

26/9/18
कलेक्टर

जिला टीकमगढ़

पृ0कमांक /11/खनि/तीन-6/2018/1585

टीकमगढ़, दिनांक 26-9-18

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, भूमिकी तथा खनिकर्म म.प्र. 29-ए.अरेरा हिल्स भोपाल।
2. तहसीलदार, निवाड़ी की ओर सूचनार्थ।
3. खनिज निरीक्षक टीकमगढ़ की ओर सूचनार्थ।
4. मेसर्स डी0जी0 बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 मीना पता-158 थर्ड फ्लोर, जोन-II एम0पी0 नगर भोपाल (म0प्र0)की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

26/9/18
कलेक्टर

जिला टीकमगढ़




ड्रेस नम्बरा - ३२७ - वीजौर
व्यक्ति - मिश्री, जिला - दीपावड


पैमाशा 16" = 1 मील


खसरा नं० - 1467

रकबा - 6.710 हे०

आवेदिन क्षेत्र - 

खसरा नं०

प्रतिबंधित क्षेत्र - 



Handwritten signature
17/7/18

(डीप्टी मालकीय)
सहायक मासिककार
खसरा - शाखा
दीपावड (म०प्र०)



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पंजीयन प्रमाणपत्र

पंजीकरण का विवरण

ई पंजीकरण संख्या	MP421162018A1681420
पंजीकरण की तिथि	05/10/2018
ई-पंजीयन प्रमाणपत्र के प्रिंट करने की तिथि	05/10/2018
संपत्ति का मूल्य (यदि लागू है)	9259800
प्रतिफल राशि / प्रतिभूत राशि / प्रीमियम राशि (रुपये)	2050
पंजीयन शुल्क (रुपये)	6945
कुल स्टाम्प शुल्क (रुपये)	9260
उप पंजीयक का नाम	AZIZ KHAN
उप पंजीयक कार्यालय का नाम	उपपंजीयक कार्यालय टीकमगढ़

पट्टावली- स्वयं

नाम श्री अभिजीत आठवाल जी
पता/पति का नाम
सित
कलेक्टर निवास टीकमगढ़, लखनौल व जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश, भारत

पट्टेदार- स्वयं

संगठन का नाम मेसर्स डी.जी.बुन्देलखण्ड ट्रेनार्ड एल.एल.पी.
अधिकृत व्यक्ति का नाम श्री एम के मीना
मेसर्स डी.जी.बुन्देलखण्ड ट्रेनार्ड एल.एल.पी. पता- प्लॉट नम्बर 158, डी.जी. हार्डिस, बर्ड फालो, जेन-II, एम.पी.नगर भोपाल मध्यप्रदेश।, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

Digitally signed
by Aziz Khan
Date: 2018.10.05
20:30:13 IST

उप पंजीयक के हस्ताक्षर





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश



स्टाम्प शुल्क का प्रमाण पत्र

ई स्टाम्प विवरण

ई स्टाम्प कोड	01014230092018000018		
ई स्टाम्प राशि (रुपए)	9260		
शासकीय स्टाम्प श्रृंखला (रुपए)	9260	नगर पालिका श्रृंखला (रुपए)	0
समयद श्रृंखला (रुपए)	0	उपकर राशि (रुपए)	0
मुद्र दी गई राशि (रुपए)	0		
ई स्टाम्प का प्रकार	गेर न्यायिक		
निर्गमन तिथि एवं समय	30/09/2018 01:09:12		
पुनर आईडी / जारीकर्ता	pushpendra dwivedi/SP014211712201400009		
एस पी / एस आर ओ /	sardar sing complex shop no. 37 tikangarh Mp टीकमगढ़ टीकमगढ़		
भार ओ / एच ओ विवरण			

डीड विवरण

विलेख का प्रकार	पट्टा
विवरण	पट्टा, जिसके अंतर्गत, खनन पट्टा से भिन्न अवर-पट्टा या उप-पट्टा तथा पट्टे या उप पट्टे पर देने या किली पट्टे का नवीकरण करने के लिए कोई करार है -जहां कि पट्टा ऐसी अवधि के लिए ताल्फर्मित है जो एक वर्ष या अधिक है किन्तु पांच वर्ष तक है, - प्रथम या अंतिम दिए गए या अंतिम दिए जाने वाले धन तथा अश्रुत किए गए औसत वार्षिक भाटक की रकम के योग का, या सम्पत्ति के बाजार मूल्य का 0.1 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो।
उद्देश्य	पूर्वक्षप अनुश्रुति (लीज)
	पहले पक्ष के विवरण
नाम	श्री अभिगीत अग्रवाल जी
पता	कलेक्टर निवास टीकमगढ़, लहसौल व किला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।
व्यक्तियों की संख्या	1
	दूसरे पक्ष के विवरण
संगठन का नाम	मेसर्स डी.जी.सुन्देलखण्ड प्रेन्सिपल एल.एल.पी.
पता	मेसर्स डी.जी.सुन्देलखण्ड प्रेन्सिपल एल.एल.पी. पता- प्लॉट नम्बर 158, डी.जी. हाईटरा, बर्ड फ्लोर, जोन-II, एम.पी.नगर भोपाल मध्यप्रदेश।
व्यक्तियों की संख्या	1

यह विलेख दिनांक 29/09/2018 को राज्यपाल महोदयों द्वारा कलेक्टर महोदयों राज्य/राष्ट्रपति भारत (जो इसमें इसके पश्चात राज्य सरकार के रूप में विनॉईष्ट है) किया गया, जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, जिसमें उत्तराधिकारियों तथा समनुदेशित सम्मिलित समझे जाएंगे।





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अनुजसिद्धाता- श्री अभिजीत अग्रवाल जी (कलेक्टर महोदय, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश)

(प्रथम पक्ष)

अनुजसिद्धारी- मेसर्स डी.जी. बुन्देलखण्ड रेनाईट एल.एल.पी. पता-प्लॉट नम्बर 158, डी.जी. हाईटस, थर्ड फ्लोर, जोन-II, एम.पी.नगर भोपाल मध्यप्रदेश। पेन कार्ड क्रमांक AAOFD9615Q द्वारा पार्टनर श्री एम.के.मीना पुत्र श्री रतनलाल मीना आयु 41 वर्ष, निवासी कोलार रोड भोपाल मध्यप्रदेश। पेन कार्ड क्रमांक ALOPM4978N

(द्वितीय पक्ष)

जहां अनुजसिद्धारी एक व्यक्ति है

(व्यक्ति का नाम, पता एवं उपजीविका सहित) जो इसमें इसके पश्चात अनुजसिद्धारी के रूप में निर्दिष्ट है, तथा जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसमें उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासन प्रतिनिधि तथा उनके अनुजात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे, पीएल स्वीकृत अवधि आदेश दिनांक 26/09/2018 से 25/09/2020 तक।

जहां अनुजसिद्धारी एक से अधिक व्यक्ति है।


(व्यक्ति का नाम पता एवं उपजीविका सहित) जो इसमें इसके पश्चात अनुजसिद्धारी के रूप में निर्दिष्ट है तथा जिस व्यक्ति में उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा उनके अनुजात समनुदेशिती सम्मिलित है।

जहां अनुजसिद्धारी एक रजिस्ट्रीकृत फर्म है।

भागीदारों के नाम एवं पता NA आत्मज NA जो समस्त व्यक्ति भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 (11932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत फर्म के नाम और अभिनाम के अधीन भागीदारी में कारबार करते हैं, तथा जिनका रजिस्ट्रीकरण कार्यालय NA नगर में है, जो इसमें इसके पश्चात अनुजसिद्धारी के रूप में निर्दिष्ट है, तथा जिस अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ स्वीकार करता है उसमें समस्त कथित भागीदारी उनमें क्रमशः वारिस, निष्पादक, दैध प्रतिनिधि एवं अनुजात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे।

जबकि अनुजसिद्धारी एक रजिस्ट्रीकृत कंपनी है, (कंपनी का नाम) NA कंपनी अधिनियम NA के अधीन रजिस्ट्रीकृत तथा निगमित है और इसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय NA पता जो इसमें इसके पश्चात अनुजसिद्धारी के रूप में निर्दिष्ट है, जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ ऐसा संदर्भ स्वीकार करता है, उसके वारिस तथा अनुजात समनुदेशिती सम्मिलित समझे जाएंगे।

यतः द्वितीय पक्षकार अनुजसिद्धारी/अनुजसिद्धारियों ने सरकार को मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1966 के अनुसार (जो इसमें इसके पश्चात उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट है) पूर्वेक्षण की अनुजति के लिए भूमि खसरा नम्बर 1467 रकवा 6.710 हेक्टेयर अनुसूची (ए) में विनिर्दिष्ट इसके अधीन इसके साथ संलग्न नक्शे में निश्चित तथा रेखांकित (जो इसमें इसके पश्चात उक्त भूमि के रूप में निर्दिष्ट है) आवेटन किया है और राज्य





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

प्रस्तुत मूदा :

श्री श्रीमती अग्रवाल जी



13/05/2018
श्री. अ. अ. अ.



के द्वारा उप निलय टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ के उप पंजीयक कार्यालय में तारीख 05/16/2018 को मध्यान्न पूर्व/मध्याह्न पर्याप्त 47:18:27 बजे प्रस्तुत किया गया।

AZIZ KHAN
उप पंजीयक
उपपंजीयक कार्यालय टीकमगढ़





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

सरकार के साथ ऐसी अनुज्ञप्ति की विहित प्रतिभूति के बारे में रकम 2000.00 रुपया और विहित पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति की फीस रुपये 50.00 पचास रुपये चालान क्रमांक 12 दिनांक 29/09/2018 द्वारा जमा की है, 02 दो वर्ष के लिए अग्रिम भुगतान ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के बारे में किया है, और यतः ऐसी अनुज्ञप्ति के अनुदान के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

यह कि पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति में केवल खनिज परीक्षण का कार्य किया जाता है, न कि उत्खनन कार्य की अनुमति दी जाती है। जिसमें रायल्टी की गणना नहीं की जाती।

प्रीमियम, अग्रिम दिये गये या दिये जाने वाले रुपये (00/लागू नहीं)
अतिरिक्त प्रीमियम रुपये (00/लागू नहीं)
अन्य प्रभार (अफ्रंट प्रीमियम इत्यादि) रुपये (00/लागू नहीं)
प्रति टन वार्षिक रायल्टी रुपये (00/लागू नहीं)
प्रति वर्ष कुल टन उत्खनन मात्रा (00/लागू नहीं)
अनुज्ञप्ति की अवधि 02 वर्ष

भाग-एक

प्रतिफल की फीस, रायल्टी, प्रसविदा तथा करार एतद द्वारा आरक्षित और अंतर्विष्ट तथा अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों के पक्ष से भुगतान किया जाना, पालन किया जाना और क्रियान्वयन किया जाना है, राज्य सरकार एतद द्वारा अनुदान करती है तथा अनुज्ञप्तिधारियों को पूर्ण अधिकार तथा अनुज्ञप्ति हस्तांतरित करती है।

भूमि प्रवेश करना, खनिजों की खोज करना, प्राप्त करना, या ले जाना और प्राप्त खनिजों का पिटारा, उक्त भूमियों में प्रवेश करना और खनन करने, छिट करने या वेधन करने और खोदने के द्वारा या अन्यथा उक्त भूमियों में सब जगह पड़े हुए या अधीन या भीतर के खनिजों रोनाईट का नाम के समस्त या किसी खनिज की खोज करना परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी वाणिज्यिक प्रयोजनों को छोड़कर, अन्य प्रयोजनों के लिए प्राप्त कर सकेगा और ले जा सकेगा।

(क) उन खनिजों के बारे में अधिनियम की दूसरी अनुसूची में सत्समय विनिर्दिष्ट रायल्टी के भुगतान पर जो कि पूर्वक्षण सक्रियताओं के दौरान प्राप्त किये गये हैं, ऐसी सीमाओं से अधिक किन्तु दुगुने से अधिक नहीं ऐसा खनिजों को किसी तादाद में,

झाड़-झांखड़ और जंगल तथा वृक्षों आदि साफ करना:-

(2) इन प्रस्तुतियों (विलेखों) के भाग दो के खण्ड 5 तथा 6 के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए लिखित में पूर्व में प्राप्त की गई डिप्टी कमिश्नर/कलेक्टर की स्वीकृति सहित उपर्युक्त आशय के लिए झाड़-झांखड़ और



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

निष्कारण की मुद्रा :

श्री अमिनील अडवळ की

पता: कलेक्टर निवास टीकमगढ़, तहसील व जिला
टीकमगढ़ मध्यप्रदेश।

मेसर्स डी.जी.बुन्देलखण्ड ट्रेनाईट
एल.एल.पी.

प्रतिनिधित्व:-

श्री एम के मीना

पता: मेसर्स डी.जी.बुन्देलखण्ड ट्रेनाईट एल.एल.पी.
पता- प्लॉट नम्बर 158, डी.जी. हाईटैक, बर्ड फ्लाउर,
मोन-II, एम.पी.नगर सोपल मध्यप्रदेश।

स्वीकार करते हैं कि कथित चट्टा जिलेख का निष्कारण किया गया था और प्रतिफल के पूर्ण रूप में प्राप्त हो गये हैं तथा रूप में उन्हें
मेरी उपस्थिति में चुकाये गये थे और प्रतिफल की वास्तविक रकम रूप में 0 बच गयी है, जो फंसीपन के बाद प्राप्त होगी। तारीख
05/10/2018

AZIZ KHAN
उप-पंजीयक
उपपंजीयक कार्यालय टीकमगढ़



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

जंगल तथा वृक्ष साफ करने तथा पूर्वेक्षण सक्रियाएं प्रभावी रूप से करने के लिए यथा आवश्यक आशयों के लिए उक्त भूमि पर कोई नाली या जल मार्ग का निर्माण और उपयोग करेगा और वहां पर नियोजित कर्मचारों के लिए तथा इसी प्रकार की स्वकृति के साथ किसी पानी का प्रयोग सदैव इस प्रतिबंध के साथ करना कि ऐसे उपयोग से किसी कृषि भूमि, गांध, भवन या जलाशय के स्थानों के लिए जहां पूर्व से पशुधन स्वभावतः आते हैं में किसी जलपूर्ति में कोई कमी नहीं आयेगी या हस्तक्षेप नहीं होगा और कोई जल स्रोत, झरने या कुएँ ऐसे उपयोग से या एतद द्वारा अनुजमि की पूर्वेक्षण सक्रियाओं से गटे या प्रदूषित नहीं होगा।

उक्त भूमियों पर मशीनरी आदि लाना तथा स्थापित करना: - (3) एतद द्वारा अनुजमि की पूर्वेक्षण सक्रियाओं को या वहां नियोजित श्रमिकों (कर्मचारों) के लिए जितनी समुचित एवं प्रभावी रूप से काम करने के लिए आवश्यक होगी उसके लिए उक्त भूमि पर समस्त ऐसी अस्थायी झोपड़ियां, शेड तथा निर्माण संरचना, भाग तथा अन्य इंजन, मशीनरी, तथा सुविधाएं, चल सम्पत्ति (Chattles) और कार्य स्थापित किया जाना और लाना।

आरक्षित- तथापि राज्य सरकार को पूरी शक्ति और स्वतंत्रता आरक्षित है, सभी समयों में भीतर उस पर प्रवेश करने की तथा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को अनुदान या पट्टा देने की जिस किसी को भी प्रवेश करने की स्वतंत्रता और उक्त भूमियों पर उन समस्त या किन्हीं आशयों के लिए उन आशयों को छोड़कर जिसके लिए पूरे अधिभार और अनुजमि एतद्वारा स्पष्ट रूप से अनुजमिधारी/अनुजमिधारियों और विशेष रूप से (और यहां किसी भी रूप में सामान्य शक्ति और स्वतंत्रता को सीमित किये बिना) प्रदान किये गये हैं, उक्त भूमियों के ऊपर या मध्य से ऐसी सड़कों, बनाना टाम घे, रेलपथ तथा रज्जुपथ (Rope ways) जैसा कि किन्हीं आशयों के लिए आवश्यक तथासमीचीन समझा जाएगा बनाना और उक्त भूमि से या उसमें से ऐसे पत्थर, मिट्टी या अन्य सामग्री प्राप्त करना जैसा कि ऐसी सड़कों, ट्रमवेज तथा रेलपथ या रज्जुपथ को मरम्मत करने एवं बनाये रखने तथा सभी समयों में ऐसी सड़कों ट्रमवेज तथा रेलपथ या रज्जुपथ से सभी आशयों के लिए बार-बार गुजरने के लिए आवश्यक और अध्यपेक्षित हो जैसा अवसर की अपेक्षा की।

आरण करना (To hold) इन प्रस्तुतियों (विलेखों) के दिनांक से अवधि के लिए (एतद द्वारा पश्चात उक्त अवधि के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) अनुजमिधारी/अनुजमिधारियों को अनुजमि तथा उक्त अधिकार धारण रहेगा।

भुगतान करना (paying) अतएव वार्षिक की रकम 50 रूपया प्रत्येक वर्ष के लिए या वर्ष के भाग के लिए पूर्वेक्षण फीस और उक्त अवधि के ठीक समाप्ति या पूर्वत्तर समाप्ति पर समस्त फीस, दरें, टेक्सेज, प्रभार (चार्जेज), कटौती तथा रायल्टी, अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर इसके अधीन लिये गये उक्त अवधि के दौरान अनुजमिधारी/अनुजमिधारियों द्वारा प्राप्त किये गये या ले जाये गये चन्निचों पर भुगतान कर भी है औ बेयाक (Clear) कर दी है।

भाग- दो

अनुजमिधारी/अनुजमिधारियों द्वारा प्रसविदाये






Admission Seal:

रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

इस बात पर अपना समाधान कर लेने के बाद कि दस्तावेज श्री ABHJEET SIR, COLLECTOR TKG (नाम ब फर) ने अपनी पत्नी हेमियल से निष्काशित किया था, उन्हें स्वयं उपस्थित होने और हस्ताक्षर करने से मुक्त किया जाता है तथा दस्तावेज पंजीयन के लिए प्रतिपूरीत किया जाता है। तारीख 05/10/2018


AZIZ KHAN
उप पंजीयक
उपपंजीयक कार्यालय टीकनगर




रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अनुमतिधारी/अनुमतिधारियों एतद्वारा राज्य सरकार के साथ निम्नलिखित प्रसविदा/प्रसविदाये करते हैं।

- (1) रायन्टी की दर एवं भुगतान- एतद्द्वारा लिखित जैसा अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट है ऐसी दर पर तथा ऐसे समय पर रायन्टी का भुगतान करना परन्तु यह कि अनुमतिधारी/अनुमतिधारियों को रायन्टी का भुगतान कर (खानिज) परीक्षण संबंधी आशयों के लिए 10 घनमीटर से अधिक नहीं ले जाने का स्वतंत्राधिकार होगा।
- (2) कार्यकुशल कारीगर की भांति कार्य करना- अतद्वारा दी गई अनुमति की संक्रिया को शुद्ध, व्यवस्थित, दक्षतापूर्ण, कार्यकुशल, कारीगर की भांति और यथासंभव भूमि की सतह और वृक्षों, फसलों, भवनों संरचनाओं और उस पर अन्य सम्पत्ति को थोड़ा नुकसान पहुंचाए, चलाना और कार्य करना।
- (3) ठीक हिसाब बनाये रखना- अनुमतिधारी/अनुमतिधारियों द्वारा पूर्वोक्त संक्रियाओं पर किये गये समस्त खर्चों का विश्वसनीय और ठीक हिसाब बनाये रखना होगा और ऐसी संक्रियाओं के तथा प्राप्त किये समस्त ख्यानिजों के भेजने के दौरान उनकी तादाद भी अन्य विशिष्टियों का हिसाब रखना होगा।
- (4) लोक निर्माण आदि के 50 मीटर के भीतर कोई खनन संक्रियायें नहीं किया जाना- अनुमतिधारी/अनुमतिधारियों से संबंधित रेलवे प्रशासन की पूर्व में लिखित अनुमति के बिना किसी रेलवे लाईन से 50 मीटर के फासले के भीतर के किसी बिन्दु को या उस पर कोई पूर्वोक्त संक्रियायें नहीं करेगा या संचालन नहीं करेगा या कार्य करने की या संचालन की अनुमति नहीं देगा या किसी जलाशय, नहर या अन्य लोक निर्माण, जैसे पब्लिक रोड तथा भवन या आवादी स्थल डिप्टी कमिश्नर/कलेक्टर या राज्य सरकार द्वारा इस बारे में प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति बिना अन्यथा ऐसे अनुदेशों, प्रतिबंधों और शर्तों या तो सामान्य या विशेष जो ऐसे अनुमति के साथ संलग्न किये जाये, को छोड़कर कोई कार्य का संचालन नहीं करेगा और कार्य या संचालन नहीं करने देगा, उक्त फासला 50 मीटर, रेलवे लाईन, जलाशय या नहर की दशा में किनारे के बाहरी भाग या कटाव के किनारे के क्षितिज (समतल) से यथा स्थिति और भवन की दशा में उसकी कुर्की (1/4 plinth) से क्षितिज के रूप में नापी जायेगी। गांव की सड़कों की दशा में कटाव के बाहरी किनारे से 10 मीटर के फासले के भीतर डिप्टी कमिश्नर/कलेक्टर, या अन्य राज्य सरकार की ओर से इस बारे में प्राधिकृत अधिकारी की लिखित (आजा) अनुमति के बिना और अन्यथा ऐसे निर्देशों, प्रतिबंधों और शर्तों जो कि या तो सामान्य या विशेष ऐसी अनुमति के साथ संलग्न किया जाये को छोड़कर कोई कार्य नहीं चलाया जाएगा।

स्पष्टीकरण- इन खण्डों के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति रेलवे प्रशासन का वही अर्थ होगा जो कि भारतीय रेलवे अधिनियम 1980 उस अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (6) द्वारा परिभाषित किया गया है। पब्लिक रोड का अर्थ होगा ऐसी सड़क जो कि कृत्रिम रूप से बनाई गई हो और उससे अलग जो लगातार उपयोग के कारण सुस्पष्ट मार्ग के रूप में बन गई हो, गांव की सड़क में वह मार्ग सम्मिलित हैं, जो राजस्व अभिलेखों में गांव की सड़क के रूप में दर्शाया गया हो।

बिना पूर्व अनुज्ञा के आरक्षित वन आदि में वृक्षों का नहीं काटा जाना या वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाना-





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

गणक मुद्रा :

संतोष कुमार शिवारी

पुत्र/अलमज जगुन प्रसाद

पता: मलपुरा सह. च वि. छतरपुर म०प्र०

विनय शोध

पुत्र/अलमज श्रीनियस

पता: मानसरोवर कार्टोनी मण्डल नगर कटनी म०प्र०

बी नॉच प्रतोक निष्पदक / निष्पदकों की शिवाला के विषय में को गवी हे । तारीख 05/10/2018

AZIZ KHAN
उप पंजीयक
उपसंवीयक कार्यालय टीकमगढ



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

(5) किसी को दखल रहित अथवा अनारक्षित भूमि पर खड़े किन्हीं इमारतों अथवा अन्य वृक्षों को उप आद्युक्त या कलेक्टर की पूर्व लिखित अनुमति के बिना नहीं काटना अथवा न उन्हें हानि पहुंचाना तथा बिना ऐसी लिखित अनुमति के किसी भूमि की सतह को खराब करना किसी लोक मनोरंजन भूमि, शमशान अथवा दह-स्थल अथवा तालाब के उपयोग के अधिकार में हों, व्यवधान डालना।

(6) किसी ऐसी भूमि के जिस पर किसी व्यक्ति का दखल हो उसकी सहमति के बिना प्रवेश नहीं करना और न ही किसी वृक्ष, खड़ी फसल, भवन झोपड़ियाँ, निर्माण अथवा किसी भूमि के दखलकार या अन्य व्यक्ति की अन्य किसी प्रकार की सम्पत्ति को उसके स्वामी दखलकार या व्यक्ति की बिना लिखित सहमति के प्रवेश करना या हानि पहुंचाना।

बिना पूर्व अनुमति के आरक्षित वनों में कार्य प्रारंभ नहीं करना-

(7) जिला वन अधिकारी को लिखित मंजूरी के बिना तथा ऐसी मंजूरी में जो शर्तें विहित हों अन्यथा किसी संरक्षित अथवा आरक्षित वन में प्रवेश नहीं करना अथवा पूर्वेक्षण सक्रियताएं प्रारंभ नहीं करना।

समस्त दावों के विरुद्ध शासन क्षतिपूर्ति करेगा-

(8) इस अनुज्ञप्ति द्वारा दिये गये अधिकारों का उपयोग करने के कारण हुये समस्त टूटफूट अथवा क्षति अथवा अव्यवस्था के लिए समुचित समाधान करना ताकि विधिपूर्ण अधिकारी द्वारा तत्समय प्रभाव में विधि के अनुसार ऐसी क्षतिपूर्ति करना जो आंकलित की जाये तथा राज्य शासन को ऐसे समस्त दावों से जो किसी व्यक्ति द्वारा टूटफूट क्षति अथवा अव्यवस्था के कारण किये जाएं तथा उस संबंध में जो मूल्य अथवा व्यय चुकाना पड़े उससे पूर्ण एवं समस्त रूप से मुक्त करना।

(8क) समय-समय पर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित न्यूनतम मजदूरी की अपेक्षा कम मजदूरी न हो, मजदूरी अदा करना।

(8ख) खान अधिनियम 1952 उपबंधों का पालन करना।

(8घ) पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपने खर्च पर उपाय करना, जैसे वृक्षों के पौधों का रोपण, खान की भूमि का सुधार और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का उपयोग करना और जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किये जाएं, ऐसे अन्य उपायों को करना।

(8ग) सतह की भूमि के दखलकार को उन नियमों में बताई गई तारीख और रीति में मुआवजा (क्षतिपूर्ति या प्रतिकार) भुगतान करना।

जमा की गई प्रतिभूति आद का समपहरण-

(9) जब कभी प्रतिभूति जमा की राशि 2000/- या उसके किसी भाग या कोई अतिरिक्त रकम जो एतद पश्चात् राज्य सरकार को उसकी नयी पूर्ति में जमा की गई हो जब्त की जाएगी, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा एतद पश्चात् इस बारे में घोषित दण्ड की सख्ती को लागू किया जाएगा, अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों, बढत की गई ऐसी अतिरिक्त रकम जो कि उसके अनियत भाग के साथ पर्याप्त हो जाये राज्यसरकार को अबिलंब जमा करेगा, जिससे राज्य सरकार को जमा की गई राशि की रकम रूपये 2000/- तक लाई जा





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

अंगूठ पिन मुद्रा :



On behalf
of Collector



इस दस्तावेज के निष्पादक के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में दिनांक
05/10/2018 को लिया गया ।

AZIZ KHAN
उप वंशीपक
उपसंजीवक कार्यालय टीकमगढ़



इस दस्तावेज के निष्पादक श्री एम के मीना के अंगूठे का निशान मेरे द्वारा/मेरी उपस्थिति में
दिनांक 05/10/2018 को लिया गया ।

AZIZ KHAN
उप वंशीपक
उपसंजीवक कार्यालय टीकमगढ़

गवाह मुद्रा :



संतोष कुमार शिवारी





रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

सके।

न्यास सिण्डिकेट आदि द्वारा अनुजमिधारी नियंत्रित नहीं होगा-

(10) अनुजमिधारी/अनुजमिधारियों राज्य सरकार द्वारा लिखित सहमति के सिवाय स्वयं को या परस्पर सभी को किसी न्यास, सिण्डिकेट निगम या व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं किया जायेगा या नियंत्रित होने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा।

दुर्घटना की रिपोर्ट-

(11) अनुजमिधारी/अनुजमिधारियों को किसी दुर्घटना की जो इस अनुजमि के अधीन सक्रियाओं के उपक्रम में घटित हो सकती है मृत्यु, शारीरिक गंभीर क्षति, या सम्पत्ति को गंभीर क्षति या गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली या खतरा पहुंचाने वाली क्षति कारित हो सकती है/ हुई हो की रिपोर्ट बिना बिलंब किये डिप्टी कमिश्नर/कलेक्टर को भेजना अधिनियम 1957 की सं. 67 की धारा 18:-

(12) अनुजमिधारी/अनुजमिधारियों, खान और खनिज (विनियम और विकास अधिनियम 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 18 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा नियम जैसे जारी किये ऐसे नियमों के आवद्ध होगा और इन नियमों के अधीन यथाविहित को छोड़कर किसी अन्य रूप में उक्त अनुजमि के अधीन पूर्वविक्षण या सक्रियाएं नहीं करेगा।

प्राप्त की गयी सामग्री की माप या तौल उपलब्ध कराई जाना:-

(13) ऐसे समयों और अवसरों पर जैसा कि अध्यपेक्षित किया जाये, अनुजमिधारी/अनुजमिधारियों, अच्छी तरह से विश्वसनीय नाम या तौल करेगा/ करेगे या समय-समय पर उक्त भूमियों से अनुजमिधारी/अनुजमिधारियों द्वारा समस्त खनिज उक्त भूमि के किसी भाग पर नाप या तौल कराई जायेगी और ऐसे खनिज जैसे कि इनकी या तौल, इन प्रस्तुतियों (विलेख) के अधीन भुगतान योग्य रायल्टी सुनिश्चित करने के आशय के लिए कराया जाना अपेक्षित की जाय अनुजमिधारी/अनुजमिधारियों से ऐसे प्राप्त किया गया कोई खनिज जब तक कि वह नापा नहीं गया या तौल नहीं गया हो जैसी कि स्थिति हो, उक्त भूमि से नहीं ले जाने पर सहमत हो गया है/हो गए है। अनुजमिधारी/अनुजमिधारियों सहमत हुआ है/ हुये है। कि वे लिखित में पूर्व नोटिस दिनों 30 का उप आयुक्त/कलेक्टर को प्रत्येक ऐसी नाप तौल की जाने के लिये देंगे क्योंकि वह या उसकी की ओर से कोई व्यक्ति आशका न कर सके।

परित्याग के निर्धारण के पश्चात बोर ड्रीन्स का बंद किया जाना, मात्रा लगाना आदि तथा भूमि की सतह का प्रत्यावर्तन:-

(14) उस भूमि के मामले को छोड़कर जिस पर अनुजमिधारी/अनुजमिधारियों को खनन पट्टा की अवधि समाप्ति या अनुजमि की अवधि पूर्व समाप्ति पर या पहले अनुदत्त किया जा चुका हो वह, अनुजमि की अवधि समाप्ति या शीघ्रतर अवधि पूर्व समाप्ति या उपक्रम के त्यागने की तारीख जो भी पहले घटित होगी उसके ठीक



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

सम्बन्धित मुद्रा :



Handwritten signature



विनय गौतम



रजिस्ट्रीकरण एवं स्टाम्प विभाग
मध्य प्रदेश

पश्चात् 6 माह के भतर किसी भी वेधन या छिद को बंद करेगा या भरदेगा या किसी छिद या उत्खनन को बागड लगायेगा जो कि ऐसी सीमा तक किये जाएंगे जितना उपायुक्त/कलेक्टर संबंधित द्वारा अपेक्षा की जाये, और इसी मिलती जुलती सीमा तक भूमि की सतह और समस्त भवन उस पर (अवस्थित) जो कि पूर्वसूचन के उपक्रम में क्षतिग्रस्त या विनष्ट हो चुके प्रत्यावर्तित स्थिति में बहाल करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी यदि जिसके बारे में पूरा और समुचित प्रतिकर पहले ही भुगतान किया जा चुका है।

परित्याग के निर्धारण के अवसान के पश्चात् मशीनरी आदि का हटाया जाना-

(15) इस अनुज्ञप्ति की अवधि के अवसान या शीघ्रतर अवधि पूर्व समाप्ति या एतद द्वारा अनुज्ञप्ति के परित्याग करने पर जो भी पहले घटित होगी, अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों अपने/उनके स्वयं के खर्च पर शीघ्रता से भवन, संरचनायें, संयंत्र, इंजन, मशीनरी, औजार, उपकरण, वर्तन भांडे तथा अन्य सम्पत्ति, चल सम्पत्ति वहां पूर्व में अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संस्थित की गई या लाई गई और तब वहां उक्त भूमि पर खड़ी या मौजूद होने पर तथा इन विलेखों के प्राधिकार के अधीन अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पूर्व में प्राप्त किये गये खनिज भी और उस समय उक्त भूमियों पर हो हटा लेगा/हटा लेगे परन्तु यह कि प्रसविदा उक्त भूमियों के किसी ऐसे भाग को लागू नहीं होगी जो इस अनुज्ञप्ति के वर्तमान रहने के दौरान अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों को अनुदत्त किसी खनन पट्टे में सम्मिलित की जाये।

प्रतिभूति जमा वापसी के पहले, किये गये कार्य की रिपोर्ट-

(16) किसी समय उक्त प्रतिभूति जमा उसे या उनके वापिस करने से पहले या किसी अन्य खाले में अंतरण करने के पहले या 1 (एक मास के भीतर) अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्ति या शीघ्रतर अवधि पूर्व समाप्ति या सक्रियाओं के अधित्याग के पश्चात् जो भी पूर्वोत्तर हो, अनुज्ञप्तिधारी/अनुज्ञप्तिधारियों राज्य सरकार को एक गोपनीय रूप से एक पूरी रिपोर्ट उसके/उनके द्वारा कार्य कर चुकने की पेश करेगा/करेंगे और उसमें उसके/उनके द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन चलाई या की जा रही सक्रियाओं के उपक्रम में अनुज्ञप्ति द्वारा समाविष्ट क्षेत्र के भू-विज्ञान या भौतिकी तथा खनिज संसाधनों के संबंध में अर्जित की गई सूचनाएं प्रकट करेगा/करेंगे।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त की गई जानकारी की रिपोर्ट-

(16क) (1) अनुज्ञप्तिधारी राज्य सरकार को-

(16क) उसके द्वारा किये गये कार्य की यह अभिकथन करते हुये कि नियोजित व्यक्तियों की संख्या और अवधि के दौरान उसके द्वारा एकत्रित किये गये भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकी या अन्य मूल्यवान आकडे सम्पूर्ण प्रकट करते हुये तिमाही रिपोर्ट उस अवधि के वन भूमि जिसमें ये संबंधित है तीन माह के भीतर रिपोर्ट पेश कि जायेगी।

(16ख) अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्ति के या सक्रियाओं के परित्याग के अनुज्ञप्ति अवधि के अवसान के तीन माह के भीतर जो भी पूर्वोत्तर हो, उसके द्वारा दिये गए कार्य की पूरी रिपोर्ट तथा समस्त संबंध सूचनाएं, अनुज्ञप्ति



ग्रामसभा कार्यवाही रजिस्टर

(1) ग्राम पंचायत का नाम बी.जी.डी.

प्रारूप 3 (नियम 7 देखिये)

(4) सम्मिलन का समय 19.12.2018

(2) सम्मिलन की तारीख 15/08/2018

(5) उपस्थित सदस्यों को संख्या 130

(3) सम्मिलन का स्थान बी.जी.डी.

कार्यवृत्त पुस्तक

सम्मिलन के समय रखे गये विषय	सम्मिलन के कार्यवृत्त
<p>1</p> <p>ग्राम पंचायत बी.जी.डी. में खनिज ग्रेनाइट उत्खनि पट्टा स्वीकृत हेतु अनापत्ति के संकेत में।</p>	<p>2</p> <p>पुस्तक में श्रीमति मिथलाब्जार सरपंच ने प्रस्ताव रखा कि क्षीमान ब्लेम्बर गोटदय (खनिज शाखा) टीछमगट के आदेश क्र. 11/खनिज/मीन-6/2018/1179 दिनांक 17/07/18 के अनुसार मे.डी.पी. वी. डेवलपमेंट ग्रेनाइट एल.एल.पी. 158, जोन-2, एम.पी.नगर भापाल को ग्राम बी.जी.डी. में खसरा नं. 1467 रकवा 6.960 हे० क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट उत्खनि पट्टा स्वीकृत करने हेतु ग्रामसभा का प्राथमिक चर्चा गवा है। क्षीमान ब्ले पत्र पर ग्रामसभा में विचार किया गया। विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि उक्त कंपनी को ग्राम बी.जी.डी. में खनिज खसरा नं. 1467 रकवा 6.960 हे० क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाइट उत्खनि पट्टा स्वीकृत किया पर्याप्त स्वीकृत किये जाने से ग्रामसभा को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।</p> <p>सत्यप्रतिनिधि</p> <p><i>(Signature)</i> सरपंच ग्राम पंचायत बी.जी.डी.</p> <p><i>(Signature)</i> सचिव ग्राम पंचायत बी.जी.डी.</p>

**मानचित्रकार का प्रातवदन
(मानचित्रकार द्वारा भरा जावे)**

1. आवेदित क्षेत्र सुरक्षित है अथवा नहीं ? **नहीं**
2. आवेदित क्षेत्र पूर्व में धारित है अथवा नहीं ? **नहीं**
3. आवेदित क्षेत्र यदि पूर्व में धारित था तो उसका विवरण (पट्टेदार का नाम स्वीकृत अवधि, खनिज का नाम एवं क्षेत्र निरस्त होने का कारण) खनि रियायत अवधि समाप्ति के पश्चात खुला घोषित हुआ अथवा नहीं ? **नहीं आवेदन**
4. यदि क्षेत्र खुला घोषित है तब खुला घोषित होने की सूचना अनुसार आवेदित क्षेत्र की मानचित्र की स्थिति में रकबा **नहीं**
5. आवेदित क्षेत्र पर पूर्व के आवेदन लंबित है अथवा नहीं ? (लंबित होने पर विस्तृत विवरण) **नहीं**
6. आवेदित क्षेत्र पूर्व के आवेदनों से आच्छादित होता है तब क्षेत्र उपलब्धता का मानचित्र में अंकन तथा उपलब्धता का मानचित्र में अंकन तथा उपलब्ध क्षेत्र का विवरण **नहीं**
7. प्रतिबंधित क्षेत्र छोड़ने के उपरांत उपलब्ध क्षेत्र (निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें)

आवेदित क्षेत्र		प्रतिबंधित क्षेत्र		उपलब्ध क्षेत्र		स्वीकृति हेतु उपलब्ध क्षेत्र का योग
खसरा क्रं	रकबा (हे०)	खसरा क्रं०	रकबा (हे०)	खसरा क्रं०	रकबा (हे०)	
1467	6.960 हे०	1467	0.250 हे०	1467	6.710 हे०	6.710 हे०

8. आवेदित क्षेत्र का इतिहास **उक्त आवेदन पत्र पर सूत्रि राजेंद्रा प्रहस के रकबा 6.960 हे० है। पर पूर्व में कोई आवेदन लंबित स्थान नहीं प्राप्त गया।**
9. क्षेत्र उपलब्धता संबंधी स्पष्ट अनुषंसा **मेसर्स डी०जी० लुनेलखण्ड केनगर 22 नं० रकबा 410 पलित रकबा के भीतर पता 500 में खनिज क्षेत्र में खनिज क्षेत्र आवेदन के द्वारा आवेदित क्षेत्र का खनिज क्षेत्र रकबा 1467 रकबा 6.710 हे० क्षेत्र खनिज क्षेत्र के क्षेत्र में अनुसंधान हेतु रकबा 6.710 हे० क्षेत्र उपलब्ध होना है।**

दिनांक:- 17/07/18

हस्ताक्षर
(Signature)

(मानचित्रकार का नाम)
(टीरेक्टर का नाम)
सहायक मानचित्रकार
खनिज-संसाधन




ड्रेस नम्बरा - ७२७ - वीजौर
लक्ष्मि - मिवाडी, जिला - धीकसागढ़


पैमाडा 15" = 1 मील


खसरा नं० - 1467

रकबा - 6.710 हे०

आवंडित क्षेत्र - 

खसिज क्षेत्र

प्रतिबंधित क्षेत्र - 



(डीटिस्ट्र जालधीय)
सहायक जालविनकार
खसिज-शाखा
धीकसागढ़ (म०प्र०)

प्रति.

कलेक्टर

जिला टीकमगढ़

विषय:- खनि शिवायत हेतु आवेदित क्षेत्र स्थल जांच प्रतिवेदन।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 1179 दिनांक 17/07/18

-000-

- (1) स्थल निरीक्षण का दिनांक:- 9/9/18
- (2) आवेदक का नाम एवं पता:- मेसर्स डी.जी. बुट्टेलर एंड ग्रेनार्ड एल.एल.पी. प्लान्ट
एम्.के. मीना पता - 158 थर्ड फ्लोर जॉन-ए.म.प. मार्ग को
- (3) आवेदित क्षेत्र का विवरण:- ग्राम बीजोल्हलीब तिनारी के 1467 कु रकत 6.960 ए
घा जॉन एम्.के. मीना
- (4) आवेदित क्षेत्र की भौमिकी:- पहाडी पहाडी क्षेत्र

- (5) आवेदित क्षेत्र की स्थल आकृति:- पहाडी पहाडी क्षेत्र
- (6) खनि नियमों के अनुसार आवेदित क्षेत्र से प्रतिबंधित दूरी:-
 - (ए) पुल प्रतिबंधित क्षेत्र की सी में होना नहीं पाया गया
 - (बी) ग्रामीण / राज्य / राष्ट्रीय मार्ग ग्राम रुन्हा फार् 20 मीटर लगभग
 - (सी) रेलवे लाइन प्रतिबंधित क्षेत्र की सी में होना नहीं पाया गया
 - (डी) नदी / नाला / नहर प्रतिबंधित क्षेत्र की सी में होना नहीं पाया
 - (ई) जलय / रांघ प्रतिबंधित क्षेत्र की सी में होना नहीं पाया
 - (एफ) सार्वजनिक / धार्मिक स्थल आंगनवाडी के 100 मीटर लगभग
 - (एच) आबादी 15 मीटर लगभग
 - (आई) सार्वजनिक उपयोग की भूमि प्रतिबंधित क्षेत्र की सी में होना नहीं पाया
 - (के) मरघट प्रतिबंधित क्षेत्र की सी में होना नहीं पाया

7) आवेदित खनिज की प्राथमिक उपलब्धता सकल पाया जा रहा है
हो पाया गया

(8) आवेदित खनिज के आस-पास अन्य स्वीकृत खनि रियायतों का विवरण ...

क्र०	खनि रियायतधारी का नाम	खनि रियायत का प्रकार	खनिज	ग्राम	खसरा क्रमांक	आवेदित क्षेत्र की दूरी
1	श्रीवती मणिश्री 90 मि० मोवाल	ML	ग्रेनाइट	तामर	531 2 1	100 म० (2777)

(9) आवेदित क्षेत्र नवीन है अथवा पूर्व क्षेत्र में खनन हुआ

नवीन क्षेत्र

(10) अन्य कोई आवश्यक जानकारी आवेदित क्षेत्र के कच्चा पार 10 म
दूरी में 15 मी लगी होना पाया गया

(7) आवेदित क्षेत्र के संबंध में स्वीकृत/अस्वीकृत संबंधी स्पष्ट अनुषंग में श्रीवती मणिश्री के पास
गुनाइर एल० एल० मोवाल 100 म० मोवाल M.K. मोवाल परा - 15.8 मी फ्लो मोवाल 11 एल० मोवाल
डाटा ग्राम मोवाल 100 मि० मोवाल के डाटा ग्राम मोवाल 1467 के कच्चा पार 6.960 पर
आवेदित क्षेत्र के पास मोवाल 15 एल० मोवाल 100 मी लगी होना पाया गया
मोवाल 1996 के आर० एल० मोवाल परा 15 एल० मोवाल मोवाल 100 मी लगी होना पाया गया

स्थान:- श्रीवती

दिनांक:- 10/9/14

संलग्न:- 5 पृ०

(बृजेश अहिस्वार)

प्र० खनि निरीक्षक, टीकमगढ़

पंचनामा

पंचनामा लिखा गया है उपस्थित लोगों के द्वारा कि आज दिनांक 9/9/18 को स्वामि बीजोर नहशील निवासी के आदि बस नं 1467 के आवेदन क्रमांक 6.960 ई. क्षेत्र पा कार्यालय पर स्थापित 1179 लोकगाह 17/07/18 के पालन में किया गया उक्त क्षेत्र (अग्नि गैरार्ड) हेतु मेमर्स वी. वी. बुटेलर व गैरार्ड एल. एल. पी. पार्टनर एल. के. मीना वता-158 रॉड ब्लॉक जोन-12 एल. पी. गंग गोपाल नं 90 डाटा-चाहा गप 348 क्षेत्र पहाडी पहाडी क्षेत्र होना पाया गया तथा आवेदित क्षेत्र के आवेदी लगभग 15 मी तथा आंगनवाडी के लगभग 100 मी पा होना पाया गया तथा कच्चा मार्ग 20 मी लगभग होना पाया गया

पंचनामा में लिखे गए पर पढ़ व लिख का मुद्रापा गप लक्ष्य प्राप्त है।

- 1) उपस्थित 4/0 अशोक झा
निवासी बीजोर
— Sampalwan
(D. U. Group)
जगतपाल
- 2) अशोक अशोक 3/0 दलदल
निवासी बीजोर
— अशोक अशोक
- 3) अशोक अशोक 3/0 पुष्प अशोक
निवासी बीजोर
— अशोक अशोक
- 4) अशोक अशोक 3/0 अशोक अशोक
निवासी बीजोर
— अशोक अशोक

कार्यालय राज्य निरीक्षक मण्डल निवाडी, तहसील - निवाडी, जिला - निवाडी

दिनांक 13-2-2020

सेवा में

श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील - निवाडी

400092

139/3-12/19-20

विषय :- सीमांकन प्रतिवेदन ।

महोदयजी

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आवेदक डी.जी. कुन्देलखर शेनपर

के खानिज सेठ भूमि ख.ने. 1467 रकबा 6.710 हे० स्थित ग्राम तीजौर के सीमांकन हेतु पूर्व सूचना उपरान्त दिनांक 6-2-2020 को तलका परवारी के साथ मौका स्थल पर उपस्थित होकर सुस्तकिले खाई सीमा चिह्नों से नाम कर नियमानुसार सीमांकन किया गया तथा सीमांकन पर पत्थर जड़नामे गये । आवेदक को सीमांकन का ज्ञान कराया गया ।

सीमांकन के समय आवेदक एवं सरहदी कुषक मौका स्थल पर उपस्थित रहे

आतः सीमांकन प्रतिवेदन उचित कार्यवाही हेतु समय सूचना पत्र, पंचनामा एवं फील्ड बुक सादर श्रीमान.जी.को सेवा में सादर प्रेषित है ।

प्रति श्रीमान


तहसीलदार
निवाडी



राज्य निरीक्षक
मण्डल - निवाडी

सूचना पत्र

प्रति

(1) श्री.जी. तुन्दिलखण्ड गेनइर

आप लोगों को इस सूचना पत्र के जरिये सूचित किया जाता है कि आवेदन श्री.जी. तुन्दिलखण्ड गेनइर एल.एल.पी. निवाडी एम.पी.नगर मंडल के ग्राम वीजौर स्थित भूमि ख.ने. 1467 रकबा 6.710 हे० (रवनिज गेनइर) का सीमांकन किया जाता है। सीमांकन हेतु दिनांक 6-2-2020 नियत की गई है।

आतः आप लोग नियत दिनांक 6-2-2020 को मौका खाल पर उपस्थित रहे।

अनुपस्थित रहने की दशा में एक पक्षीय कागिरी कामले में लाई जायेगी।

दिनांक 4-2-2020

P-11
निरीक्षक
निवाडी

(Vijay Gaudin)

राम राज्य निरीक्षक
मण्डल - निवाडी

कमलेश

बाबूलास

पंचनामा

पंचनामा लिख दिया आज दिनांक 6-2-2020 को हम पंचान
 ग्राम वीजौर वल्लो न कि हल्का पटवारी वीजौर एवं राजव निरीक्षक
 महोदय निवाडी ग्राम वीजौर आये। तथा आवेदक डी.जी. बुन्देलखण्ड
 गेनपूर के खनिज क्षेत्र के ग्राम खे.ने. 1467 रकबा 6.710 हे० के मौका खण्ड
 पर उपस्थित हुये। तथा मुस्तकिल सीमा चिह्नो से नाप कर सीमांकन किया
 गया तथा आवेदक को सीमाको का ज्ञान कराया गया तथा सीमाको
 पर फर्कर गइवामे गये।

सीमांकन के समय आवेदक एवं ग्रामवासी एवं सरहदी कसक
 मौका खण्ड पर उपस्थित रहे।
 पंचनामा लिखा सो सही है समय पर काम आवे।

32681-P.3

राजव निरीक्षक
 वल्लो न निवाडी
 (Vinay Goudam)




6/2/2020
 6.2.2020

जाजय
 मनोज
 शकेश
 शंकरलाल

शोहनलाल
 लममेश
 रघुबंशदास
 मोहनसिंह

पीलडुबुलु गाम - वीजौर, रोडनि मं - निवाडी, तहसील - निवाडी, जिला - निवाडी
 भूमि ख. नं - 1467



P-4 1467

सहायक निवाडी
 तहसील निवाडी

भूमि ख. नं - 1726 में स्थित कुवां में चलकर भूमि ख. नं - 1450 में स्थित मुनारे की ओर चले।

कार्यालय तहसीलदार निवाडी जिला टीकमगढ (म०प्र०)

दिनांक-24.07.2018

क/191/प्रवा.-11/तह./18

कलेक्टर महोदय
(खनिज शाखा)
जिला-टीकमगढ (म.प्र.)

विषय:- ग्राम बीजौर तहसील निवाडी रा०नि०म० निवाडी पटवारी हल्का बीजौर के खसरा कमाक 1467 रकवा 6.960 हे. भूमि पर खनिज पत्थर हेतु आवेदक मेमर्स डी०जी० बुंदेलखण्ड ग्रेनाइट एल०एल०पी० पार्टनर एम०के० मीना निवासी- 158 थर्ड फ्लोर जोन-11 एम०पी० नगर भोपाल म०प्र० द्वारा प्रस्तुत उत्खनि पट्टा आवेदन पत्र।

संदर्भ:- कमांक 11/खनिज/तीन-6/2018/1179 टीकमगढ दिनांक 17.07.2018.

संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है, कि मेमर्स डी०जी० बुंदेलखण्ड ग्रेनाइट एल०एल०पी० पार्टनर एम०के० मीना निवासी- 158 थर्ड फ्लोर जोन-11 एम०पी० नगर भोपाल म०प्र०द्वारा ग्राम बीजौर तहसील निवाडी स्थित भूमि खसरा कमांक 1467 रकवा 6.960 हे. भूमि पर खनिज पत्थर उत्खनि पट्टा हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के संबंध में हल्का पटवारी से जांच करवायी गयी। मौका स्थल का निरीक्षण किया गया।

मौका स्थल जांच एवं राजस्व अभिलेख खसरा एवं नक्शा के अवलोकन के आधार पर परिशिष्ट 1 के बिन्दु कमांक 1 से 11 प्रतिवेदन एवं प्रपत्र चार में पटवारी प्रतिवेदन एवं नक्शा ड्रेस संलग्न कर उचित कार्यवाही/आदेश हेतु सादर अग्रसित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

24/7/18
तहसीलदार
तहसील निवाडी
जिला-टीकमगढ
निवाडी

कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट निवाडी जिला टीकमगढ़ म.प्र.

क्रमांक /
प्रति.

दिनांक-

1. कलेक्टर
जिला-टीकमगढ़.

2. सदस्य सचिव
SEIAA,
पर्यावरण परिसर
ई-6, अरेरा फालोनी भोपाल

विषय:- गौण खनिज (Monitor Mineral) खनिज उत्खनन के पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिए परिशिष्ट-1 में बिन्दु क्रमांक 1 से 11 के सत्यापन वास्तु।


संदर्भ:- क्रमांक 11/खनिज/तीन-6/2018/1177 टीकमगढ़ दिनांक 17.07.2018 ।


उपरोक्त विषयांतर्गत श्री/मेमर्स मेमर्स डी0जी0 बुंदेलखण्ड ग्रेनाइट एल0एल0पी0 पार्टनर एम0के0 मीना निवासी- 158 थर्ड फ्लोर जोन-1। एम0पी0 नगर भोपाल म0प्र0 द्वारा पत्थर खनिज 8.960 क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) में से 8.960 हे. भूमि माईनिंग के लिए लीज अवधि 05 वर्ष खसरा क्रमांक 1467, ग्राम बीजौर तहसील निवाडी जिला टीकमगढ़ हेतु पूर्व पर्यावरण अनुमति के लिए परिशिष्ट-1 में बिन्दु क्रमांक 1 से 11 तक की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	निर्धारित बिन्दु	हाँ/ नहीं	जानकारी विवरण (यदि हाँ है, जो संपूर्ण विवरण दें)
1	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई मानव बसाहट स्थित है।	हाँ	लगभग 15 मी. दूरी पर आवादी स्थित है
2	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई जलीय निकाय स्थित है।	नहीं	
3	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई नदी स्थित है।	नहीं	
4	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर शैक्षणिक संस्थान स्थित है।	हाँ	प्राथमिक पाठशाला 400 मी. दूरी पर है
5	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई चिकित्सालय स्थित है।	नहीं	
6	क्या 10 कि.मी. की परिधि में कोई अन्तर्राज्यीय सीमा है।	हाँ	उ0प्र0
7	क्या 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई राष्ट्रीय शरोहर/पुरातत्वीय महत्व के स्थल स्थित है ?	नहीं	
8	क्या 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्थित है? यदि हाँ तो उसका कुल क्षेत्रफल तथा खनिज का नाम	हाँ	आवेदक की स्वयं की खदान 400 मी. की दूरी पर है
9	प्रस्तावित खनिज का अनुमानित उत्पादन	नहीं	
10	नदी से रेत खनन के प्रकारण में (अ) नदी किनारे से खनन परिसर की दूरी क्या है ? (ब) नदी की कुल चौड़ाई का 1/5 भाग कितने मीटर में है ?	नहीं	
11	क्या प्रस्तावित परियोजना के कारण महत्वपूर्ण जलागम (Water Intank) या जल बहाय क्षेत्र में परिवर्तन होगा ? (यदि हाँ तो परिवर्तन का विवरण दें)	नहीं	

कृपया

प्रतिलिपि:- आवेदक


 (हस्ताक्षर एवं सील)
 उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
 दिनांक-


 (हस्ताक्षर एवं सील)
 उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार
 दिनांक-

ति,

कलेक्टर खनिज (शाखा)

जिला दीक्षीगढ़ (म०प्र०)

विषय:-

श्री मोसबे डी.पी. बुन्देल द्वारा आवेदित ग्राम दीक्षी प०ह० न० ०२
 खसरा नम्बर 1467 तहसील दीक्षी के 6-960

हेक्टेयर/एकड़ भूमि पर खनिज आवेदन पत्र की जानकारी निम्नानुसार है:-

- (1) क्या आवेदित क्षेत्र का मिलान पटवारी के नक्शे हाँ
 की चालू सीट से होता है, संलग्न नक्शा पर
 पटवारी के द्वारा हस्ताक्षर किये जावे।
- (2) आवेदित खसरा के क्षेत्र का कुल रकबा 6-960
 हे० आवेदित खसरा को रकबा 6-960 हे०
 निस्तार हेतु सुरक्षित रकबा 32-251 हे०
- (3) ग्राम का कुल रकबा 1406-815-670 हे० ग्राम में पशुओं
 की संख्या 3820 चराई के लिये सुरक्षित कुल
 रकबा 13-032 हे०
- (4) नियमानुसार चराई हेतु सुरक्षित रकबा छोड़ने हाँ
 पर कितना आवेदित क्षेत्र के आसपास का पूर्व
 स्वीकृत रकबा शेष रहता है, खनि पट्टे/उत्खनि
 पट्टे, खसरा नम्बर का नक्शा एवं खसरा पंचशाला
 संलग्न किया जाये।
- (5) आवेदित क्षेत्र से रेलवे लाईन, नदी, नाला, रोड मरघट रेलवे लाइन (एन०एन०) 15K677 नदी 5K677
 आदि की दूरी। सड़क 0200 मी०
- (6) ग्राम की आबादी से आवेदित क्षेत्र की दूरी। आबादी 3000 15 मीटर की दूरी
- (7) आवेदित भूमि के खसरा पंचशाला का ब्यौरा हाँ
 खसरा पंचशाला की नकल, पटवारी, हस्ताक्षरित
 संलग्न किया जावे।
- (8) आवेदित क्षेत्र में मुख्य तथा गौण फसल का पत्थर
 ब्यौरा तथा वार्षिक लगान।
- (9) आवेदित क्षेत्र के निस्तार क्षेत्र होने बाबत नहीं है
 निस्तार पत्रक संलग्न किया जावे, आवेदित क्षेत्र
 निस्तार हेतु सुरक्षित तो नहीं है।
- (10) आवेदित क्षेत्र की भूमि पहाड़ी
 समतल/ऊबड़-खाबड़/पहाड़ी/दो फसली
 /पड़ती आदि का ब्यौरा।
- (11) यदि क्षेत्र में कृषि उपज होती है, तो यह स्पष्ट
 करे, कि खनिज से प्राप्त होने वाली आय कृषि
 से प्राप्त आय से कम होगा या ज्यादा।
- (12) क्या ग्रामवासियों को पास के जंगल में मवेशी हाँ
 चराई की सुविधा उपलब्ध है।
- (13) आवेदित क्षेत्र के विषय में ग्राम के कोटवार से नहीं
 मुनादी कराकर ग्रामवासियों, ग्राम पंचायत का
 मत प्राप्त कर संलग्न किया जाये उत्खनि पट्टा
 हेतु आवेदित क्षेत्र का ग्राम सभा का प्रस्ताव

- संलग्न किया जावे।
- (14) क्या आवेदित क्षेत्र किसी विशेष योजना के अंतर्गत आता है। या निकट भविष्य में आने की संभावना है। अथवा अन्य विभाग द्वारा इस क्षेत्र मांगे जाने की संभावना है। नहीं
- (15) निजी भूमि के मामले में यदि भूमि अर्जित की जाती है तो क्षति पूर्ति मुआवजा का अनुमानित राशि प्रति एकड़/वर्तमान मूल्य। भूमि ह्यासबीय है
- (16) भूमि स्वामी का भूमि खनिज दोहन हेतु अर्जित किये जाने पर भूमि स्वामी भूमिहीन तो नहीं हो जायेगा। -
- (17) क्या भूमि स्वामी ने पहले भी अन्य प्रकरण में अपनी सहमति दी है, यदि हां तो नाम व पता। -
- (18) अधासकीय भूमि के मामले में निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी दे:- भूमि ह्यासबीय है
- (क)-फसल का नाम-एक फसली का रकबा- -
- (ख)-भूमिस्वामी की सहमति है या नहीं -
- (ग)-क्या क्षेत्र पड़ती है यदि हां तो कितने वर्षों से -
- (घ)-क्या भूमि रहन या गिरबी है। -
- (ङ)-आवेदित क्षेत्र में पेड़ों की स्थिति,बाग या फलदार वृक्ष राष्ट्रीय वनोपज की संख्या भूमि ह्यासबीय है
- (च)-भूमि स्वामी हरिजन या आदिवासी है- -
- (छ)-भूमि स्वामी के पास कुल कितनी भूमि है- -
- (ज)-षासन द्वारा भूमि स्वामी को भूमि वांछित (अलाटेड) तो नहीं की गई है। -
- (19) आवेदित क्षेत्र माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका क्रं 202/95 में परिभाषित वन श्रेणी के अंतर्गत तो नहीं आता है। नहीं आवेदित क्षेत्र राज्य कि प्रतर्गत है
- (20) यदि आवेदित क्षेत्र में खनि रियायत स्वीकृति कर दी जाती है। तो अन्य कोई वैधानिक अडचन तो न होगी तर्क सहित स्पष्ट करे। भूमि पधड़ी है
- (21) आवेदित क्षेत्र नया है या पूर्व में इसी क्षेत्र पर खनि पट्टा/उत्खनि पट्टा/पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत था। नहीं
- (22) अन्य आवश्यक जानकारी। -

सहपत्र:- मानचित्र उदघोषणा-पत्र

अंश-खण्ड-क-र लम्बा 20 मी प्राथमिक पाठशाला लम्बा 4

Signature

पट्टा नं० 20/95
ग्राम... सीता...
पहो नं० 02
तहसील... निवासी

एक प्रति तहसील बोर्ड पर चरफा किया है
 एक प्रति ग्राम पंचमत बोर्ड पर चरफा किया है
 एक प्रति ~~ग्राम~~ जालि चौक पर चरफा किया है
 और चौकी पर द्वारा मुनादी कि गई है

गवाह

राजिंदर

पंचम

वृजमान

महाराज



ड.र. रंजना



कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वन मण्डल, (ईको सेन्टर ढोंगा) टीकमगढ़ (म०प्र०)

ई-मेल : dfotkngar@mp.gov.in

फोन नं. : 07683-245315 फेक्स नं. : 245315

क्रमांक/मा.वि./2018/ 1852

टीकमगढ़, दिनांक - 13/8/18

प्रति,

कलेक्टर (खनिज)
जिला - टीकमगढ़

विषय - ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी की भूमि सर्वे क्रमांक 1467 रकबा 6.960 हेक्टेयर भूमि पर खनिज पट्टा प्रदाय हेतु आवेदक मेसर्स डी.जी. बुन्देखण्ड ग्रेनाईट एल.एल.पी. पार्टनर एम.के.मीना पता 158 थर्ड फ्लोर जोन-2 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) के संबंध में अनापत्ति प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/11/खनिज/तौन-6/2018/1179 दिनांक 17.07.2018

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा ग्राम बीजोर तहसील निवाड़ी की भूमि सर्वे क्रमांक 1467 रकबा 6.960 हेक्टेयर का स्थल जांच प्रतिवेदन भेजने बाबत अनापत्ति चाही गई थी, जिसके संबंध में वनपरिक्षेत्राधिकारी निवाड़ी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त गया। उसके जांच प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 785 दिनांक 02/08/2018 के अनुसार आवेदित क्षेत्र राजस्व है, तथा नजदीकी वनसीमा कक्षा क्र. 194 B से 1155 मीटर की दूरी पर है। आवेदित क्षेत्र से 10 कि०मी० की परिधि में कोई नेशनल पार्क क्षेत्र/अन्वयरण्य क्षेत्र एवं जीवविविधता क्षेत्र स्थिति नहीं है।

आवेदित क्षेत्र के अक्षांश/देशांतर की जी०पी०एस० रीडिंग निम्नानुसार है।

अक्षांश	देशांतर
25°27'26.7"	78°46'33.5"
25°27'26.0"	78°46'27.9"
25°27'35.2"	78°46'20.7"
25°27'37.9"	78°46'27.2"

उक्त आवेदित क्षेत्र उत्खनि पट्टे पर स्वीकृत हेतु निम्न शर्तों के अधीन एन०ओ०सी० जारी की जाती है।

- (1) ग०प्र० शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 147/34/10-3 भोपाल दिनांक 12.01.2000 की कण्डिका 3.5 एवं 6 का पालन किया जावे, जिसके अनुसार -
- (2) खदान स्वीकृत होने पर मौके पर जिला खनिज अधिकारी एवं संबंधित उप वन मण्डलाधिकारी खदान क्षेत्र का सीमांकन करेंगे। खदान सीमा पर खदान ठेकेदार के व्यय से सीमेंट के मुनारे बनाकर उन पर क्रमवार नम्बर डाले जायेंगे। मुनारे के बनने पर पुनः खनिज अधिकारी व उपवनमण्डलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किये जाने और मुनारे सही पाये जाने के पश्चात् ही खदान ठेकेदार को उत्खनन हेतु क्षेत्र का कब्जा दिया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जावे।
- (3) प्रत्येक माह खनिज अधिकारी अथवा जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकारी संयुक्त रूप से खदान क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रमाण - पत्र देते कि ठेकेदार द्वारा स्वीकृत खदान क्षेत्र के बाहर उत्खनन नहीं किया जा रहा है। यदि खदान क्षेत्र के बाहर उत्खनन किया जाना पाया जाये तो खदान निरस्त करने की कार्यवाही की जाये तथा इस कार्यालय को भी सूचित किया जावे।
- (4) स्वीकृत खदान क्षेत्र के आस पास (2 कि०मी० की परिधि में) अवैध उत्खनन नहीं होने का दायित्व खनिज ठेकेदार का होगा। यदि आसपास के क्षेत्र में अवैध उत्खनन होता है तो उत्खनन की सूचना ठेकेदार द्वारा खनिज अधिकारी व वन मण्डलाधिकारी को तत्काल लिखित में दी जावेगी। इसके विपरीत स्थिति में लॉज निरस्ती की कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।
- (5) वन मार्ग से मिट्टी/पत्थर की निकासी होने पर ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय से पृथक से अनुमति ली जावेगी।
- (6) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 202/95 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12.12.1998 में दी गई वन की परिभाषा के अनुसार यदि क्षेत्र वन की श्रेणी में आता हो तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है।
- (7) वन सीमा से 250 मीटर की परिधि में उत्खनन कार्य पाये जाने पर यह एन.ओ.सी. निरस्त मानी जावेगी।
- (8) उक्त शर्तों का पालन ना होने पर इस कार्यालय द्वारा अवैध उत्खनन की सूचना देने पर इस पत्र को प्रभावहीन मानते हुये, लॉज तत्काल निरस्त की जावे।
- (9) पर्यावरण की दृष्टि से आवेदित क्षेत्र के 25 प्रतिशत भाग में स्थानीय प्रजाति का वृक्षारोपण अनिवार्य है।
- (10) प्रस्तावित क्षेत्र के छोटे-बड़े झाड़ का राजस्व वनक्षेत्र होने की स्थिति में N.O.C निरस्त/अमान्य मानी जावे।

A
वन संरक्षक
क्षेत्रीय वन मण्डल, टीकमगढ़

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी म०प्र०

निवाड़ी, दिनांक 25.02.2020

क्रमांक 11/खनिज/तीन-6/2020/683

प्रति,

मेसर्स डी०जी० बुंदेलखण्ड ग्रेनाईट एल०एल०पी० पार्टनर एम के मीना
पता- 158 थर्ड फ्लोर जोन-11 एम०पी० नगर
नोपाल म०प्र०।

विषय:- स्वीकृत पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति खनिज ग्रेनाईट क्षेत्र में भू-प्रवेश/कार्य अनुमति बाबत।

विषयांकित संबंध में लेख है कि आपको ग्राम बीजौर तहसील निवाड़ी जिला निवाड़ी के भूमि खसरा नंबर 1467 रकवा 6.710 हे० क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाईट के पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति कार्यालयीन आदेश क्रमांक 11/खनिज/तीन-6/2018/1585 दिनांक 26.09.2018 द्वारा निहित शर्तों के अधीन 02 वर्ष के लिये स्वीकृत किया गया है जिसका आपके द्वारा अनुबंध निष्पादन कराया जाकर स्वीकृत क्षेत्र का सीमांकन प्रतिवेदन तहसीलदार निवाड़ी से प्राप्त हो चुका है।

अतः उपरोक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये आपको ग्राम बीजौर तहसील निवाड़ी जिला निवाड़ी के भूमि खसरा नंबर 1467 रकवा 6.710 हे० क्षेत्र पर खनिज ग्रेनाईट का स्वीकृति आदेश एवं अनुबंध में निहित शर्तों तथा नीचे अंकित शर्तों के अधीन स्वीकृत क्षेत्र में भू-प्रवेश/कार्य अनुमति म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत प्रदान की जाती है।

शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी, अपने साथ अनुज्ञप्त क्षेत्र से, वाणिज्यिक प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिये मंजूर गौण खनिज की 10 घनमीटर तक की मात्रा किसी प्रकार के विश्लेषण और वाणिज्यिक सर्वेक्षण के लिये रायल्टी का भुगतान करके ले जा सकेगा। परंतु अभिलिखित किये जाने वाले कारणों के आधार पर मंजूरी प्राधिकारी, अनुज्ञप्ति क्षेत्र से 100 घन मीटर तक खनिज ले जाने की अनुज्ञा दे सकेगा, खनिज परिवहन के लिये प्रारूप नौ में यथा विहित अभिवहन पास का उपयोग किया जायेगा।
2. उस भूमि को छोड़ते हुये जिस पर अनुज्ञप्तिधारी को उत्खनन पट्टा मंजूर किया गया है अथवा अनुज्ञप्ति का पर्यावसन हो जाने के पश्चात स्वीकृत क्षेत्र को असुरक्षित नहीं छोड़ा जायेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसे खनिज का पता लगने पर जो की अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट न हो, पन्द्रह दिन के भीतर मंजूरी प्राधिकारी को सूचित करेगा और ऐसे नये खनिज को अनुज्ञप्ति में सम्मिलित किये जाने के लिये आवेदन प्रस्तुत करेगा, यदि अनुज्ञप्ति के क्षेत्र में मुख्य खनिज का पता लगता है तो वह स्वीकृत अनुज्ञप्ति को समर्पित करेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी, मंजूरी प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अनुज्ञप्ति का अंतरण नहीं करेगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी का भुगतान नहीं करेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी उसी क्षेत्र में अथवा मंजूरी प्राधिकारी द्वारा चुने गये किसी अन्य क्षेत्र में पूर्वक्षण संकियाओं के कारण नष्ट हुये वृक्षों से दुगुने वृक्ष लगायेगा और अनुज्ञप्ति की कालावधि के दौरान उनका संधारण करेगा।



अनुज्ञापिधारी, निजी भूमि की दशा में भूमि स्वामी को भूमि पर प्रवेश की अनुमति के पूर्व परस्पर सहमति के अधार पर क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा।

8. अनुज्ञापिधारी, पर्यावरण के संरक्षण के लिये सभी उपाय करेगा और वन भूमि की दशा में (संरक्षण) अधिनियम 1980 और उसके अधीन बनाये गये नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
9. इन नियमों द्वारा पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति के धारक पर अधिरोपित किसी शर्त का भंग किये जाने पर मंजूरी प्राधिकारी लिखित में आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति को निरस्त कर सकेगा, परंतु ऐसा कोई भी आदेश अनुज्ञापिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।



कलेक्टर
जिला निवाडी

निवाडी, दिनांक 24.02.2020

पृ० क्रमांक 11/खनिज/तीन-6/2020/6673

प्रतिलिपि:-

1. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाडी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. तहसीलदार निवाडी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. खनिज निरीक्षक, निवाडी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



कलेक्टर
जिला निवाडी



PROOF OF SERVICE

ADVOCATE PRANJAL PANDEY <advocatepranjalpandey@gmail.com>

Joint Committee Report filed in compliance of order dated 07.11.2024 passed by Hon'ble NGT (CZ) in OA 235/2024

1 message

ADVOCATE PRANJAL PANDEY <advocatepranjalpandey@gmail.com>
To: Kanishk Devesh Sharma <kanishkdevesh1@gmail.com>, dirgeomn@nic.in
Cc: parul.bhadoria04@gmail.com

Mon, Jan 13, 2025 at 6:19 PM

Madam/Sir

Please find enclosed the Joint Committee Report filed in compliance of order dated 07.11.2024 passed by Hon'ble NGT (CZ) in OA 235/2024 (Ravi Kumar Meena v State of MP and Ors.). This mail is being sent on behalf of Counsel of MP PCB (**Advocate Parul Bhadoria**). **This mail may be treated as proof of service.**

Regards

PRANJAL PANDEY

ADVOCATE

F-3, Vidhya Vihar, Hoshangabad Road,

Bhopal, 462026.

9340657120, 8349313812

advocatepranjalpandey@gmail.com

 **FINAL FACTUAL REPORT IN OA 235-2024 (2).pdf**
11226K